

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL
REPORT

निक्षेप बीमा
और
प्रत्यय गारंटी
निगम
DEPOSIT
INSURANCE
AND
CREDIT
GUARANTEE
CORPORATION

1 9 9 7 - 9 8

With Best Compliments from :

M.G. Srivastava

Chief General Manager

DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION
New India Centre, 17, Cooperage Road, Mumbai - 400 039.

निदेशक बोर्ड

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

1. निदेशक बोर्ड हाथ (अक्षर) 1

2. हाथ (अक्षर) 2

प्रधान कार्यालय : छठी मंजिल, न्यू इंडिया सेंटर,

17, कूपरेज रोड, मुम्बई-400039 हाथ (अक्षर) 3

4. हाथ (अक्षर) की प्राप्ति 4

5. हाथ (अक्षर) की प्राप्ति 5

6. हाथ (अक्षर) की प्राप्ति 6

7. हाथ (अक्षर) की प्राप्ति 7



8. हाथ (अक्षर) की प्राप्ति 8

9. हाथ (अक्षर) की प्राप्ति 9

10. हाथ (अक्षर) की प्राप्ति 10

11. हाथ (अक्षर) की प्राप्ति 11

12. हाथ (अक्षर) की प्राप्ति 12

निदेशक बोर्ड की 36 वीं वार्षिक रिपोर्ट,
31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र और लेखे

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

| | |
|--|-----------|
| 1. प्रेषण पत्र | iii और iv |
| 2. निदेशक बोर्ड | v |
| 3. संगठन तालिका | vi |
| 4. निगम के कार्यालय | vii |
| 5. निगम के प्रमुख अधिकारी | viii |
| 6. निगम का स्वरूप | ix |
| 7. विशिष्टता-प्रगति एक दृष्टि में | x |
| 8. निदेशकों की रिपोर्ट | 1 |
| 9. निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में संलग्नक | 8 |
| 10. तुलन-पत्र और लेखे | 36 |
| 11. कार्यो और गतिविधियों की रूपरेखा | 45 |
| तालिका I से X (चार्ट I से X) | |

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
मुम्बई-400 039.

निबीप्रगानि/103/06.02.15/98-99

30 जून 1998
9 आषाढ़ 1920 (शक)

मुख्य महाप्रबंधक और सचिव,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगतसिंह मार्ग,
मुम्बई-400 001.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1997-98 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ भेजने का निदेश दिया है :

- i) 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक प्रतिलिपि; और
- ii) 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

भवदीय,

ह./-

(म. गो. श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
मुम्बई-400 039.

निबीप्रगानि/61/06.02.16/98-99

30 जून 1998
9 आषाढ़ 1920 (शक)

सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग)
“जीवनदीप”, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1997-98 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

- i) 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और
- ii) 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट ।
2. तुलन-पत्रों की प्रतियाँ और निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है । उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही है ।
3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें ।

भवदीय,

ह./-

(म. गो. श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित

जगदीश कपूर

उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(ख) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित

बी. एस. शर्मा

कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित

बी. बी. व्यास

उप सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(घ) के अंतर्गत नामित

एस. एच. खान

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई

एन. पी. सारडा

सनदी लेखाकार, मुम्बई

पी. डब्ल्यू. रेगे

भूतपूर्व अध्यक्ष, सारस्वत सहकारी बैंक लि., मुम्बई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ङ) के अंतर्गत नामित

गंगाधर गाडगिल

अर्थशास्त्री, मुम्बई


पी. एन. जोशी

अध्यक्ष, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सतारा, महाराष्ट्र

रशीद जिलानी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली

संगठन तालिका



निगम के कार्यालय

फैक्स नं. : 022-2874168

प्रधान कार्यालय :

न्यू इंडिया सेंटर,
4, 5, 6, और 7 वीं मंजिल,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
मुम्बई - 400 039.

टेलीफोन संख्या

तार

202 0299.

क्रेडिटगार्ड

मुख्य महाप्रबंधक

202 7323 (सी.ला.)

(i) महाप्रबंधक

204 4876 (सी.ला.)

(ii) महाप्रबंधक

202 2408 (सी.ला.)

(iii) महाप्रबंधक

287 4281 (सी.ला.)

(i) उप महाप्रबंधक

287 4291 (सी.ला.)

(ii) उप महाप्रबंधक

287 4362 (सी.ला.)

शाखाएँ :

(1) नागपुर

भारतीय रिजर्व बैंक अतिरिक्त भवन,
हाइकोर्ट के समीप,
नागपुर - 440 001.

521406 (सी.ला.)
532321
532357

क्रेडिटगार्ड

(2) कलकत्ता

4थी मंजिल,
भारतीय रिजर्व बैंक भवन,
15, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता - 700 001.

2481154 (सी.ला.)
2486019

डिसिन्गर

(3) चेन्नई

कुरालगम बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, एस्प्लेनेड,
पोस्ट बॉक्स सं. 5021,
चेन्नई - 600 108.

5341524 (सी.ला.)
5340239

क्रेडिटगार्ड

(4) नयी दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक,
6, संसद मार्ग,
पोस्ट बॉक्स सं. 123,
नयी दिल्ली - 110 001.

3716487 (सी.ला.)
3710538 से 42

डिपोजिटर्स

निगम के प्रमुख अधिकारी

मुख्य महाप्रबंधक

डी. एस. आर. सिंहडू (8 जुलाई 1996 से 29 नवंबर 1997 तक)
एम. जी. श्रीवास्तव (12 जनवरी 1998 से)

महाप्रबंधक

डी. एन. प्रसाद
एस. जी. सारांगकर
जे. पी. शर्मा

उप महाप्रबंधक

के. प्रसाद (6.12.1997 तक)
जी. के. जोशी (23.12.1997 तक)
एल. एन. रामास्वामी
आर.जी. नखाते (2.2.1998 से)

प्रबंधक एवं सचिव

श्रीमती श्री. स. शेणाय

शाखा कार्यालयों के प्रभारी उप महाप्रबंधक

नागपुर

वी. सी. कोटीयन

कलकत्ता

एस. वी. कुलकर्णी (31.1.1998 तक)

चेन्नई

ए. एस. गोवर्धन

नई दिल्ली

कु. गुलशन मदान

बैंकर

भारतीय रिजर्व बैंक

लेखा परीक्षक

मैसर्स हबीब एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
मुम्बई-400 003.

निगम का स्वरूप

प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना 1 जनवरी 1962 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिजर्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरू की गयी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे एक ही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने और समाज के खासकर कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदल कर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। उद्यु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना रद्द होने के बाद निगम ने 1 अप्रैल 1981 से लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरू किया।

निगम के दो उद्देश्य हैं बैंकों में जमाकर्ताओं के लाभ के लिए बैंक की सभी शाखाओं में उनकी सभी जमाराशियों अथवा उनके किसी अंश के लिए अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की हानि के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करना और सहभागी संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्य वित्त निगमों और अन्य सावधि ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी समर्थन प्रदान करना। 31 मार्च 1989 तक गारंटी समर्थन लघु ऋणकर्ताओं और लघु उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए ही उपलब्ध था। परंतु 1 अप्रैल 1989 से गारंटी सुरक्षा संपूर्ण

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार) के लिए लागू है। तथापि अग्रिमों की कुछ ऐसी श्रेणियाँ, जो केन्द्र/राज्य सरकारों, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटीकृत हैं, गारंटी सुरक्षा से बाहर रखा गया है।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनाई हुई हैं, जो किस्तों तथा गारंटी शुल्कों द्वारा जमा की जाती हैं और इनका उपयोग केवल दावों के निपटान के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम की पूँजी रखी गयी है और इस निधि से होने वाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय किये जाते हैं। निगम को आयकर की अदायगी के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक छूट दी गयी थी।

निगम की प्राधिकृत पूँजी 50 करोड़ रुपये है जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है।

निगम का प्रबंध निदेशक बोर्ड द्वारा देखा जाता है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर होते हैं। दावा समिति और निवेश समिति जो भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है, बोर्ड की सहायता करती है। मुख्य महाप्रबंधक निगम के मुख्य कार्यपालक होते हैं।

निगम का प्रधान कार्यालय मुम्बई में है। इसकी चार शाखाएँ नागपुर, कलकत्ता, चेन्नई, नयी दिल्ली में हैं। निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं है।

विशिष्टता - प्रगति एक दृष्टि में

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष के अंत में | 1962 | 1972 | 1982 | 1984 | 1987 | 1988-89 | 1990-91 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 |
|---------------------------------------|------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. पूँजी | 1 | 1.5 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. निक्षेप बीमा | | | | | | | | | | | | |
| i) निक्षेप बीमा निधि | 1 | 25 | 154 | 219 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ii) बीमाकृत बैंक | 276 | 476 | 1683 | 1805 | 1898 | 1903 | 1922 | 1931 | 1990 | 2025 | 2122 | 2296 |
| iii) निर्धारणयोग्य जमा राशियाँ | 1895 | 7458 | 42360 | 61880 | 103044 | 126864 | 156892 | 244375 | 249034 | 364058 | 392072 | 450674 |
| iv) बीमाकृत जमा राशियाँ | 448 | 4656 | 31774 | 46340 | 75511 | 90192 | 109316 | 164527 | 168405 | 266747 | 295575 | 337671 |
| v) खाते (लाखों में) | 77 | 341 | 1598 | 2026 | 2569 | 2781 | 3089 | 3543 | 3529 | 4994 | 4868 | 4351 |
| vi) पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में) | 60 | 328 | 1581 | 2000 | 2518 | 2705 | 2983 | 3395 | 3497 | 4956 | 4819 | 4273 |
| vii) अदाकृत दावे | — | — | 1 | 3 | 3 | 69 | 131 | 178 | 179 | 181 | 190 | 194 |
| 3. ऋण गारंटी | | | | | | | | | | | | |
| i) ऋण गारंटी निधि | — | — | 89 | 118 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ii) गारंटीकृत अग्रिम | | | | | | | | | | | | |
| (क) छोटे उधारकर्ता | — | 208 | 4840 | 7104 | 11116 | 14291 | 27692 | 24444 | 26348 | 25484 | 18910 | 17261 |
| (ख) लघु उद्योग | — | — | 3822 | 4891 | 7738 | 10465 | 16826 | 19162 | 15503 | 14177 | 13847 | 11271 |
| iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए) | | | | | | | | | | | | |
| (क) छोटे उधारकर्ता | — | — | 25 | 62 | 255 | 364 | 505 | 883 | 1168 | 1348 | 1841 | 1842 |
| (ख) लघु उद्योग | — | — | 30 | 71 | 149 | 241 | 247 | 260 | 323 | 379 | 524 | 270 |
| iv) निपटाये गये दावे (वर्ष के दौरान) | | | | | | | | | | | | |
| (क) छोटे उधारकर्ता | — | — | 15 | 32 | 225 | 281 | 427 | 566 | 1026 | 1100 | 1031 | 403 |
| (ख) लघु उद्योग | — | — | 27 | 47 | 122 | 177 | 260 | 243 | 288 | 409 | 308 | 291 |

@ निगम की देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण तुलन-पत्र और आय-व्यय लेख के प्रारूप में संशोधन से 1987 से ऋण गारंटी में वर्ष 1989-90 को छोड़कर हर वर्ष घाटा रहा है। निधि की कमी/अतिरिक्त को संबंधित वर्ष के निक्षेप बीमा निधि के अतिरिक्त के बदले समायोजित किया गया। वर्ष 1996-97 के दौरान ऋण गारंटी निधि में 1686.96 करोड़ रुपये का घाटा था। 31 मार्च 1997 को ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि के लिए 1913.12 करोड़ रुपये की राशि देय थी तथा ऋण गारंटी निधि में 1311.95 करोड़ रुपये की असमायोजित राशि थी।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए कामकाज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की 36 वीं वार्षिक रिपोर्ट इसके साथ प्रस्तुत की जा रही है।

निगम के क्रियाकलाप - समग्र समीक्षा

1.1 निगम की वार्षिक रिपोर्ट - 1995-96 में यह उल्लेख किया गया था कि पहली अप्रैल 1995 से ऋण गारंटी की तीनों स्कीमों के परिचालन में कुछ परिवर्तन किए गए थे क्योंकि श्री बी. राय की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

इस स्कीम को बहुत से बैंकों ने 1 अप्रैल 1995 से छोड़ दिया। इन बैंकों को कहा था कि वे 31 मार्च 1997 तक उन सभी दावों को प्रस्तुत करें जिनके अग्रिमों को 31 मार्च 1995 तक संदिग्ध वसूलीवाला/ अशोध्य समझा गया है।

1.2 किसी भी बीमाकृत बैंक में जमा राशियों को दी जाने वाली बीमा सुरक्षा की अधिकतम राशि एक ही अधिकार और क्षमता में प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक 1,00,000 रुपये तथा प्रति 100 रुपये पर 5 पैसे प्रति वर्ष की दर से बीमा प्रीमियम की स्थिति इस वर्ष भी अपरिवर्तित रही। बीमाकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 1997 को 2,296 थी जो 31 मार्च 1998 को बढ़कर 2,438 हो गई। इसके अतिरिक्त पूर्णतया संरक्षित जमा-खातों की संख्या 3,713.02 लाख रही जो कि जमा खातों की कुल संख्या का 90.37 प्रतिशत है। कुल आकलन योग्य जमा राशि 4,92,379.86 करोड़ रुपये रही जिसका 75.25 प्रतिशत भाग अर्थात् 3,70,531.20 करोड़ रुपये बीमाकृत है। इस वर्ष के दौरान प्राप्त बीमा-प्रीमियम 319.27 करोड़ रुपये है, इसकी तुलना में पिछले वर्ष 253.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान दो सहकारी बैंकों से प्राप्त दावों के लिए निगम ने कुल 2.26 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया और सात बैंकों के लिए आकस्मिक देयता के रूप में

22.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अब तक 25 वाणिज्य बैंकों और 33 सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में दावों के भुगतान और प्रावधान की कुल राशि 195.82 करोड़ रुपये रही और वर्ष के अन्त तक वसूलियों, इत्यादि की राशि में से प्राप्त चुकौती की राशि 66.98 करोड़ रुपये रही जो भुगतान किए गए दावों का 34.20 प्रतिशत है।

1.3 पिछले वार्षिक रिपोर्ट में, बैंक ऑफ कराड लि. के जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए परिसमापक को 37.00 करोड़ रुपये के तत्काल (ऑन एकाउण्ट) किये जाने को उल्लेख किया गया था। निगम द्वारा भुगतान की गयी 37.00 करोड़ रुपये की राशि में से 31 मार्च 1997 को 0.75 करोड़ रुपये की शेष राशि हाल ही में इस वर्ष के दौरान प्राप्त हुई है।

1.4 इस वर्ष में निगम परिचालित तीनों ऋण गारंटी स्कीमों के अन्तर्गत गारंटी अग्रिमों की राशि मार्च 1997 में 7,315.01 करोड़ रुपये थी जो कि विगत वर्ष की तुलना में 74.36 प्रतिशत कम है। इन स्कीमों के अन्तर्गत गैर-औद्योगिक क्षेत्र के छोटे उधारकर्ताओं के गारंटीकृत अग्रिमों की राशियों में पिछले वर्ष की तुलना में 77.18 प्रतिशत की कमी हुई, और लघु उद्योग क्षेत्र को गारंटीकृत अग्रिमों में 70.05 प्रतिशत की कमी रही। इन तीनों स्कीमों के अन्तर्गत निगम द्वारा प्राप्त दावों में संख्या की दृष्टि से 90.63 और धनराशि की दृष्टि से 85.61 प्रतिशत की कमी हुई। इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा निपटाए गए दावों में संख्या की दृष्टि से 12.83 प्रतिशत और धनराशि की दृष्टि से 10.47 प्रतिशत की कमी हुई। विगत वर्ष प्रतिमाह 1,17,730 दावों का निपटान किया गया था जबकि इस वर्ष प्रतिमाह 1,04,479 दावे निपटाए गए। दावों के निपटान में कमी का कारण मुख्य रूप से यही था कि विभिन्न विनिदेशों का अनुपालन नहीं किया गया जैसे कि "मास्टर सूची" प्रस्तुत न करना, पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था का प्रमाणीकरण, निगम को दावा-अदाकृत खाते से ए आर डी आर/अन्य प्रतिपूर्तियों की राशि न भेजना, इत्यादि। इस वर्ष और पिछले वर्ष प्राप्त तथा निपटाए गए दावों की संख्या और धनराशि का विवरण इस प्रकार है :-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

| | 1996-97 के दौरान | | 1997-98 के दौरान | | प्रतिशत वृद्धि (+) गिरावट (-) | |
|----------------------|---------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------------------|-----------|
| | संख्या | धनराशि | संख्या | धनराशि | संख्या | धनराशि |
| I. प्राप्त दावे : | | | | | | |
| i) छोटे उधारकर्ता | 59,97,049 | 1842.05 | 5,40,971 | 183.90 | (-) 90.98 | (-) 90.02 |
| ii) लघु उद्योग | 1,18,423 | 270.32 | 31,981 | 120.06 | (-) 72.99 | (-) 55.59 |
| जोड़ | 61,15,472 | 2112.37 | 5,72,952 | 303.96 | (-) 90.63 | (-) 85.61 |
| II. निपटाये गये दावे | | | | | | |
| i) छोटे उधारकर्ता | 13,11,663 | 402.89 | 11,79,328 | 400.90 | (-) 10.09 | (-) 0.49 |
| ii) लघु उद्योग | 1,01,098 | 291.49 | 52,241 | 220.78 | (-) 48.33 | (-) 24.26 |
| जोड़ | 14,12,761 | 694.38 | 12,31,564 | 621.68 | (-) 12.83 | (-) 10.47 |

1.5 वर्ष 1989-90 से 1997-98 की अवधि के दौरान प्राप्त गारंटी फीस और गारंटी दावों की धनराशि तथा भुगतान किये गये दावों

की राशि के मध्य अंतराल इस प्रकार है :-

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष | गारंटी फीस प्राप्तियाँ | गारंटी दावे की प्राप्तियाँ | भुगतान किये गए दावे | अंतराल (2) - (1) | अंतराल (2) - (4) |
|---------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1989-90 | 593.83 | 548.33 | 508.54 | (+) 45.50 | (+) 85.29 |
| 1990-91 | 524.72 | 748.76 | 547.16 | (-) 224.04 | (-) 22.44 |
| 1991-92 | 565.88 | 627.23 | 462.29 | (-) 61.35 | (+) 103.59 |
| 1992-93 | 702.78 * | 1143.27 | 633.55 | (-) 440.49 | (+) 69.23 |
| 1993-94 | 846.09 | 1490.76 | 889.99 | (-) 644.67 | (-) 43.90 |
| 1994-95 | 829.13 | 1726.82 | 1179.01 | (-) 897.69 | (-) 349.88 |
| 1995-96 | 704.64 | 2365.23 | 1042.27 | (-) 1660.59 | (-) 337.63 |
| 1996-97 | 564.02 | 2112.37 | 378.64 | (-) 1548.35 | (+) 185.38 |
| 1997-98 | 164.91 | 303.96 | 371.40 | (-) 139.05 | (-) 206.49 |

* विगत वर्षों के संबंध में पुनर्विनिवेश प्रावधान सहित

1.6 वर्ष 1989-90 के दौरान गारंटी फीस की प्राप्ति में काफी वृद्धि हुई क्योंकि 1 अप्रैल 1989 से गारंटी फीस की दरों में वृद्धि की गई थी। उस वर्ष प्राप्त दावों की राशि में भी विगत वर्ष की तुलना में कमी रही। यह देखते हुए कि लगातार तीसरे वर्ष भी दावों की प्राप्ति की तुलना में गारंटी फीस की प्राप्ति कम ही रही, इसलिए तीनों ऋण गारंटी स्कीमों की सक्षमता का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में प्राप्त गारंटी फीस और दावों तथा गारंटी फीस और दावों के भुगतान में अंतराल को भी ध्यान में रखा गया। यह देखा जा सकता है कि 1991-92 और 1992-93 में गारंटी फीस की प्राप्ति भुगतान किए गये दावों से अधिक थी। इसका मुख्य कारण दावों के निपटान में कमी था, जिसकी वजह से लंबित दावों की संख्या बढ़ गयी। वर्ष 1996-97 में अधिशेष की जो सुदृढ़ स्थिति दिखायी दे रही है, वह मुख्यतया कतिपय क्रियाविधि परक अनुपालनाओं के पूरा न होने से दावों का भुगतान न करने की वजह से है। इन स्कीमों को वित्तीय रूप से समक्ष बनाने के उद्देश्य से लघु ऋण गारंटी स्कीम 1971 की गारंटी फीस को 1 अप्रैल 1993 से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया। इस वृद्धि के बावजूद गारंटी फीस की प्राप्ति और दावों की प्राप्ति के मध्य का अंतराल बढ़ता ही गया है। दावों की प्राप्ति में वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान तेजी आई क्योंकि बहुत से बैंकों ने इन स्कीमों को छोड़ दिया है। वर्ष 1997-98 के दौरान स्कीमवार विवरण इस प्रकार है :-

| स्कीम | (धनराशि करोड़ रुपये में) | | |
|--|--------------------------|-----------------------|------------|
| | प्राप्त गारंटी फीस | प्राप्त गारंटी फीस | अंतराल |
| i) लघु ऋण गारंटी स्कीम, 1971 | 1,83.90 | 112.70 | (-) 71.20 |
| ii) लघु ऋण (सह. बैंक) गारंटी स्कीम, 1984 | @ | @ | (+)..... |
| iii) लघु ऋण (ल उ) गारंटी स्कीम, 1981 | 120.06 | 52.21 | (-) 67.85 |
| जोड़ | 303.96 | 164.91 | (-) 139.05 |

@ नगण्य

वर्ष 1981 से अबतक प्राप्त गारंटी फीस का योजनावार ब्यौरा संलग्नक-XIII में दिया गया है।

1.7 निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 16 वाणिज्यिक तथा 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण इन बातों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जो इस प्रकार है- क्या ऋण गारंटी योजनाओं में सहभागी ऋण संस्थाएं दावे दायर करने, गारंटी फीस की गणना तथा प्रत्यासन अधिकारों के अंतर्गत दावा अदाकृत खातों में वसूलियों के हिस्सों के संबंध में निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन कर रही हैं अथवा नहीं। उक्त निष्कर्षों के बारे में संबंधित बैंकों को अवगत कराया गया है तथा उनका अनुपालन किया जा रहा है।

निक्षेप बीमा सम्बन्धी कार्य

2.1 इस वर्ष के दौरान सात वाणिज्य बैंक और 144 सहकारी बैंक पंजीकृत किये गये और दो सहकारी बैंक तथा एक वाणिज्य बैंक को विपंजीकृत किये गये (विवरण अनुलग्नक II-क में दिये गये हैं)। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश से चार सहकारी बैंक अर्थात् 1) दि अंकपल्ली सहकारी बैंक लि. 2) दि पुडुन्शियल सहकारी अर्बन बैंक लि. 3) दि विशाखापट्टनम सहकारी बैंक लि. और 4) श्री महायोगी लक्षमम्मा सहकारी टाऊन बैंक लि. थें जिनमें से अंतिम तीन बैंकों को कानून को लागू करते हुए तकनीकी आधार पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 13 ग (i) के अनुसरण में विपंजीकृत किया गया, चूंकि संदर्भाधीन बैंकों ने अपने आप को आंध्र प्रदेश मध्युअली एडेड को-आपरेटिव सोसायटीज अधिनियम, 1995 (आंप्रम्युए कोसो अधिनियम, 1995) के अंतर्गत रूपांतरित तथा पंजीकृत किया। चूंकि आंध्र प्रदेश म्युचुअली एडेड को-आपरेटिव्ह सोसायटीज अधिनियम, 1995 में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, अधिनियम, 1961 की धारा 2 (छछ) के साथ पठित धारा 13 क(1) के अंतर्गत उल्लिखित किये गये अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के समापन, परिसमापन, पुनर्विन्यास, आदि पर नियंत्रण रखने के

लिए आवश्यक अधिकार होने का प्रावधान नहीं है अतः वे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम, 1961 की धारा 2 (छछ) के अंतर्गत पात्र सहकारी बैंक नहीं रहेंगे। इन बैंकों के नाम अनुबंध II- के में शामिल नहीं किये गये हैं क्योंकि निगम के पास उनके खातों की अभी तक समायोजित किया जाना है। उनमें से दो बैंक अर्थात् दि ग्राडेन् शयल को-आपरेटिव्ह अर्बन बैंक लि. अड्डर दि विशाखापट्टनम सहकारी बैंक लि. निगम की कार्यवाई के विरुद्ध उच्च न्यायालय में गये है और दायर की गई याचिका अनिर्णीत है। इस प्रकार निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत उपर्युक्त पैरा 1.2 में पहले ही दर्शाये गये अनुसार निगम में पंजीकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 1998 को बढ़कर 2,438 हो गई जो कि 31 मार्च 1997 को 2,296 थी। निगम की स्थापना 1962 में हुई, तब से अबतक पंजीकृत बैंकों की संख्या का विवरण अनुलग्नक I और I-क में दिया गया है।

2.2 इस समय निक्षेप बीमा योजना में सभी वाणिज्य बैंकों और 21 राज्यों तथा दो संघशासित क्षेत्रों के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को शामिल किया गया है (संलग्नक-II)। इस स्कीम में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम नामक पाँच राज्यों और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़ तथा लक्षद्वीप नाम तीन संघशासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों को भी शामिल करने से सम्बद्ध मामला सम्बन्धित सरकारों के पास विचाराधीन है क्योंकि इन्हें अपने-अपने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करना होगा। सहकारी बैंकों को इस स्कीम में तभी शामिल किया जा सकता है जब उनकी राज्य सरकारें अपने उप-नियम उन पर भी लागू करें।

2.3 निगम द्वारा बीमाकृत खातों की संख्या तथा धनराशि तथा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की सीमा का ब्यौरा जून 1995 तथा जून 1996 के अंत में इस प्रकार है :-

(राशि करोड़ रुपये में)

| विवरण | 1996 जून | 1997 |
|---------------------------------|----------|----------|
| 1. खातों की कुल संख्या (लाख) | 4,351 | 4,109 |
| 2. पूर्णतया संरक्षित खाते (लाख) | 4,273 | 3,713 |
| 3. प्रतिशतता 1 और 2 में | 98.2 | 90.4 |
| 4. आकलनीय योग्य जमाराशियाँ | 4,50,674 | 4,92,380 |
| 5. बीमाकृत जमाराशियाँ | 3,37,671 | 3,70,531 |
| 6. प्रतिशतता 4 और 5 में | 74.9 | 75.2 |

(उक्त ब्यौरे संलग्नक-III और IV में दिये गये हैं।)

जून 1997 के अंत में कुल आकलनयोग्य जमाराशियों में से क्रमशः 58.10 प्रतिशत और 41.90 प्रतिशत पूर्णतया संरक्षित और आंशिक रूप से संरक्षित थी।

2.4 वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान बीमाकृत बैंको से प्राप्त प्रीमियम (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित) की वर्गवार विश्लेषित स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रुपये में)

| बैंक का वर्ग | प्राप्त प्रीमियम | |
|----------------------------|------------------|---------------|
| | 1996-97 | 1997-98 |
| i) वाणिज्य बैंक | | |
| ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 213.11 | 284.96 |
| iii) सहकारी बैंक | 40.56 | 34.31 |
| कुल | 253.67 | 319.27 |

2.5 निगम ने वर्ष 1996-97 के दौरान स्वास्तिक जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई (225.92 लाख रुपये) के जमाकर्ताओं के संदर्भ में 2.26 करोड़ रुपये के कुल दावों तथा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी महाराष्ट्र (0.06 लाख रुपये) के जमाकर्ताओं के संदर्भ में अनुपूरक दावों का निपटान किया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बैंकों के जमाकर्ताओं के दावे देयता के संबंध में बैंको/परिसमापकों से प्राप्त दावा आवेदन पत्रों की पूर्ति के लिए 22.24 करोड़ रुपये का प्रावधान बही खाते में किया गया है।

| बैंक का नाम | दावे का विवरण | करोड़ रुपये |
|---|---------------|--------------|
| 1. वसावी को-आप. अर्बन बैंक लि., गुर्जला | अनुपूरक | 0.01 |
| 2. मेट्रोपालिटन को-आप. बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र | शेष | 0.34 |
| 3. धारवाड़ इंडस्ट्रियल को-आप. बैंक लि., हुबली, कर्नाटक | अपेक्षित | 0.15 |
| 4. कोल्हापुर जिला जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई | -वही- | 8.21 |
| 5. दांदर जनता सहकारी बैंक लि., | -वही- | 13.45 |
| 6. श्री चामराजा को.आप. बैंक लि., चामराजनगर., कर्नाटक | -वही- | 0.07 |
| 7. बैलाती अर्बन को.-आप क्रेडिट बैंक लि., बैलाती कर्नाटक | -वही- | 0.01 |
| कुल | | 22.24 |

2.6 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार 25 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त / प्रावधानीकृत दावों की कुल राशि (संचयी) 172.92 करोड़ रुपये अपरिवर्तित रही। मार्च 1998 तक परिसमापकों/ बैंकों द्वारा कुल 66.75 करोड़ रुपये की चुकौतियां प्राप्त हुई (वर्ष के दौरान प्राप्त 2.74 करोड़ रुपये सहित)। इस वर्ष के दौरान कोई भी राशि नये बट्टे खाते नहीं डाली गयी और 31 मार्च 1998

तक बढ़ते खाते की राशि 10 करोड़ रुपये रही। योजना प्रारंभ होने से 31 मार्च 1998 तक 33 सहकारी बैंकों के संबंध में कुल 22.90 करोड़ रुपये की (वर्ष के दौरान 2.26 करोड़ रुपये की प्रदत्त राशि सहित) की राशि प्रावधानीकृत और दावा अदाकृत खाते में बनी रही। परिसमापकों/बैंकों द्वारा 31 मार्च 1998 तक कुल 1.23 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान 0.14 करोड़ रुपये सहित) की चुकौतियाँ प्राप्त हुई।

संलग्नक V में 58 बैंकों की दावे निपटान, बढ़ते खाते डालने, प्रावधान करने और प्राप्त चुकौतियाँ आदि के संबंध में 31 मार्च 1998 तक की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है।

ऋण गारंटी संबंधी कार्य

अ) छोटे उधारकर्ता के लिए ऋण गारंटी योजना

3. निगम द्वारा छोटे उधारकर्ताओं के लिए लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 तथा लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 चलाई जाती हैं, इसके अंतर्गत कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप, परिवहन परिचालक, खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसाय आदि के लिए वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय बैंकों सहित) और प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

4. छोटे उधारकर्ता की ऋण गारंटी योजना के समग्र कार्य निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

| उधारकर्ताओं का वर्ग | गारंटीकृत अग्रिम की स्थिति यथा 31 मार्च 1997 | प्राप्त दावों की राशि | | |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | मार्च 1997 तक | 1997-98 के दौरान | मार्च 1998 तक (3 + 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कृषक और काशतकार | 2566.92 | 4320.55 | 92.54 | 4413.09 |
| अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 1315.95 | 4892.78 | 89.52 | 4982.30 |
| विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं का शेष वर्ग और उपभोक्ता का मकान या आवास की खरीद या निर्माण के लिए ऋण सुविधाएं | 5614 | 186.92 | 1.84 | 188.76 |
| कुल : | 3939.01 | 9400.25 | 183.90 | 9584.15 |

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

5.1 इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों, परिवहन, खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसायी आदि को दिए गए अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।

5.2 वर्ष के दौरान नौ वाणिज्यिक बैंकों तथा आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योजना से बाहर होने के लिए निगम द्वारा अनुमति दी गई (संलग्नक - VII), परिणामस्वरूप, 31 मार्च 1998 को योजना के अंतर्गत सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या, 31 मार्च 1997 के 36 की तुलना में, (वाणिज्यिक बैंक और 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) घटकर 19 हो गई (संलग्नक - VI)।

5.3 योजना के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार कुल गारंटीकृत अग्रिम 3,938.80 करोड़ रुपये थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 77.18 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। इस गिरावट का प्रमुख कारण 17 ऋण संस्थाओं द्वारा योजना से बाहर होना था। यह योजना मुख्य रूप से छोटे उधारकर्ता के अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान

करती रही तथा योजना के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के गैर-लघु उद्योग के 99.99 प्रतिशत, अर्थात् 3,939.01 करोड़ रुपये के अग्रिम सुरक्षित रहे। संलग्नक - VIII में गारंटीकृत अग्रिमों के विश्लेषित आंकड़ों का वर्षवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है। योजना के अंतर्गत गारंटीकृत तुलना में प्राप्त दावा राशि का प्रतिशतता के आधार ब्यौरा इस प्रकार है।

| उधारकर्ताओं का वर्ग | कुल का प्रतिशत | |
|--|------------------|--------------|
| | गारंटीकृत अग्रिम | प्राप्त दावे |
| i) कृषक और काशतकार | 65.17 | 46.05 |
| ii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम | 33.41 | 51.98 |
| iii) विभेदक ब्याज दर के अग्रिम | 1.42 | 1.97 |
| कुल | 100.00 | 100.00 |

5.4 रिपोर्ट गत वर्ष के दौरान निगम को 183.90 करोड़ रुपये के 5,40,971 दावे प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1,842.06 करोड़ रुपये के 59,97,049 दावे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में दावों की संख्या 90.98 प्रतिशत घट गयी तथा राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 90.02 प्रतिशत की कमी आई। योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान 183.90 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त हुए जो 3,938.80 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों के 4.67 प्रतिशत थे। छोटे उधारकर्ता के लिए सभी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्नक X में दिया गया है। निगम ने पिछले वर्ष के 402.89 करोड़ रुपये के 13,11,663 दावों की तुलना में इस वर्ष 400.90 करोड़ रुपये के 11,79,328 दावों का निपटान किया। (इस वर्ष में औसत प्रति माह 98,277 दावों का निपटान किया जबकि पिछले वर्ष की तदुनुरूपी अवधि के दौरान 1,09,305 दावों का निपटान किया था।) इसके अतिरिक्त, 359.33 करोड़ रुपये के 9,41,557 दावों की जाँच की गई है परंतु इन दावों का निपटान उपर्युक्त पैरा 1.4 में दर्शाये गये अनुसार विभिन्न कारणों से रोका गया है। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार 1915.10 करोड़ रुपये के 73,63,682 दावे आवश्यक कारवाई/स्पष्टीकरण के लिए अपेक्षित थे (संलग्नक IX)।

5.5 रिपोर्टगत वर्ष के दौरान प्रत्याहरण अधिकार की हैसियत के आधार पर पिछले वर्ष के 233.51 करोड़ रुपये की तुलना में 192.41 करोड़ रुपये की वसूलियां प्राप्त हुई। योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 1,476.60 करोड़ रुपये की वसूलियां प्राप्त हुईं जो 5,944.82 करोड़ रुपये के दावों के भुगतान का 24.84 प्रतिशत है।

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

6.1 1984 में आरंभ हुई उक्त योजना कृषीतर प्रयोजनों के लिए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान करती है।

6.2 इस योजना में सहभागियों की संख्या 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार हो गयी (संलग्नक -VI) 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार कुल गारंटीकृत अग्रिम 0.21 करोड़ रुपये थे जबकि 31 मार्च 1996 को उक्त अग्रिम 0.19 करोड़ रुपये थे। इस वर्ष के दौरान निगम में उक्त योजना के अंतर्गत 0.03 करोड़ रुपये के 31 दावे प्राप्त हुए और वे दावे अपात्र होने के कारण अस्वीकृत किये गये।

आ. लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजनाएं

(क) सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब निरस्त)

7.1 सरकार की उक्त योजना बंद हो गयी है और निगम ने इस संबंध में दावे/अभ्यावेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। उक्त योजना के अंतर्गत सभी विचाराधीन दावे मार्च 1992 तक निपटा दिये गये। फिर भी भारत सरकार के एजेंट के रूप में निगम दावा अदाकृत

खातों में वसूली के लिए ऋण संस्थाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता रहता है।

7.2 उक्त योजना के अंतर्गत 2.61 करोड़ रुपये की कुल राशि वर्ष 1997-98 के दौरान दावा अदाकृत खातों में प्राप्त वसूलियों को निरूपित करती है, उसमें से निगम ने प्रशासनिक खर्च के रूप में 0.26 करोड़ रुपये रखकर सरकार को 2.35 करोड़ रुपये की राशि प्रेषित कर दी।

(ख) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

8.1 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार उक्त योजना में सहभागी 54 ऋण संस्थाएँ थीं (31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार 78) जिनमें 7 वाणिज्य बैंक, 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 38 सहकारी बैंक हैं (संलग्नक -VI)। वर्ष के दौरान 24 ऋण संस्थाओं के नाम सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची में से हटा दिये गये जिसकी वजह योजना परित्याग का उनका निर्णय या फिर गारंटी फीस के भुगतान में चूक थी (संलग्नक - VII)।

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को गारंटीकृत अग्रिम की राशि 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार 3,376 करोड़ रुपये थी जबकि 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार यह राशि 11,271.33 करोड़ रुपये थी, जो कि 70.05 प्रतिशत गिरावट का द्योतक थी। अनेक ऋण संस्थाओं द्वारा योजना का परित्याग करने के कारण यह गिरावट हुई।

8.3 वर्ष 1997-98 के दौरान निगम को 120.06 करोड़ रुपये के लिए 31,981 दावे प्राप्त हुए जबकि पिछले साल 270.32 करोड़ रुपये के लिए 1,18,423 दावे प्राप्त हुए थे। वर्ष के दौरान निगम द्वारा कुल 220.78 करोड़ रुपये के 52,241 दावे निपटाये गये जबकि वर्ष 1996-97 के दौरान कुल 291.49 करोड़ रुपये के 1,01,098 दावे निपटाये गये। वर्षवार प्राप्त और निपटाये गये दावों के ब्यौरे, 1 अप्रैल 1981 से उत्तरोत्तर, अनुबंध XI में दिये गये हैं (वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों के राशिवार ब्यौरे संलग्नक XII में दिये गये हैं)। दिनांक 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार, कुल 153.96 करोड़ रुपये के 73,863 दावे विचाराधीन हैं।

8.4 वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत, निगम के प्रत्याहरण अधिकार से हुई वसूली की राशि 21.45 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान 25.78 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। 1981 से अब तक प्राप्त वसूली की राशि 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार कुल 190.21 करोड़ रुपये थी जो अब तक भुगतान किए गए दावों की कुल 941.30 करोड़ रुपये की कुल राशि का 20.21 प्रतिशत है (संचयी)।

8.5 वर्ष के दौरान प्राप्त 120.06 करोड़ रुपये की दावा राशि योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन लघु उद्योग को दिये गये कुल 3,376 करोड़ रुपये के गारंटीकृत अग्रिमों का 3.56 प्रतिशत है।

8.6 योजना के अन्तर्गत प्राप्त 8 लाख रुपये और उससे अधिक के उच्च मूल्य दावे के निपटान पर दावा समिति द्वारा विचार करना जारी रहा। लेकिन वर्ष 1997-98 के दौरान समिति के विचार योग्य कोई उच्च मूल्य दावा नहीं था।

लेखा

तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा

9.1 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा और 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, जो निगम की तीनों निधियों अर्थात् सामान्य निधि, निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि की स्थिति अलग-अलग दर्शाता है, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

9.2 वर्ष 1997 से निगम ने बीमांकित आधार पर निक्षेप और ऋण गारंटी निधियों की देयताओं की मूल्यांकन प्रणाली अपनायी है। तदनुसार, तीनों निधियों में विचाराधीन दावों के लिए प्रावधान करने के बाद, निवल अधिशेष 3084.85 करोड़ रुपये का होता है जबकि 1996-97 के दौरान उक्त निवल घाटा 1314.39 करोड़ रुपये का था। निक्षेप बीमा निधि में 438.71 करोड़ रुपये का अधिशेष पाया गया जबकि 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षकों की समस्त तुष्टि के अनुसार आवश्यक प्रावधान करने के बाद यह अधिशेष 372.57 करोड़ रुपये था। ऋण गारंटी निधि में और वृद्धिशील देयताओं के बीमांकित अनुमानों को हिसाब में लेते हुए 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए 2646.14 करोड़ रुपये का अधिशेष परिलक्षित हुआ जबकि 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के दौरान विचाराधीन दावे, आदि के लिए प्रावधान करने के बाद यह घाटा 1686 करोड़ रुपये था। ऋण गारंटी निधि में पिछले वर्ष के दौरान शुद्ध घाटा मुख्यतः कम दावों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऋण संस्थाओं के योजनाओं से बाहर हो जाने के कारण शुद्ध अधिशेष में परिणत हो गया। ऋण गारंटी निधि में अधिशेष का उपयोग पिछले तुलन पत्र में दर्शाये गये अनुसार 1311.95 करोड़ रुपये के घाटे का समायोजन करने के लिए किया गया और 1334.19 करोड़ रुपये की शेष राशि जमा बीमा निधि में अंतरित कर दी गयी है।

9.3 पिछले वर्ष के दौरान सामान्य निधि में 5.03 करोड़ के घाटे की तुलना में 5.66 करोड़ रुपये की कमी आयी और इस कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ व्ययों के लिए 7 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को हिसाब में लेने के बाद सामान्य प्रारक्षित निधि के लिए समायोजित किया गया।

9.4 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किये गये अनुसार वर्ष 1987 से अधिशेष/घाटे के कारण 31 मार्च 1997 को कारोबार बंद होने पर ऋण गारंटी निगम से जमा बीमा निधि की शुद्ध राशि 1913.92 करोड़ रुपये थी। वर्तमान वर्ष की 2646.14 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि में से 1334.19 करोड़ रुपये की राशि जमा बीमा निधि में अंतरित की गई है जिससे 579.73 करोड़ रुपये की कमी हो गई है।

बजट नियंत्रण

10. निगम ने प्रबंध सूचना प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न विवरणियां तैयार की है और तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के अन्तर्गत आय-व्यय खाते में बजट नियंत्रण किया जाता है।

निवेश

11.1 निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी, खजाना बिल सहित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित कर दी गयी। निवेश संबंधी ब्यौरे संलग्नक XIV में दिये गये हैं। तीनों निधियों के निवेश के मूल्यहास के लिए लेखा-परीक्षकों की तुष्टि के अनुसार पूरे प्रावधान किये गये हैं।

निवेश समिति

11.2 जैसा कि पिछले वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, राय समिति की विभिन्न सिफारिशों (निवेश पर आय में सुधार के उपाय सुझाने के लिए गठित) की जांच की गयी और तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई/उपाय शुरू किये गये हैं।

- (1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25 के संशोधन से संबंधित मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है। लेकिन इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
- (2) निवेश को स्टाक-इन-ट्रेड मानने के लिए निगम को अनुमति प्रदान करने से संबंधित मसले की जांच की गई और हमारे कर-परामर्शदाताओं की सलाह से उक्त मामला बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने 26 मार्च 1997 को हुई बैठक में निगम के उक्त निवेश को स्टाक-इन-ट्रेड मानने से संबंधित प्रस्ताव पास कर दिया। तदनुसार, 1996-97 के मूल्यांकन वर्ष के लिए आयकर विवरण दाखिल किया गया ताकि मूल्यांकन कार्यालय निगम के उक्त निवेश को स्टाक-इन-ट्रेड मान सके।
- (3) जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के आधार पर कर देयता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आय-कर

अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत निगम को विशेष दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामले को भारत सरकार के साथ उठाया गया है और उनके निर्णय की प्रतीक्षा है।

सामान्य

लेखा परीक्षक

12.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29 (1) के अनुसार बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से मेसर्स हबीब एण्ड कंपनी, सनदीं लेखाकार, को 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए निगम का लेखा-परीक्षक नियुक्त किया।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

12.2 निगम द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। निगम का प्रधान कार्यालय, राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित है। निगम के दैनिक-कार्याकलापों में हिन्दी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने और उनकी निगरानी के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें होती हैं।

प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति

12.3 वर्ष के दौरान एस.डी.सी. के डॉ. रेने ब्रगगर और बोलिवियन दल के प्रमुख ने निगम से मुलाकात की। उक्त दल को निगम के सामान्य कामकाज और विशेष रूप से जमा बीमा विभाग की संक्षिप्त जानकारी दी गई।

निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में निगम की योजनाओं और उसके अन्तर्गत दावों के निपटान के संबंध में व्याख्यान देने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। निगम का कुछ स्टाफ भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया। वर्ष के दौरान 26 अधिकारी और 6 लिपिक कर्मचारी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किये गये। बाह्य संस्था के पास 52 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण और वित्तीय लेखा परीक्षा

12.4 भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण विभाग की कार्य एवं कार्यपद्धति की निरीक्षण रिपोर्ट, 1994 में बतायी गयी अनियमितताओं/ दिये गये सुझाव सुधारा गया है/ कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान निरीक्षण विभाग ने निगम के प्रधान कार्यालय के कार्य और कार्य पद्धति का निरीक्षण किया और उनके द्वारा

दिये गये सुझावों/ दर्शायी गई अनियमितताओं को क्रियान्वित किया/ सुधारा जा रहा है। उन्होंने चारों शाखाओं अर्थात् कलकत्ता, नई दिल्ली, चेन्नई और नागपुर के कार्य और कार्य पद्धति का भी निरीक्षण किया। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय लेखा-परीक्षा कक्ष ने निगम के प्रधान कार्यालय की 31 मार्च 1998 को समाप्त छमाही के लिए लेखा परीक्षा की। निगम की चारों शाखाओं की सितम्बर 1997 को समाप्त छमाही तक की लेखा परीक्षा भी संबंधित क्षेत्रीय लेखा-परीक्षा कक्षों द्वारा पूरी कर दी गयी है।

कम्प्यूटर

13. टेप और कागजात पर प्रस्तुत किये गये एनआइ. 11 और एनआइ.15 और एनआई.17 फार्मेटों में दावों की कार्रवाई के लिये साफ्टवेयर कार्यक्रम सुचारु ढंग से चल रहे हैं। प्रबंध सूचना प्रणाली पर नये कार्यक्रम का कार्य भी संतोषजनक रूप से हो रहा है। अन्य क्षेत्रों में कंप्यूटीकरण की योजनाएं बनायी गयी है और उनके पूर्ण होने की शीघ्र आशा है।

प्रबंधन

14. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (i) (ख) के अन्तर्गत श्री आर.वी. गुप्ता, उप गवर्नर के स्थान पर श्री जगदीश कपूर, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 17 दिसंबर 1997 से निगम के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(ख) के अधीन श्री एस.गुरुमूर्ति, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर श्री बी.एस. शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 6 फरवरी 1998 से निगम के निदेशक के रूप में नामित किया गया। श्री डी.एस.आर. सिन्धु की सेवानिवृत्ति के बाद श्री एम.जी. श्रीवास्तव ने मुख्य महाप्रबंधक के रूप में दिनांक 12 जनवरी 1998 से कार्यभार संभाला।

15. 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के निदेशक मंडल की चार बैठकें हुई।

16. कारोबारी निपुणता और कार्य कुशलता को बनाये रखने के लिए निगम के कर्मचारियों के प्रयास की बोर्ड भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल की ओर से
और
उनके लिए

निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम
मुंबई - 400 039

(जगदीश कपूर)
अध्यक्ष

25 जून 1998

संलग्नक - I

वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण

| वर्ष/ अवधि | वर्ष/अवधि के प्रारंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या | वर्ष/अवधि के दौरान पंजीकृत बैंकों की संख्या | उन विपंजीकृत बैंकों की संख्या जहाँ निगम में देयता | | | वर्ष/अवधि के अंत में पंजीकृत बैंकों की संख्या (2 + 3 + 6) |
|-----------------|---|---|---|----------|--------------|---|
| | | | आयी | नहीं आयी | जोड़ (4 + 5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1962 | 287 | — | 2 | 9 | 11 | 276 |
| 1963 से 1965 | 276 | 1 | 7 | 161 | 168 | 109 |
| 1966 से 1970 | 109 | 1 | 5 | 22 | 27 | 83 |
| 1971 से 1975 | 83 | 544 | — | 16 | 16 | 611 |
| 1976 से 1980 | 611 | 995 | 9 | 15 | 24 | 1582 |
| 1981 से 1985 | 1582 | 280 | 8 | 17 | 25 | 1837 |
| 1986 से 1989-90 | 1837 | 102 | 8 | 10 | 18 | 1921 |
| 1990-91 | 1921 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1922 |
| 1991-92 | 1922 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1931 |
| 1992-93 | 1931 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1931 |
| 1993-94 | 1931 | 63 | 1 | 3 | 4 | 1990 |
| 1994-95 | 1990 | 36 | — | 1 | 1 | 2025 |
| 1995-96 | 2025 | 99 | 1 | 1 | 2 | 2122 |
| 1996-97 | 2122 | 176 | 1 | 1 | 2 | 2296 |
| 1997-98 | 2296 | 145 | 1 | 2 | 3 | 2438 |

संलग्नक - I क

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के अंत में बीमाकृत बैंकों की श्रेणीवार स्थिति का अलग-अलग विवरण

| वर्ष | बीमाकृत बैंकों की संख्या | | | |
|---------|--------------------------|------------------------|-------------|------|
| | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी बैंक | जोड़ |
| 1995-96 | 102 | 196 | 1824 | 2122 |
| 1996-97 | 108 | 196 | 1992 | 2296 |
| 1997-98 | 108* | 196 | 2134 | 2438 |

- * सम्मिलित हैं 1. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ संमेलन के अंतर्गत बारी दी आप बैंक लि.
 2. स्टेट बैंक ऑफ के साथ समामेलन के अंतर्गत काशिनाथ शेठ बैंक लि.
 3. एरिया इंडस्ट्रियल बैंक लि., निष्क्रिय बैंक है।

संलग्नक - II

बीमाकृत बैंकों की स्थिति का सार
(31 मार्च 1998 की स्थिति)

| | |
|----------------------------|-------------|
| i) वाणिज्य बैंक | 108 |
| ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 |
| iii) सहकारी बैंक | 2134 |
| कुल | 2438 |

सहकारी बैंकों का राज्यवार अलग-अलग विवरण

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | अपैक्स | सेन्ट्रल | प्राइमरी | जोड़ |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| राज्य | | | | |
| 1. आंध्र प्रदेश | 1 | 22 | 97 | 120 |
| 2. असम | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 3. बिहार | 1 | 34 | 6 | 41 |
| 4. दिल्ली | 1 | — | 16 | 17 |
| 5. गोवा | 1 | — | 7 | 8 |
| 6. गुजरात | 1 | 21 | 328 | 350 |
| 7. हरियाणा | 1 | 14 | 8 | 23 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 9. जम्मू और कश्मीर | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10. कर्नाटक | 1 | 22 | 262 | 285 |
| 11. केरल | 1 | 14 | 61 | 76 |
| 12. मध्य प्रदेश | 1 | 45 | 74 | 120 |
| 13. महाराष्ट्र | 1 | 31 | 560 | 592 |
| 14. मणिपुर | 1 | — | 5 | 6 |
| 15. उड़ीसा | 1 | 17 | 14 | 32 |
| 16. पंजाब | 1 | 17 | 5 | 23 |
| 17. राजस्थान | 1 | 27 | 33 | 61 |
| 18. तमिलनाडु | 1 | 22 | 133 | 156 |
| 19. त्रिपुरा | 1 | — | 1 | 2 |
| 20. उत्तर प्रदेश | 1 | 57 | 65 | 123 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 1 | 17 | 51 | 69 |
| संघ शासित क्षेत्र | | | | |
| 1. पाँडिचेरी | 1 | — | 1 | 2 |
| 2. दमण और दीव | — | — | — | — |
| जोड़ | 22 | 366 | 1746 | 1234 |

संलग्नक - II क

वर्ष 1997-98 के दौरान पंजीकृत/विपंजीकृत बैंक

क. पंजीकृत

I. वाणिज्य बैंक

1. बैंक मस्कट अल अहली ओमान

II. सहकारी बैंक

राज्य

आन्ध्र प्रदेश (25)

बैंक का नाम

1. सुवर्ण को-आप. अर्बन बैंक लि.
2. मंदापेटा को-आप. टाऊन बैंक लि.
3. श्री गायत्री को-आप. अर्बन बैंक लि.
4. भद्राद्री को-आप. अर्बन बैंक लि.
5. पोचंपल्ली को-आप. अर्बन बैंक लि.
6. दि कन्यका परमेश्वरी को-आप. अर्बन बैंक लि.
7. विजय को-आप. अर्बन बैंक लि.
8. त्रिनिती को-आप. अर्बन बैंक लि.
9. दि हैदराबाद को-आप. अर्बन बैंक लि.
10. आदर्श को-आप. अर्बन बैंक लि.
11. साई को-आप. अर्बन बैंक लि.
12. मेगासिटी को-आप. अर्बन बैंक लि.
13. ए.पी.राजराजेश्वरी महिला को-आप. अर्बन बैंक लि.
14. अपना को आप अर्बन बैंक लि.
15. प्रियदर्शनी अर्बन को आप. बैंक लि.
16. भारत मर्कटाईल को आप. अर्बन बैंक लि.
17. मानस को-आप. अर्बन बैंक लि.
18. वीर शैव को-आप. अर्बन बैंक लि.
19. महानगर को-आप. अर्बन बैंक लि.
20. डक्कन को-आप. अर्बन बैंक लि.
21. समता महिला अर्बन बैंक लि.
22. भवानी ऋषी को-आप. अर्बन बैंक लि.
23. संघमित्र को-आप. अर्बन बैंक लि.
24. श्री सत्य साई को-आप. अर्बन बैंक लि.
25. चैतन्य को-आप. अर्बन बैंक लि.

असम (2)

1. महाभैरव को-आप. बैंक लि.
2. गोलघाट को-आप. अर्बन बैंक लि.

बिहार (1)

1. वैशाली सहकारी विकास को-आप. बैंक लि.

गुजरात (17)

1. शिरोही नागरी सहकारी बैंक लि.
2. घनेरा मर्केन्टाईल को-आप. बैंक लि.
3. स्टैंडर्ड को-आप. बैंक लि.
4. श्री विकास को-आप. बैंक लि.
5. अमरनाथ को-आप. बैंक लि.
6. चावडा नागरी सहकारी बैंक लि.
7. लालबाग को-आप. बैंक लि.
8. अंकलेश्वर उद्योग नगर को-आप. बैंक लि.
9. रॉयल को-आप. बैंक लि.
10. यूनियन कामर्शियल को-आप. बैंक लि.
11. आदर्श महिला को-आप. बैंक लि.
12. सुविकास पीपल्स को-आप. बैंक लि.
13. को-आप बैंक ऑफ मेहसाना लि.
14. राजकोट पीपल्स को-आप. बैंक लि.
15. तापी को-आप. बैंक लि.
16. महिला को-आप. बैंक लि., भरुच
17. क्लासिक को-आप. बैंक लि., अहमदाबाद

गोवा (1)

1. गोवा पीपल्स अर्बन को बैंक लि., पणजी

हिमाचल प्रदेश (1)

1. दि परवानू अर्बन को-आप. बैंक लि., परवानू

जम्मू एवं कश्मीर (1)

1. देविका अर्बन को-आप. बैंक लि., उद्यमपूर

कर्नाटक (21)

1. विकास अर्बन को-आप. बैंक लि., वेलापूर
2. आदर्श पत्ताना सहकारी बैंक नियमित हारापराहल्ली
3. बैलागी अर्बन को-आप. बैंक लि., बैलागी
4. वरदा को-आप. बैंक लि., करजगी, बंगलूर
5. श्री चरण सहकारी बैंक लि.
6. चिकमंगलूर पत्तन सहकारी बैंक नियमित
7. ज्योतिलिंग सहकारी बैंक लि, जलगेरी
8. कर्नाटक कॉर्टेक्टर्स सहकारी बैंक नियमित बंगलूर
9. दैवज्ञ सहकारी बैंक नियमित बेलगाव
10. लोकपवनी महिला सहकारी बैंक लि मंदम
11. श्री महात्मा भसवेश्वर को-आप. बैंक लि.
12. मुद्गल अर्बन को-आप. बैंक लि., मुद्गल
13. महिला शक्ति को-आप. बैंक नियमित बेल्लरी
14. सर एम विश्वेश्वरैअल्ली सहकारी बैंक नियमित
15. कृष्णपत्तन सहकारी बैंक नियमित हलीसागर
16. कनकपत्तन सहकारी बैंक नियमित, दावनगेरे
17. श्री करसिद्धेश्वर पत्तन सहकारी बैंक नियमित

18. सौभाग्य महिला सहकारी बैंक नियमित, गगड
19. शिव सहकारी बैंक नियमित, शिकारपुर
20. अकमहादेवी महिला सहकारी बैंक नियमित बेलगांव
21. अरुघ ज्योति पत्त सहकारी बैंक नियमित, बेलगांव

मध्यप्रदेश (7)

1. रायगढ़ नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, रायगढ़
2. नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित झाबुआ
3. महानगर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भैरागढ़
4. कृष्ण मर्केटाइल को-आप. बैंक लि., भोपाल
5. महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगोने
6. अरिहंत अर्बन को-आप. बैंक लि.
7. महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महासमुंद

महाराष्ट्र (55)

1. मानसिंग को-आप. बैंक लि., सांगली
2. गणरज नागरिक सहकारी बैंक लि., बीड़
3. लोकविकास नागरी सहकारी बैंक लि., औरंगाबाद
4. नागनाथ अर्बन को-आप. बैंक लि., परभणी
5. मनोरमा अर्बन को-आप. बैंक लि., सोलापूर
6. मोहोल अर्बन को-आप. बैंक लि., मोहाल
7. नीलकंठ अर्बन को-आप. बैंक लि., सोलापूर
8. धनश्री महिला सहकारी बैंक लि. मिरज
9. शिराला तालुका अर्बन को-आप. बैंक लि. मर्यादित
10. डा. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित
11. श्रीकृष्ण को-आप. बैंक मर्यादित, उमरेठ
12. इंदिरा महिला नागरी सहकारी बैंक लि, लातूर
13. दि फैज मर्केटाईल को-आप बैंक लि, नाशिक
14. सेवालाल अर्बन को-आप. बैंक लि.
15. परिवर्तन अर्बन को-आप. बैंक लि., मुंबई
16. शाहूपूरी नागरी सहकारी बैंक लि., शाहूपूरी
17. नृसिंग सरस्वती सहकारी बैंक लि., असूरले पुरले
18. राजलक्ष्मी अर्बन को-आप. बैंक लि., नासिक
19. लक्ष्मी अर्बन को-आप. बैंक लि., लातूर
20. जिजामाता महिला को-आप. बैंक लि., लातूर
21. अग्रसेन नागरी सहकारी बैंक लि, अकोला
22. दि ग्रामोदय विकास सहकारी बैंक लि., धुले
23. मराठवाडा नागरी सहकारी बैंक लि., हिंगोली
24. सरस्वती सहकारी बैंक लि., ओझर
25. रहिमतपुर सहकारी बैंक लि., रहिमतपुर
26. नासिक जिल्हा गिरणे सहकारी बैंक लि., कलवा

27. जरदेश्वर सहकारी बैंक लि., सातारा रोड
28. सिंहगड अर्बन को-आप. बैंक लि., पठारी
29. श्री व्यास धनवर्षा सहकारी बैंक लि., यावल
30. सोनापेट नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सोनापेट
31. सत्यशोधक सहकारी बैंक लि., कोल्हापुर
32. श्री बाबासाहेब देशमुख सहकारी बैंक लि., अतपडी
33. वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद
34. इंदापूर अर्बन को-आप. बैंक लि., पुणे
35. राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि., सातारा
36. मुला सहकारी बैंक लि., सोनाली
37. श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-आप. बैंक लि.
38. जालना मर्चंट को-आप. बैंक लि., जालना
39. विद्यानंद अर्बन को-आप. बैंक सोलापुर
40. सोपानकाका सहकारी बैंक मर्यादित, सासवड
41. दिलीप अर्बन को-आप. बैंक लि., बार्शी
42. श्री महावीर अर्बन को-आप. बैंक लि., सोलापुर
43. आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद
44. पिंपरी-चिंचवड सहकारी बैंक मर्यादित, पुणे
45. गडचिरोली नागरी सहकारी बैंक, गडचिरोली
46. किसान नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, परभणी
47. राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., धुले
48. कमला को-आप. बैंक लि., सोलापुर
49. रुक्मिणी सहकारी बैंक लि., गोंडा
50. मार्कंडेय नागरी सहकारी बैंक लि., नांदेड
51. श्री साई अर्बन को-आप. बैंक लि., नांदेड
52. आहिल्यादेवी महिला अर्बन को-आप. बैंक लि., सोलापुर
53. राजीव गांधी सहकारी बैंक लि., लातूर
54. कृष्णा अर्बन को-आप. बैंक लि., केज
55. प्रियदर्शनी अर्बन को-आप. बैंक लि., कलाम

राजस्थान (2)

1. स्टर्लिंग अर्बन को-आप. बैंक लि., जयपुर
2. कोटा महिला सहकारी बैंक लि, कोटा

उत्तर प्रदेश (9)

1. भदोई अर्बन को-आप. बैंक लि., भदोई
2. महोबा अर्बन को-आप. बैंक लि., महोबा
3. नेशनल अर्बन को-आप. बैंक लि., बलीरच
4. शिवालिक मर्केटाईल को-आप. बैंक लि., सहारनपुर
5. यूनाईटेड कामर्शियल को-आप बैंक लि, कानपुर
6. इंडियन को-आप. डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ

7. दि गंगा मर्केटाईल अर्बन को-आप. बैंक लि.
8. नगर सहकारी बैंक लि., इटावा
9. पीपल्स को-आप. बैंक लि., कानपुर

पश्चिम बंगाल (2)

1. दुर्गापुर स्टील पीपल्स को-आप. बैंक लि.
2. समता को-आप. डेवलपमेंट लि., कलकत्ता

ख. विपंजीकृत

I. वाणिज्य बैंक

पंजाब को-आप. बैंक लि.

(दिनांक 07-4-1997 की सरकार की अधिसूचना सं.एफ.17/14/96

बीओए-(I)(II) के अनुसरण में ओरिएंटल बैंक आफ

कामर्स के साथ समामेलित।

II. सहकारी बैंक

राज्य

बैंक का नाम

महाराष्ट्र (2)

1. पीपल्स को-आप. बैंक लि., इचलकरंजी
2. पूना को-आप. बैंक लि., मुंबई

संलग्नक - III

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार और जून 1981 से जून 1996 तक के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

| वर्ष | पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या ^० (लाखों) | खातों की कुल संख्या (लाखों) | (3) के प्रति (2) का प्रतिशत | बीमाकृत जमाशायी ^० (करोड़ रुपये में) | कुल निर्धारणीय जमाशायी ^० (करोड़ रुपये में) | (6) के प्रति (5) का प्रतिशत |
|---------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1961 | 55.42 | 70.58 | 78.5 | 392.32 | 1,693.74 | 23.1 |
| 1981 | 1,364.62 | 1,377.07 | 99.1 | 25,859.20 | 35,004.43 | 73.9 |
| 1982 | 1,580.98 | 1,598.24 | 98.9 | 31,773.92 | 42,360.41 | 75.0 |
| 1983 | 1,784.97 | 1,815.82 | 98.3 | 37,746.39 | 50,796.54 | 74.3 |
| 1984 | 2,000.97 | 2,025.94 | 98.7 | 46,339.53 | 61,880.23 | 74.8 |
| 1985 | 2,145.16 | 2,238.37 | 95.8 | 56,211.15 | 76,517.22 | 73.5 |
| 1986 | 2,320.05 | 2,359.60 | 98.0 | 62,878.13 | 86,213.96 | 72.9 |
| 1987 | 2,518.01 | 2,568.51 | 98.0 | 75,511.19 | 1,03,044.15 | 73.3 |
| 1988-89 | 2,704.87 | 2,780.88 | 97.3 | 90,191.69 | 1,26,864.19 | 71.1 |
| 1989-90 | 3,059.11 | 3,141.68 | 97.4 | 1,01,681.96 | 1,40,745.95 | 72.2 |
| 1990-91 | 2,982.52 | 3,089.12 | 96.5 | 1,09,315.52 | 1,56,891.90 | 69.7 |
| 1991-92 | 3,169.18 | 3,287.00 | 96.4 | 1,27,924.91 | 1,86,307.39 | 68.7 |
| 1992-93 | 3,395.03 | 3,543.02 | 95.8 | 1,64,526.57 | 2,44,375.38 | 67.3 |
| 1993-94 | 3,497.10 | 3,529.03 | 99.1 | 1,68,404.82 | 2,49,033.83 | 67.6 |
| 1994-95 | 4,956.05 | 4,993.99 | 99.2 | 2,66,746.65 | 3,64,057.60 | 73.3 |
| 1995-96 | 4,818.63 | 4,868.07 | 99.0 | 2,95,574.97 | 3,92,071.69 | 75.4 |
| 1996-97 | 4,273.23 | 4,351.26 | 98.2 | 3,37,671.00 | 4,50,674.17 | 74.9 |
| 1997-98 | 3,713.02 | 4,108.73 | 90.4\$ | 3,70,531.21 | 4,92,379.86 | 75.2 |

० खातों की संख्या जिनमें शेषराशियां 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 1981 से 1992-93 तक 30,000 रुपये और 1993-94 के बाद 1,00,000 रुपये से कम रहीं।

\$ 2,438 बीमाकृत बैंकों में से केवल 1,365 बैंकों ने जमाशायियों के कार्रवाई (डीआइ-02 विवरणी) पर आधारित आंकड़े भेजे हैं। शेष बैंकों से इस मामले पर कार्रवाई चल रही है।

संलग्नक - IV

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को (वर्गवार) प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

| वर्ष | बैंकों की श्रेणी | बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या | सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या | बीमाकृत जमाशियाँ (करोड़ रुपये में) | कुल निर्धारण योग्य जमाशियाँ (करोड़ रुपये में) | (6) के प्रति (5) का प्रतिशत |
|---------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1995-96 | I वाणिज्य बैंक | | | | | |
| | i) स्टेट बैंक समूह | 8 | 7 | 79,647.32 | 94,046.17 | 84.69 |
| | ii) सरकारी क्षेत्र | 19 | 17 | 1,47,740.78 | 1,92,612.38 | 76.70 |
| | iii) विदेशी बैंक | 35 | 25 | 6,301.90 | 24,293.30 | 25.94 |
| | iv) निजी बैंक | | | | | |
| | क) अनुसूचित | 38 | 32 | 17,056.62 | 26,036.61 | 65.51 |
| | ख) गैर अनुसूचित | 2 | 2 | 62.45 | 67.52 | 92.94 |
| | जोड़ | 102 | 83 | 2,50,809.07 | 3,37,055.98 | 74.41 |
| | II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 | 160 | 7,643.56 | 8,077.91 | 94.62 |
| | III सहकारी बैंक | 1,824 | 1,380 | 37,122.34 | 46,937.80 | 79.09 |
| | जोड़ I+II+III | 2,122 | 1,623 | 2,95,574.97 | 3,92,071.69 | 75.38 |
| 1996-97 | I वाणिज्य बैंक | | | | | |
| | i) स्टेट बैंक समूह | 8 | 7 | 86,694.48 | 1,09,604.57 | 79.10 |
| | ii) सरकारी क्षेत्र | 19 | 19 | 1,81,227.77 | 2,32,858.23 | 77.83 |
| | iii) विदेशी बैंक | 42 | 25 | 5,719.22 | 24,758.74 | 23.10 |
| | iv) निजी बैंक | | | | | |
| | क) अनुसूचित | 36 | 29 | 18,466.46 | 28,331.31 | 65.18 |
| | ख) गैर-अनुसूचित | 3 | 1 | 1.27 | 1.73 | 73.41 |
| | जोड़ | 108 | 81 | 2,92,109.20 | 3,95,554.58 | 73.84 |
| | II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 | 163 | 9,805.29 | 10,436.05 | 93.96 |
| | III सहकारी बैंक | 1,992 | 1,101 | 35,756.51 | 44,683.54 | 80.02 |
| | जोड़ I+II+III | 2,296 | 1,345 | 3,37,671.00 | 4,50,674.17 | 74.92 |
| 1997-98 | I वाणिज्य बैंक | | | | | |
| | i) स्टेट बैंक समूह | 8 | 7 | 97,216.42 | 1,24,498.03 | 78.08 |
| | ii) सरकारी क्षेत्र | 19 | 17 | 1,83,773.71 | 2,34,991.06 | 78.02 |
| | iii) विदेशी बैंक | 43 | 30 | 6,755.56 | 26,827.12 | 25.18 |
| | iv) निजी बैंक | | | | | |
| | क) अनुसूचित | 35 | 28 | 27,493.12 | 39,960.56 | 68.80 |
| | ख) गैर-अनुसूचित | 3 | - | - | - | - |
| | जोड़ | 108 | 82 | 3,15,238.81 | 4,26,276.77 | 73.95 |
| | II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 196 | 149 | 12,965.62 | 13,795.72 | 93.98 |
| | III सहकारी बैंक | 2,134 | 1,137 | 42,326.78 | 52,307.37 | 80.92 |
| | जोड़ I+II+III | 2,438 | 1,368 | 3,70,531.21 | 4,92,379.86 | 75.25 |

संलग्नक - V

निक्षेप बीमा दावे जो अदा किए गए व जिनके लिए प्रावधान किया गया और जिनकी चुकौती प्राप्त हो गई
- 31 मार्च 1998 की स्थिति

(राशि लाख रुपये)

| क्रम. बैंक का नाम (कोष्ठक में दर्शाया सं. गया है कि दावा किस वर्ष निपटाया गया) | बीमाकृत कुल जमाराशियाँ जिनके लिए भुगतान और प्रावधान किया गया | निगम द्वारा प्राप्त चुकौतियाँ | शेष राशि (3) - (4) |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. वाणिज्य बैंक | | | |
| i) ऐसे बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है | | | |
| \$ 1) बैंक आफ चाइना, कलकत्ता (1963) | 9.25 | 9.25 | — |
| * 2) श्री जादेय शंकर लिंग बैंक लिमिटेड, बीजापुर (1965) | 0.12 | 0.12 | — |
| * 3) बैंक आफ बिहार लि., पटना (1970) | 46.32 | 46.32 | — |
| * 4) कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964) | 7.04 | 7.04 | — |
| * 5) लैटिन क्रिश्चियन बैंक लि., एर्नाकुलम् (1964) | 2.08 | 2.08 | — |
| @ 6) बैंक आफ कराड लि., मुंबई | 3700.00 | 3700.00 | — |
| जोड़ 'क' : | 3764.81 | 3764.81 | — |
| ii) ऐसे बैंकों का विवरण जिनसे निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई और बकाया बट्टे खाते डाल दी गई | | | |
| * 7) यूनिटी बैंक लिमिटेड, मद्रास (1963) | 2.53 | 1.37 (1.16) | — |
| * 8) उन्नाव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, उन्नाव (1964) | 1.08 | 0.31 (0.77) | — |
| * 9) चावला बैंक लि., देहरादून (1969) | 0.18 | 0.14 (0.04) | — |
| * 10) मेट्रोपालिटन बैंक लि., कलकत्ता (1964) | 8.80 | 4.42 (4.38) | — |
| * 11) सदरन बैंक लि., कलकत्ता (1964) | 7.34 | 3.73 (3.61) | — |
| * 12) बैंक आफ अलगपुरी लि., अलगपुरी (1963) | 0.28 | 0.18 (0.10) | — |
| जोड़ 'ख' : | 20.21 | 10.15 (10.06) | — |
| (कोष्ठकों में दर्शाए गए आँकड़े बट्टे खाते डाली गयी राशि को दर्शाते हैं) | | | |

संलग्नक - V (जारी)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|-----------------|------------|----------------|
| iii) ऐसे बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। | | | | |
| * 13) | नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966) | 0.99 (0.85) | 0.88 | 0.11 (0.85) |
| * 14) | हबीब बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1966) | 17.26 (1.18) | 16.78 — | 0.48 (1.18) |
| (कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े समामेलन योजना के अंतर्गत निषिद्ध भुगतानों से सम्बद्ध हैं।) | | | | |
| * 15) | नेशनल बैंक आफ लाहौर लि., दिल्ली (1970) | 9.69 | — | 9.69 |
| * 16) | बैंक आफ कोचीन लि., कोचीन (1986) | 1,162.78 | 694.58 | 468.20 |
| * 17) | मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज (1987) | 146.59 | 67.88 | 77.71 |
| * 18) | लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1987) | 3,340.62 | 784.15 | 2,556.47 |
| * 19) | हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988) | 2,191.67 | 253.66 | 1938.01 |
| * 20) | यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक कलकत्ता (1990) | 3,501.58 | 58.05 | 3,443.53 |
| * 21) | ट्रेडर्स बैंक लि., नई दिल्ली (1990) | 306.34 | 133.88 | 172.46 |
| * 22) | बैंक आफ तंजावुर लि., तंजावुर (1990) | 1,078.36 | 414.51 | 663.85 |
| * 23) | बैंक आफ तमिलनाडु लि. (1990) | 764.50 | 209.37 | 555.13 |
| * 24) | परूर सेंट्रल बैंक लि., नार्थ परूर (1990) | 260.92 | 89.70 | 171.22 |
| * 25) | पूर्वांचल बैंक लि., गुवाहाटी (1990) | 725.77 | 76.56 | 649.21 |
| जोड़ 'ग' : | | 13,507.07 | 2,800.00 | 10,707.07 |
| जोड़ 'क' + 'ख' + 'ग' : | | 17,292.09 | 6,574.96 | 10,707.07 |
| II. सहकारी बैंक | | | | |
| i) ऐसे सहकारी बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है | | | | |
| \$\$ 26) | मालवन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मालवन (1977) | 1.84 | 1.84 | + |
| % 27) | बाम्बे पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुम्बई (1978) | 10.72 | 10.72 | ++ |
| @ 28) | दाधीच सहकारी बैंक लि., मुम्बई (1984) | 18.37 | 18.37 | +++ |
| @ 29) | रामदुर्ग अर्बन को-आप लि., रामदुर्ग (1981) | 2.19 | 2.19 | ++++ |
| जोड़ 'घ' : | | 33.12 | 33.12 | — |
| ii) ऐसे सहकारी बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है | | | | |
| @ 30) | मुम्बई कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुम्बई (1976) | 5.73 | — | 5.73 |
| @ 31) | घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लि., मुम्बई (1977) | 2.76 | — | 2.76 |
| @ 32) | आरे मिल्क कालोनी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुम्बई (1978) | 0.60 | — | 0.60 |

(जारी)

संलग्नक - V (जारी)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------|---------|----------|
| * | 33) रत्नागिरि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी (1978) | 46.43 | 12.42 | 34.01 |
| * | 34) विश्वकर्मा को-आप. बैंक लि., मुम्बई (1979) | 11.57 | 5.60 | 5.97 |
| * | 35) प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., मुम्बई (1979) | 7.02 | 3.06 | 3.96 |
| * | 36) कलाविहार को-आप. बैंक लि., मुम्बई (1979) | 13.17 | 3.31 | 9.86 |
| * | 37) वैश्य को-आप. बैंक लि., बंगलूर (1982) | 91.31 | 12.95 | 78.36 |
| @ | 38) कोल्लूर पार्वती को-आप. बैंक लि., कोल्लूर (1985) | 13.96 | — | 13.96 |
| @ | 39) आदर्श को-आपरेटिव बैंक लि., मैसूर (1985) | 2.74 | 0.65 | 2.09 |
| * | 40) कुर्दूवाडी मर्चेन्ट्स अर्बन को-आप. बैंक लि., कुर्दूवाडी (1986) | 4.85 | 4.10 | 0.84 |
| @ | 41) गदग अर्बन को-आप. बैंक लि., गदग (1986) | 22.85 | 12.16 | 10.69 |
| @ | 42) मणिहाल अर्बन को-आप. क्रेडिट बैंक लि., मणिहाल (1987) | 9.61 | 2.28 | 7.33 |
| @ | 43) हिन्द अर्बन को-आप. क्रेडिट बैंक लि., लखनऊ (1988) | 10.95 | — | 10.95 |
| @ | 44) येलामंचिली को-आप. बैंक., येलामंचिली (1990) | 4.36 | — | 4.36 |
| @ | 45) वसावी को-आप. अर्बन बैंक लि., गुरजाला (1991) | 3.89 | — | 3.89 |
| @ | 46) कुंडारा को-आप. अर्बन बैंक लि., कुंडारा (1991) | 17.37 | 8.62 | 8.75 |
| @ | 47) मनोली श्री पंचलिंगेश्वर अर्बन को-आप. बैंक लि., मनोली (1991) | 17.44 | 9.39 | 8.05 |
| @ | 48) सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि., बड़ौदा (1991) | 74.85 | 6.00 | 68.85 |
| @ | 49) मैट्रोपालिटन को-आप. बैंक लि., मुंबई (1992) | 125.00 | — | 125.00 |
| * | 50) बेलगांव मुस्लिम को-आप. बैंक लि., बेलगांव (1993) | 37.11 | 1.64 | 35.47 |
| @ | 51) भद्रावती टाउन को-आप. बैंक लि., भद्रावती (1994) | 0.26 | — | 0.26 |
| @ | 52) भिलोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लि., भिलोड़ा (1994) | 19.84 | — | 19.84 |
| @ | 53) सिटीजन्स अर्बन को-आप. बैंक लि., इन्दौर (1994) | 220.57 | — | 220.57 |
| @ | 54) चेतना को-आप. बैंक लि., मुम्बई (1995) | 875.49 | 7.58 | 867.91 |
| @ | 55) बीजापुर इंडस्ट्रियल को-आप. बैंक लि., हुबली (1996) | 24.73 | — | 24.73 |
| @ | 56) हिन्दुपुर को-आप. टाउन बैंक लि., हिन्दुपुर (1996) | 1.09 | — | 1.09 |
| @ | 57) द पीपल्स को-आप. बैंक लि., इचलकरंजी (1996) | 365.40 | — | 365.40 |
| @ | 58) दि स्वास्तिक जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई (1996) | 225.92 | — | 225.92 |
| | जोड़ 'ड' : | 2256.93 | 89.67 | 2167.26 |
| | जोड़ 'घ' + 'ड' : | 2290.05 | 122.79 | 2167.26 |
| | जोड़ 'क' + 'ख' + 'ग' + 'घ' + 'ड' : | 19582.14** | 6697.75 | 12874.33 |

\$ बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया।

\$\$ बैंक ने पुनः कार्यारम्भ किया तथा स्वेच्छापूर्वक 1984 में सारस्वत को-आप. बैंक में समामेलित हुआ।

* समामेलन योजना

@ परिसमापन में लिए गए बैंक

+ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.02 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 2.07 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

+++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.14 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

++++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.11 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

% बैंक स्वेच्छापूर्वक 1987 में सारस्वत को-आप. बैंक लिमिटेड में समामेलित हुआ।

** कालम 3 की राशि में बैंक आफ कराड़ लि., को (37.00 करोड़ रुपये) और मैट्रोपालिटन को-आप. बैंक को (1.25 करोड़ रुपये) किया गया आन एकाउण्ट भुगतान भी शामिल है (दोनों परिसमापनाधीन)।

टिप्पणी : ऊपर दिये गये दावों के आँकड़े समायोजन बाद के हैं।

संलग्नक - VI

लघु उधारकर्ताओं के लिए निगम की ऋण गारंटी योजना में सहभागी ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1998 को वर्गानुसार स्थिति

| गारंटी योजना का नाम | 31 मार्च 1997 को सहभागियों की कुल संख्या | | | | अप्रैल 1997-मार्च 1998 अवधि के दौरान शामिल होनेवाली (+)/अलग होनेवाली(-)/हटा दी गयी (-) ऋण संस्थाएं | | | | 31 मार्च 1998 को सहभागियों की कुल संख्या | | | |
|--|--|------------------------|-------------|------|--|------------------------|-------------|--------|--|------------------------|-------------|------|
| | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी बैंक | जोड़ | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी बैंक | जोड़ | वाणिज्य बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | सहकारी बैंक | जोड़ |
| 1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | 15 | 21 | — | 36 | (-) 9 | (-) 8 | — | (-) 17 | 6 | 13 | — | 19 |
| 2. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 | 14 | 17 | 47 | 78 | (-) 7 | (-) 8 | (-) 9 | (-) 24 | 7 | 9 | 38* | 54 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| * स्टेट को-आपरेटिव बैंक | 1 |
| सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक | 26 |
| प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक | 11 |
| | <u>38</u> |

संलग्नक - VII

वर्ष 1997-98 के दौरान सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची से बाहर हुए/हटाए गये बैंकों के योजनावार नाम

क. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

क्र. सं. संस्था का नाम

i) वाणिज्य बैंक

बाहर गये बैंक

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया
2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
3. आन्ध्रा बैंक
4. देना बैंक
5. पंजाब नेशनल बैंक
6. सिंडिकेट बैंक
7. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक
8. नैनीताल बैंक
9. पंजाब को-आप. बैंक लि.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बाहर हो गये बैंक

10. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11. काचर ग्रामीण बैंक
12. चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13. जयपुर नागौर आंचलिक बैंक
14. कोरापुत पांचबत्ती ग्राम्य बैंक
15. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
17. सुबनसीरी गौलियां बैंक

क. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981

क्र. सं. संस्था का नाम

i) वाणिज्य बैंक

बाहर हो गये बैंक

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया
2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
3. आन्ध्रा बैंक
4. देना बैंक
5. पंजाब नेशनल बैंक
6. सिंडिकेट बैंक

संलग्नक - VII (जारी)

7. नैनीताल बैंक

ख. लघु ऋण गारंटी योजना 1971

क्र. सं. संस्था का नाम

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बाहर हो गये बैंक

8. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
9. काचर ग्रामीण बैंक
10. चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11. जयपुर नागौर आंचलिक बैंक
12. कोरापूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
14. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
15. सुबनसीरी गौलियां बैंक

iii) सहकारी बैंक

बाहर हो गये बैंक

16. जम्मू सेन्ट्रल को-आप. बैंक लि.
17. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आप. बैंक लि.
18. रायगड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आप. बैंक लि.
19. वर्धा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आप. बैंक लि.
20. सालेम अर्बन को-आप. बैंक लि.

हटाये गये

21. चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आप. बैंक लि.
22. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आप. बैंक लि.
23. कन्नूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आप. बैंक लि.
24. परमकुडी को-आप. अर्बन बैंक लि.

संलग्नक - VIII

निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| योजना/उधारकर्ता की श्रेणी | जून के अंत की स्थिति | | | | | | | मार्च के अंत की स्थिति | | | | | | | कुल के प्रति 16 का % | |
|---|----------------------|---------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | 1972 | 1981 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 ^a | 1990 ^a | 1991 ^a | 1992 ^a | 1993 ^a | 1994 ^a | 1995 ^a | 1996 ^a | 1997 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| लघु उधारकर्ता | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) गैर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. लघु ऋण गारंटी योजना 1971 | 205.71 | 3546.24 | 7045.38 | 10345.10 | 10998.22 | 14145.67 | 25562.66 | 27676.73 | 29166.66 | 24429.24 | 26339.75 | 25474.28 | 18906.40 | 17260.80 | 3938.80 | 100.00 |
| i) कृषक और कारखानेदार | 134.67 | 2267.52 | 4181.98 | 6020.34 | 6428.29 | 8504.48 | 10542.04 | 18565.55 | 19788.04 | 16572.80 | 17868.89 | 17075.41 | 12364.79 | 11335.17 | 2566.92 | 65.67 |
| ii) परिवहन चालक | 28.29 | 477.56 | 1239.58 | 1606.00 | 1664.73 | 1665.58 | | | | | | | | | | |
| iii) खुदरा व्यापारी | 28.34 | 398.86 | 709.84 | 1191.85 | 1257.99 | 1795.38 | | | | | | | | | | |
| iv) व्यवसायी व स्वनि. व्यक्ति | 9.14 | 165.66 | 326.94 | 656.56 | 700.15 | 964.99 | 14519.56 ^b | 8727.03 ^b | 8973.00 ^b | 7514.44 ^b | 8102.11 ^b | 7840.98 ^b | 6172.94 ^b | 5632.20 ^b | 1315.95 | 33.41 |
| v) व्यावसायिक उद्यम | 5.27 | 150.08 | 322.51 | 609.51 | 694.64 | 923.18 | | | | | | | | | | |
| vi) विभेदक व्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की शेष श्रेणी | — | 86.56 | 264.53 | 260.84 | 252.42 | 292.06 | 501.06 | 384.15 | 405.62 | 342.00 | 368.75 | 557.89 | 368.67 | 293.43 | 55.93 | 1.42 |
| II. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 | 2.56 | 10.89 | 52.68 | 85.19 | 92.28 | 108.68 | 2.70 | 4.17 | — | # | # | # | # | # | | |
| III. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 | 0.12 | 1.32 | 0.50 | 0.72 | 0.72 | 1.84 | 0.20 | 0.44 | 0.39 | # | # | # | # | # | | |
| IV. लघु ऋण (सह. बैंक) गारंटी योजना, 1984 | — | — | 5.69 ^c | 14.96 | 25.00 | 35.19 | | | | | | | | | | |
| i) परिवहन चालक | — | — | 1.84 | 5.49 | 8.54 | 13.31 | | | | | | | | | | |
| ii) खुदरा व्यापारी | — | — | 2.64 | 5.53 | 7.67 | 8.51 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20.70 ^d | 10.98 ^d | 13.77 ^d | 14.34 ^d | 8.08 ^d | 9.59 ^d | 2.33 ^d | 0.19 ^d | 0.21 ^d | — |
| iii) व्यवसायी और स्वनि. व्यक्ति | — | — | 1.05 | 1.87 | 4.08 | 6.74 | | | | | | | | | | |
| iv) व्यावसायिक उद्यम | — | — | 0.16 | 2.07 | 4.71 | 6.63 | | | | | | | | | | |
| जोड़ I, II, III व IV | 208.39 | 3558.45 | 7104.25 | 10445.97 | 11116.22 | 14291.38 | 25586.26 | 27692.32 | 29180.82 | 24443.58 | 26347.83 | 25483.87 | 18909.73 | 17260.99 | 3939.01 | 100.00 |

संलग्नक - VIII (जारी)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| लघु उद्योग उधारकर्ता (ख) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना V. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 कुटीर उद्योगों आदि सहित सभी लघु उद्योग यूनिट | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 3716.43* | 4890.86 | 7497.46 | 7738.03 | 10464.66 | 14094.00 | 16826.21 | 17362.36 | 19161.92 | 15502.66 | 14176.95 | 13847.33 | 11271.33 | 3376.00 | | |
| सकल जोड़ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) + (ख) | 208.39 | 7274.88 | 11995.11 | 17943.43 | 18854.25 | 24756.04 | 39680.26 | 44518.53 + | 46543.18+ | 43605.50 | 41850.49 | 39660.82 | 32757.06 | 28532.32 | 7315.01 | |

* 31 मार्च 1981 की स्थिति के अनुसार

* 31 दिसम्बर 1984 की स्थिति के अनुसार

^ विभिन्न सहभागी ऋण संस्थाओं से विवरण नहीं प्राप्त होने के कारण इन कालों में दर्शाए गए आँकड़े (1) वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के रूप में प्रेषणों से वास्तविक प्राप्तियों (2) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की निवेश सूची के आकलनों पर आधारित हैं।

\$ गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

+ वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए ऋण संस्थाओं को कुछ श्रेणी के अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल न करने की अनुमति दिये जाने के कारण 31 मार्च 1990 और 1991 के गारंटीकृत अग्रिमों के संशोधित अनंतिम आँकड़े क्रमशः 35851.33 करोड़ रुपये और 37410.16 करोड़ रुपये हैं।

1 अप्रैल 1992 से समाप्त।

संलग्नक - IX

लघु ऋणकर्ताओं के संबंध में निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

| अवधि | प्राप्त दावे | | निपटारे गये दावे | | (कॉलम 4 और 5) के अनुसार निपटारे गये दावों में से | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|------------------|---------|--|---------|-------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | | अदा किये गये दावे | | वापस लिए गये दावे | | अस्वीकृत दावे | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1983 के अंत तक | 5,70,724 | 110.46 | 4,07,510 | 66.07 | 3,92,223 | 57.67 | 5,692 | 2.08 | 9,595 | 6.32 |
| 1984 के दौरान | 2,54,692 | 61.71 | 2,36,625 | 32.09 | 2,28,419 | 30.99 | 741 | 0.22 | 7,465 | 0.88 |
| 1985 के दौरान | 4,53,722 | 114.91 | 4,66,611 | 114.45 | 3,36,663 | 71.80 | 1,19,770 | 41.97 | 10,178 | 0.68 |
| 1986 के दौरान | 6,30,365 | 140.94 | 6,44,090 | 176.39 | 4,84,852 | 86.86 | 1,47,419 | 87.18 | 11,819 | 2.35 |
| 1987 के दौरान | 10,71,221 | 255.27 | 7,67,080 | 148.41 | 7,42,061 | 141.92 | 25 | 0.07 | 24,994 | 6.42 |
| 1988-89 के दौरान | 15,28,391 | 364.08 | 12,90,945 | 280.61 | 12,60,266 | 272.29 | 515 | 0.11 | 30,164 | 8.21 |
| 1989-90 के दौरान | 15,03,349 | 355.75 | 15,98,791 | 346.58 | 15,72,389 | 338.58 | 1,209 | 0.30 | 25,193 | 7.70 |
| 1990-91 के दौरान | 20,87,562 | 505.05 | 19,00,904 | 427.17 | 18,62,697 | 4,15.35 | 4,202 | 1.42 | 34,005 | 10.40 |
| 1991-92 के दौरान | 16,52,076 | 409.97 | 15,91,028 | 360.14 | 15,39,574 | 345.06 | 4,421 | 1.58 | 47,033 | 13.50 |
| 1992-93* के दौरान | 36,81,272* | 883.29 | 24,92,375 | 565.95 | 24,08,086 | 538.63 | 62 | 0.06 | 84,227 | 27.26 |
| 1993-94* के दौरान | 46,72,885* | 11670.60 | 33,58,702 | 1026.36 | 32,88,353 | 816.44 | 5,782 | 188.79 | 64,567 | 21.13 |
| 1994-95* के दौरान | 47,93,205* | 1348.11 | 39,11,870 | 1100.26 | 38,60,522 | 1078.15 | 3,428 | 0.88 | 47,920 | 21.23 |
| 1995-96* के दौरान | 62,64,590* | 1841.06 | 35,09,601 | 1031.42 | 34,52,981 | 1006.28 | 738 | 1.53 | 55,882 | 23.61 |
| 1996-97* | 59,97,049* | 1842.05 | 13,11,663 | 402.89 | 12,58,230 | 373.40 | | | 53,433 | 29.49 |
| जोड़ "क" | 3,51,61,103 | 9400.25 | 2,34,87,795 | 6078.79 | 2,26,87,316 | 5573.42 | 2,94,004 | 326.19 | 5,06,475 | 179.18 |

(जारी)

संलग्नक - IX (जारी)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--------------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|-----------|----------|--------|
| 1997-98 के दौरान | | | | | | | | | | |
| 1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | 5,40,971 ^७ | 183.90 ^७ | 11,79,328 | 400.90 | 11,35,571 | 371.40 | 1 | — | 43,758 | 29.50 |
| 2. लघु ऋण (वित्तीय कंपनी) गारंटी योजना, 1971 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. लघु ऋण (सह. बैंक) गारंटी योजना, 1984 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| जोड़ "ख" (1 + 2 + 3) | 5,40,971 ^७ | 183.90 ^७ | 11,79,328 | 400.90 | 11,35,571 | 371.40 | 1 | — | 43,758 | 29.50 |
| समस्त (क + ख) | 3,57,02,074 ^७ | 9584.15 ^७ | 2,46,67,123 | 6479.69 | 2,38,22,887 | 5944.82 | 2,94,005 | 326.19 | 5,30,231 | 208.68 |
| मार्च 1997 का वापस किये गये टेप "ग" | | | 23,68,384 \$ | 707.21 \$ | | | 23,68,384 \$ | 707.21 \$ | | |
| अप्रैल 1997-मार्च 1998 के दौरान | | | 3,61,308 | 122.82 \$ | | | 3,61,308 \$ | 122.82 \$ | | |
| सकल जोड़ (क + ख + ग) | 3,57,02,074 ^७ | 9584.15 ^७ | 2,73,96,815 | 7309.72 | 2,38,22,887 | 5944.82 | 30,23,697 | 1156.22 | 5,50,231 | 208.68 |

विचाराधीन दावों का विवरण

| | संख्या | करोड़ रुपये |
|---|------------------------|----------------------|
| 1 दावों पर कार्रवाई की गयी परन्तु विभिन्न कारणों से भुगतान रोका गया | 9,41,577 | 359.33 |
| 2. कार्रवाई/स्पष्टीकरण के अधीन दावे | 73,63,682 ^७ | 1915.10 ^७ |
| जोड़ | 83,05,259 ^७ | 2274.43 ^७ |

\$ मौद्रिक टेप पर प्रस्तुत किये गए उन दावों की संख्या और मूल्य राशि जो टेप पाठन त्रुटि आदि के कारण बैंको को लौटा दिए गये तथा जब ये दावे पुनः प्राप्त होंगे तो इन्हें नया दावा माना जाएगा।

^७ अनंतिम

— गण्य

टिप्पणी : विचाराधीन दावों के विवरण में दर्शाया गया दावों का जोड़, प्राप्ति कालम के सकल जोड़ और निपटारे गए दावों के कालम का अंतर सूचित करता है। वर्ष 1997-98 के लिये दावों की कुल संख्या को निपटारे गए दावों के औसत मूल्य से गुणा करके इस मूल्य का आकलन किया गया है।

* वर्ष 1997-98 के दौरान योजना के अंतर्गत 0.03 करोड़ रुपये के 31 दावे प्राप्त हुए किंतु सभी अपात्र पाये गये।

संलग्नक - X

लघु उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | उधारकर्ताओं की श्रेणी | 31 मार्च 1997 तक प्राप्त कुल दावे | | अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के दौरान प्राप्त दावे | | कॉलम 5 की कुल संख्या की प्रतिशतता | कॉलम 6 की कुल राशि की प्रतिशतता | 31 मार्च 1998 तक संचयी जोड़ | | कॉलम 10 की कुल राशि की प्रतिशतता |
|----------|--|-----------------------------------|---------|---|--------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------------|
| | | संख्या@ | राशि@ | संख्या@ | राशि@ | | | संख्या@ | राशि@ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | कृषक और काश्तकार | 1,70,14,334 | 4320.55 | 2,84,442 | 92.54 | 52.58 | 50.32 | 1,72,98,776 | 4413.09 | 46.05 |
| 2. | परिवहन चालक | 12,09,772 | 721.65 | 18,393 | 11.53 | 3.40 | 6.27 | 12,28,165 | 733.18 | 7.65 |
| 3. | खुदरा व्यापारी | 97,09,769 | 2756.84 | 1,45,413 | 49.86 | 26.88 | 27.11 | 98,55,182 | 2806.70 | 29.28 |
| 4. | व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति | 27,16,013 | 712.84 | 36,516 | 12.87 | 6.75 | 7.00 | 27,52,529 | 725.71 | 7.57 |
| 5. | कारोबारी उद्यम | 27,00,217 | 701.45 | 47,119 | 15.26 | 8.71 | 8.30 | 27,47,336 | 716.71 | 7.48 |
| 6. | विभेदक व्याजदर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की शेष श्रेणी | 16,98,370 | 157.05 | 7,249 | 0.99 | 1.34 | 0.54 | 17,05,619 | 158.04 | 1.65 |
| 7. | उपभोग और मकान की खरीद या निर्माण हेतु ऋण सुविधाएँ | 1,12,628 | 29.87 | 1,839 | 0.85 | 0.34 | 0.46 | 1,14,467 | 30.72 | 0.32 |
| | कुल | 3,51,61,103 | 9400.25 | 5,40,971 | 183.90 | 100.00 | 100.00 | 3,57,02,074 | 9584.15 | 100.00 |

@ अनंतिम

संलग्नक - XI

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

| अवधि | प्राप्त दावे | | निपटारे गये दावे | | अदा किये गये दावे | | निपटारे गये दावों में से वापस लिए गये दावे/ आपत्तिवाले लौटाये गये दावे | | निरस्त दावे | | वर्ष के अंत में विचाराधीन दावे | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981 | 1,308 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,308 | 1.74 |
| 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982 | 4,013 | 9.40 | 3,105 | 2.13 | 1,542 | 0.37 | 1,537 | 1.72 | 26 | 0.04 | 2,216 | 9.01 |
| 1 जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983 | 9,325 | 32.58 | 7,328 | 12.93 | 5,184 | 3.43 | 2,066 | 9.00 | 78 | 0.50 | 4,213 | 28.66 |
| 1 जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984 | 18,300 | 53.98 | 9,522 | 13.73 | 7,855 | 9.91 | 1,610 | 2.92 | 57 | 0.90 | 12,991 | 68.91 |
| 1 जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985 | 22,048 | 71.99 | 22,791 | 25.08 | 18,264 | 12.06 | 4,116 | 11.61 | 411 | 1.41 | 12,248 | 115.82 |
| 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986 | 33,723 | 104.92 | 30,299 | 67.07 | 19,695 | 24.10 | 10,261 | 40.30 | 343 | 2.67 | 15,672 | 153.67 |
| 1 जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987 | 44,711 | 131.68 | 40,206 | 88.16 | 38,099 | 69.09 | 1,580 | 8.26 | 527 | 10.81 | 20,177 | 197.19 |
| 1 जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989 (15 माह) | 93,716 | 216.90 | 81,351 | 156.56 | 67,002 | 92.78 | 13,542 | 48.54 | 807 | 15.24 | 32,542 | 257.53 |
| 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 | 74,894 | 192.58 | 1,01,579 | 368.08 | 82,046 | 169.96 | 16,971 | 126.85 | 2,562 | 71.27 | 5,857 | 82.03 |
| 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991 | 83,809 | 243.71 | 76,148 | 249.25 | 65,694 | 131.81 | 8,968 | 71.53 | 1,486 | 45.91 | 13,518 | 76.49 |
| 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 | 78,447 | 217.26 | 80,510 | 255.67 | 66,728 | 117.23 | 12,825 | 106.83 | 957 | 31.61 | 11,455 | 38.08 |
| 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1993 | 1,29,968 | 259.98 | 1,18,147 | 243.21 | 1,00,751 | 94.92 | 16,261 | 110.35 | 1,135 | 37.94 | 23,276 | 54.85 |
| 1 अप्रैल 1993 से 31 मार्च 1994 | 1,44,165 | 323.16 | 1,23,031 | 287.72 | 93,008 | 73.55 | 25,728 | 162.22 | 4,295 | 51.95 | 44,410 | 90.29 |
| 1 अप्रैल 1994 से 31 मार्च 1995 | 1,89,593 | 378.71 | 1,92,791 | 409.31 | 1,53,743 | 100.86 | 34,446 | 235.51 | 4,602 | 72.94 | 41,212 | 59.69 |
| 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 1996 | 1,91,034 | 524.17 | 1,55,448 | 308.01 | 78,857 | 35.99 | 69,005 | 180.39 | 7,586 | 91.63 | 76,798 | 275.85 |
| 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 1997 | 1,81,423 | 270.32 | 1,01,098 | 291.49 | 6,967 | 5.24 | 72,715 | 193.59 | 21,416 | 92.66 | 94,123 | 254.68 |
| 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 1998 | 31,981 | 120.06 | 52,241 | 220.78 | — | — | 34,504 | 98.12 | 17,737 | 122.66 | 73,863 | 153.96 |
| जोड़ | 12,69,458 | 3153.14 | 11,95,595 | 2999.18 | 8,05,435 | 941.30 | 3,26,135 | 1407.74 | 64,025 | 650.14 | | |

31 मार्च 1998 को विचाराधीन दावों की शाखावार स्थिति

(राशि करोड़ रुपये)

| | संख्या | राशि |
|-------------|---------------|---------------|
| कलकत्ता | 23,922 | 82.99 |
| चेन्नई | 1,166 | 3.54 |
| नागपुर | 382 | 2.08 |
| नई दिल्ली | 48,393 | 65.35 |
| जोड़ | 73,863 | 153.96 |

संलग्नक - XII

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के दौरान दावों की राशिवार प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

| दावा राशि | 31 मार्च 1997 को विचाराधीन दावे | | वर्ष के दौरान प्राप्ति | | वर्ष के दौरान निपटान | | | | | | वर्ष के दौरान कुल निपटान | | 31 मार्च 1998 को विचाराधीन दावे | |
|---|---------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|----------|--|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | | अदा किये गये दावे | | वापस लिए गए दावे/ आपत्तिवाले लौटाये गये दावे | | निरस्त दावे | | | | | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 25,000 रुपये तक | 70,468 | 40.72 | 25,565 | 13.59 | — | — | 27,681 | 11.57 | 11,073 | 0.92 | 38,754 | 12.49 | 57,279 | 41.82 |
| 25,000 रुपये से अधिक और 1.00 लाख रुपये तक | 19,372 | 65.95 | 4,559 | 14.63 | — | — | 4,897 | 18.88 | 4,623 | 14.67 | 9,520 | 33.55 | 14,411 | 47.03 |
| 1.00 लाख रुपये से अधिक और 5.00 लाख रुपये तक | 3,427 | 69.15 | 1,141 | 26.93 | — | — | 1,534 | 32.83 | 1,205 | 27.89 | 2,739 | 60.72 | 1,829 | 35.36 |
| 5.00 लाख रुपये से अधिक और 8.00 लाख रुपये तक | 381 | 23.85 | 309 | 19.96 | — | — | 196 | 12.28 | 348 | 22.38 | 544 | 34.66 | 146 | 9.15 |
| 8.00 लाख रुपये से अधिक | 475 | 55.01 | 407 | 44.95 | — | — | 196 | 22.56 | 488 | 56.80 | 684 | 79.36 | 198 | 20.60 |
| जोड़ : | 94,123 | 254.68 | 31,981 | 120.06 | — | — | 34,504 | 98.12 | 17,737 | 122.66 | 52,241 | 220.78 | 73,863 | 153.96 |

संलग्नक - XIII

वर्ष 1981 से 1997-98 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क का योजनावार विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

| योजना | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|--|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | (15 माह) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | 23.29 | 30.50 | 35.70 | 47.69 | 69.00 | 79.56 | 101.51 | 389.32 | 331.90 | 351.44 | 431.74 | 665.36 | 631.64 | 496.90 | 396.43 | 112.70 |
| 2. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना 1971 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.36 | 0.55 | 0.39 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना 1970 | | | | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
| 4. लघु ऋण (सह. बैंक) गारंटी योजना, 1984 | — | — | — | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | — |
| 5. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 | 16.87 | 27.09 | 35.22 | 39.85 | 57.61 | 65.08 | 89.79 | 204.07 | 192.59 | 214.23 | 270.83 | 180.61 | 197.35 | 207.71 | 167.58 | 52.21 |
| जोड़ : | 40.21 | 57.67 | 71.17 | 87.91 | 127.25 | 145.17 | 191.89 | 593.83 | 524.72 | 565.88 | 702.78 | 846.09 | 829.13 | 704.64 | 564.02 | 164.91 |

| | | | |
|------|-------------|---------|-------------|
| 1981 | रु.39,000/- | 1984 | रु.25,000/- |
| 1982 | रु.73,000/- | 1986 | रु.1,000/- |
| 1983 | रु.14,000/- | 1987 | रु.7,000/- |
| | | 1988-89 | रु.58,000/- |

ये योजनाएँ 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दी गई हैं।

संलग्नक - XIV

31 मार्च 1997 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि से निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | विवरण | निक्षेप बीमा निधि | | | | | ऋण गारंटी निधि | | | | सामान्य निधि | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| | | दर | अंकित मूल्य | बही मूल्य | दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत | अंकित मूल्य | बही मूल्य | दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत | अंकित मूल्य | बही मूल्य | दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (क) जिन प्रतिभूतियों में मूल्यहास हुआ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 75002 6.50% ऋण 2003 | 81.71 | 2.66 | 2.66 | 2.17 | 81.58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | 76004 6.50% ऋण 2002 | 81.71 | 9.80 | 8.36 | 8.01 | 95.81 | 00.20 | 00.17 | 0.16 | 94.11 | — | — | — | — |
| 3. | 78002 6.75% ऋण 2006 | 73.59 | 18.86 | 18.86 | 13.88 | 73.60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 78007 6.75% ऋण 2007 | 69.22 | 1.12 | 1.12 | 00.78 | 69.64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | 79002 7% ऋण 2009 | 68.94 | 40.68 | 40.71 | 28.04 | 68.88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. | 80003 7.50% ऋण 2010 | 71.02 | 58.45 | 56.48 | 41.51 | 73.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. | 81005 8% ऋण 2011 | 73.21 | 135.83 | 126.03 | 99.44 | 78.90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. | 82005 9% ऋण 2013 | 78.38 | 116.13 | 114.27 | 91.02 | 79.65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. | 82013 8.75% ऋण 2010 | 78.06 | 3.79 | 3.78 | 2.95 | 78.04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. | 83004 10% ऋण 2014 | 84.99 | 84.22 | 84.09 | 71.58 | 85.12 | 01.40 | 1.37 | 1.19 | 86.86 | 5.37 | 5.38 | 4.57 | 84.94 |
| 11. | 84002 9.50% ऋण 2008 | 84.89 | 23.84 | 23.61 | 20.24 | 85.72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. | 84005 10.25% ऋण 2012 | 87.36 | 39.57 | 39.62 | 34.57 | 87.25 | — | — | — | — | 10.26 | 10.27 | 8.96 | 87.24 |
| 13. | 84010 10.50% ऋण 2014 | 88.25 | 55.98 | 55.96 | 49.40 | 88.27 | — | — | — | — | 7.39 | 7.38 | 6.52 | 88.34 |
| 14. | 85006 10.50% ऋण 2005 | 94.24 | — | — | — | — | 3.43 | 3.43 | 3.23 | 96.70 | — | — | — | — |
| 15. | 85007 11.50% ऋण 2015 | 95.37 | 87.12 | 87.14 | 83.09 | 95.35 | — | — | — | — | 11.10 | 11.12 | 10.58 | 95.14 |
| 16. | 86007 11.50% ऋण 2006 | 98.01 | 105.85 | 107.04 | 103.81 | 96.98 | — | — | — | — | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 98.00 |
| 17. | 87006 11% ऋण 2002 | 99.12 | 36.00 | 35.79 | 35.69 | 99.72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. | 87011 11.50% ऋण 2007 | 96.29 | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 100.00 | 00.75 | 00.77 | 00.72 | 93.50 | — | — | — | — |
| 19. | 89009 11.50% ऋण 2009 | 96.11 | 156.70 | 156.99 | 150.60 | 95.93 | 55.28 | 55.29 | 53.13 | 96.09 | — | — | — | — |
| 20. | 90008 10.75% ऋण 2000 | 99.86 | — | — | — | — | 5.00 | 5.13 | 4.99 | 97.27 | — | — | — | — |
| 21. | 91012 11.50% ऋण 2011 | 95.80 | 83.62 | 82.60 | 80.11 | 96.98 | 6.38 | 6.18 | 6.11 | 98.86 | — | — | — | — |
| 22. | 91018 11% ऋण 2000 | 99.12 | 00.50 | 00.52 | 00.50 | 96.15 | 00.25 | 0.26 | 0.25 | 96.15 | — | — | — | — |
| 23. | 91019 11.50% ऋण 2006 | 97.19 | 5.84 | 5.84 | 5.68 | 97.26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24. | 91020 12% ऋण 2011 | 99.00 | 121.45 | 121.12 | 120.24 | 99.27 | 303.66 | 301.21 | 300.63 | 99.80 | — | — | — | — |
| 25. | 92005 12.75% ऋण 2002 | 104.63 | 6.91 | 7.28 | 7.22 | 99.17 | 18.17 | 19.49 | 19.01 | 97.53 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 100.00 |
| 26. | 92005 12.30% ऋण 1998 | 101.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00 |
| | 93006 13.12% ऋण 2000 | 104.25 | 3.37 | 3.62 | 3.52 | 97.23 | 10.17 | 10.81 | 10.60 | 98.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00 |
| 27. | 93007 13.12% ऋण 1999 | 102.43 | 1.55 | 1.68 | 1.59 | 94.64 | 13.49 | 14.28 | 13.81 | 95.30 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 94.73 |

(जारी)

संलग्नक - XIV (जारी)

31 मार्च 1997 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि से निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | विवरण | निक्षेप बीमा निधि | | | | | ऋण गारंटी निधि | | | | सामान्य निधि | | | |
|----------|----------------------|-------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| | | दर | अंकित मूल्य | बही मूल्य | दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत | अंकित मूल्य | बही मूल्य | दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत | अंकित मूल्य | बही मूल्य | दर के अनुसार मूल्य | बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 28. | 94004 12% ऋण 1999 | 101.39 | — | — | — | — | 32.13 | 32.82 | 32.58 | 99.26 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 98.05 |
| 29. | 94005 12.35% ऋण 2004 | 103.31 | 4.91 | 5.12 | 5.08 | 99.22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30. | 94006 12.08% ऋण 2001 | 102.47 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31. | 94007 11.64% ऋण 2000 | 101.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 98.88 |
| 32. | 94010 11.55% ऋण 2002 | 100.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100.00 |
| 33. | 95005 13.80% ऋण 2002 | 107.94 | — | — | — | — | 5.00 | 5.48 | 5.40 | 98.54 | — | — | — | — |
| 34. | 95010 13.65% ऋण 1998 | 100.00 | 20.52 | 20.57 | 20.52 | 99.75 | 126.84 | 127.21 | 126.84 | 99.71 | — | — | — | — |
| 35. | 95020 13.85% ऋण 2000 | 106.88 | — | — | — | — | 50.40 | 54.10 | 53.87 | 99.57 | — | — | — | — |
| 36. | 96001 13.65% ऋण 1999 | 102.70 | — | — | — | — | 23.02 | 23.97 | 23.69 | 98.83 | — | — | — | — |
| 37. | 96006 13.50% ऋण 1998 | 100.00 | 40.17 | 40.22 | 40.17 | 99.87 | 107.59 | 107.71 | 107.59 | 99.88 | — | — | — | — |
| 38. | 96007 13.75% ऋण 2001 | 106.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 100.00 |
| 39. | 96014 13.62% ऋण 1998 | 100.00 | 43.02 | 43.50 | 43.02 | 98.89 | 9.73 | 9.85 | 9.73 | 98.78 | — | — | — | — |
| 40. | 96018 13.55% ऋण 2001 | 107.15 | 5.00 | 5.48 | 5.36 | 97.81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41. | 96019 13.40% ऋण 1999 | 104.51 | 21.54 | 22.73 | 22.51 | 99.03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42. | 97005 12.14% ऋण 2000 | 102.30 | — | — | — | — | 50.21 | 51.50 | 51.37 | 99.74 | — | — | — | — |
| 43. | 97007 12.59% ऋण 2004 | 104.33 | 90.62 | 94.84 | 94.54 | 99.68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44. | 97008 11.83% ऋण 2003 | 101.61 | 54.19 | 55.65 | 55.06 | 98.94 | 42.13 | 43.22 | 42.80 | 99.02 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100.00 |
| 45. | 97009 10.85% ऋण 2001 | 99.40 | — | — | — | — | 35.54 | 35.73 | 35.33 | 98.88 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 95.00 |
| 46. | 97010 11.19% ऋण 2005 | 97.47 | 67.85 | 68.12 | 66.13 | 97.07 | 78.96 | 79.44 | 76.97 | 96.89 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 97.43 |
| 47. | 97011 11.15% ऋण 2002 | 99.36 | 5.13 | 5.29 | 5.09 | 96.22 | 8.20 | 8.21 | 8.15 | 99.27 | — | — | — | — |
| जोड़ 'क' | | 1552.90 | 1546.80 | 1413.23 | | | 987.93 | 997.54 | 988.15 | | 40.25 | 40.41 | 36.77 | |

(जारी)

संलग्नक - XIV (जारी)

(राशि करोड़ रुपये)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| (ख) जिन प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि हुई | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 72001 5.75% ऋण 2002 | | 82.58 | 3.00 | 1.86 | 2.48 | 133.33 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | 85006 10.50% ऋण 2005 | | 94.24 | 18.14 | 16.73 | 17.10 | 102.21 | — | — | — | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 105.26 |
| 3. | 87006 11.00% ऋण 2002 | | 99.12 | — | — | — | — | 18.57 | 18.13 | 18.41 | 101.54 | 1.07 | 1.04 | 101.92 |
| 4. | 88008 11.50% ऋण 2008 | | 96.75 | 14.20 | 13.65 | 13.74 | 100.66 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | 90009 11.25% ऋण 2005 | | 97.75 | 22.90 | 22.23 | 22.38 | 100.67 | 27.02 | 26.03 | 26.41 | 101.46 | 0.08 | 0.08 | 100.00 |
| 6. | 92003 12.50% ऋण 2007 | | 102.60 | 160.15 | 160.78 | 164.31 | 102.19 | 223.85 | 224.79 | 229.67 | 102.17 | — | — | — |
| 7. | 92006 12.30% ऋण 1998 | | 101.67 | 36.47 | 36.48 | 37.08 | 101.64 | 47.22 | 47.39 | 48.02 | 101.33 | — | — | — |
| 8. | 93001 12.60% ऋण 2000 | | 103.11 | 4.13 | 4.17 | 4.26 | 102.15 | 56.74 | 57.09 | 58.50 | 102.47 | — | — | — |
| 9. | 93002 12.70% ऋण 2001 | | 104.02 | — | — | — | — | 75.00 | 75.15 | 78.01 | 103.80 | — | — | — |
| 10. | 93005 13.40% ऋण 2002 | | 106.68 | 70.92 | 71.27 | 75.66 | 106.16 | 98.88 | 99.85 | 105.49 | 105.64 | — | — | — |
| 11. | 94002 '0' कूपन बांड 1999 | | 90.27 | 110.18 | 61.07 | 99.46 | 162.97 | 5.90 | 4.58 | 5.32 | 116.15 | — | — | — |
| 12. | 94003 12.50% ऋण 2004 | | 103.94 | 43.37 | 44.37 | 45.08 | 101.60 | 146.83 | 149.58 | 152.61 | 102.02 | 1.52 | 1.56 | 101.28 |
| 13. | 94004 12.00% ऋण 1999 | | 101.39 | 17.73 | 17.97 | 17.98 | 100.05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. | 94006 12.00% ऋण 2001 | | 102.47 | — | — | — | — | 21.64 | 21.05 | 22.18 | 105.36 | — | — | — |
| 15. | 94007 11.64% ऋण 2000 | | 101.42 | 142.29 | 143.04 | 144.31 | 100.88 | 27.87 | 27.96 | 28.27 | 101.10 | — | — | — |
| 16. | 94009 11.75% ऋण 2001 | | 101.65 | 63.10 | 62.53 | 64.14 | 102.57 | 132.76 | 129.32 | 134.95 | 104.35 | 0.32 | 0.31 | 106.45 |
| 17. | 94010 11.55% ऋण 2002 | | 100.56 | 1.85 | 1.82 | 1.86 | 102.19 | 52.95 | 50.20 | 53.24 | 106.05 | — | — | — |
| 18. | 95001 '0' कूपन बांड 2000 | | 80.98 | 3.93 | 2.13 | 3.18 | 149.29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. | 95003 13.25% ऋण 2000 | | 104.25 | 110.01 | 111.27 | 114.69 | 103.07 | 51.13 | 51.73 | 53.30 | 103.03 | — | — | — |
| 20. | 95006 14% ऋण 2005 | | 110.64 | 53.40 | 54.82 | 59.08 | 107.77 | 30.12 | 30.92 | 33.33 | 107.79 | 0.48 | 0.49 | 108.16 |
| 21. | 95009 '0' कूपन बांड 2000 (दूसरी श्रेणी) | | 80.90 | 00.01 | 00.01 | 00.01 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22. | 95012 14% ऋण 2005 | | 110.64 | 5.90 | 5.90 | 6.53 | 110.67 | 25.37 | 25.37 | 28.07 | 110.64 | 18.73 | 18.73 | 110.62 |
| 23. | 95016 अस्थायी दर बांड 1999 | | 103.81 | — | — | — | — | 15.42 | 15.42 | 16.01 | 103.82 | — | — | — |
| 24. | 95020 13.85% ऋण 2000 | | 106.88 | 1.95 | 1.96 | 2.08 | 106.12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25. | 96001 13.65% ऋण 1999 | | 102.92 | 11.86 | 11.98 | 12.21 | 101.92 | — | — | — | — | — | — | — |

(जारी)

संलग्नक - XIV (जारी)

(राशि करोड़ रुपये)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----------------|---------------------------------------|---|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 26. | 96004 13.85% ऋण 2001 | | 106.88 | 102.60 | 104.38 | 109.66 | 105.05 | 00.94 | 00.96 | 1.00 | 104.16 | 8.40 | 8.67 | 8.98 | 103.57 |
| 27. | 96007 13.75% ऋण 2001 | | 106.63 | 10.50 | 10.63 | 11.19 | 105.26 | 14.72 | 15.05 | 15.70 | 104.31 | — | — | — | — |
| 28. | 96008 13.70% ऋण 1999 | | 102.96 | 35.51 | 35.99 | 36.56 | 101.58 | 43.45 | 44.12 | 44.74 | 101.40 | — | — | — | — |
| 29. | 96009 13.85% ऋण 2006 | | 110.00 | 5.00 | 5.14 | 5.50 | 107.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30. | 96013 '0' कूपन बांड (तिसरी श्रेणी) | | 80.98 | 3.10 | 1.88 | 2.51 | 133.51 | 17.96 | 10.68 | 14.54 | 136.14 | — | — | — | — |
| 31. | 96015 13.85% ऋण 2006 | | 110.00 | — | — | — | — | 1.50 | 1.59 | 1.65 | 103.77 | — | — | — | — |
| 32. | 96016 13.82% ऋण 2002 | | 108.00 | 12.54 | 12.87 | 13.54 | 105.20 | 67.40 | 68.85 | 72.79 | 105.72 | 2.06 | 2.06 | 2.22 | 107.76 |
| 33. | 96018 13.55% ऋण 2001 | | 107.15 | — | — | — | — | 6.25 | 6.61 | 6.70 | 101.36 | — | — | — | — |
| 34. | 96019 13.40% ऋण 1999 | | 104.51 | — | — | — | — | 12.32 | 12.82 | 12.88 | 100.46 | — | — | — | — |
| 35. | 97002 13.05% ऋण 2007 | | 105.52 | 28.20 | 28.82 | 29.76 | 103.29 | 53.49 | 54.33 | 56.44 | 103.88 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 103.22 |
| 36. | 97004 12.69% ऋण 2002 | | 104.47 | 135.79 | 139.02 | 141.86 | 102.04 | 132.27 | 133.27 | 138.18 | 103.68 | 3.23 | 3.29 | 3.38 | 102.73 |
| 37. | 97005 12.14% ऋण 2000 | | 102.30 | 38.26 | 38.74 | 39.14 | 101.03 | — | — | — | — | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 102.15 |
| 38. | 97007 12.59% ऋण 2004 | | 104.33 | — | — | — | — | 85.63 | 88.83 | 89.34 | 100.57 | — | — | — | — |
| 39. | 97009 10.85% ऋण 2001 | | 99.40 | 77.52 | 76.60 | 77.05 | 100.58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| जोड़ 'ख' | | | | 1344.51 | 1300.11 | 1374.39 | | 1493.20 | 1491.67 | 1545.75 | | 37.55 | 37.85 | 40.55 | |
| जोड़ 'क' | | | | 1552.90 | 1546.80 | 1413.23 | | 987.93 | 997.53 | 988.15 | | 40.25 | 40.41 | 36.77 | |
| जोड़ 'क' + 'ख' | | | | 2897.41 | 2846.91 | 2787.62 | | 2481.13 | 2489.20 | 2533.90 | | 77.80 | 78.26 | 77.32 | |

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
पठारिया पैलेस,
75, मोहम्मद अली रोड,
मुम्बई-400 003.

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1998 तक के जमा बीमा और ऋण गारंटी निधि तथा सामान्य निधि के उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्रों तथा उक्त निधियों के संलग्न आय-व्यय लेखों की भी लेखा-परीक्षा की है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है :

1. लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमने प्राप्त किए हैं।
2. उपर्युक्त तुलन-पत्र और आय-व्यय लेख निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और घोषित किये गये हैं।
3. हमारे विचार से और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और तत्संबंधी अन्य नोटों के साथ पठित, सत्य और सही स्वरूप दर्शाते हैं :

सहायक अभिलेखों के मिलान की शर्तों के अधीन जमा बीमा योजना के अंतर्गत सहभागी बैंकों के खातों में 8091.20 लाख रुपये (जमा) और 37.50 लाख रुपये (नामे) की शेष राशि के संबंध में नोट-1, पारित किये गये निर्णय के कारण शामिल की गयी मदों के अधीन कतिपय सहभागी बैंकों के कुछ दोवों के लिए 37144.22 रुपये की अनुमानित देयता के संबंध में नोट-2 और मिलान तथा आवश्यक समायोजन की शर्त पर वर्ष के अंत में बकाया विविध लेनदारों संबंधी 413.20 लाख रुपये की शेष राशि के संबंध में नोट-5 जिसका प्रभाव संबंधित निधियों के खातों पर वर्तमान में असुनिश्चित रहा है।

विवादग्रस्त आयकर - देयताओं के संबंध में 20927.68 लाख रुपये का प्रावधान न किये जाने के संबंध में नोट-3, अपेक्षित निवेशों के मूल्य में कमी के लिए केवल अतिरिक्त प्रावधान की सीमा तक समायोजन करने के कारण संबंधित निधियों के तुलन-पत्रों में दर्शाये गये अनुसार निवेश आरक्षित निधि लेखों में लायी गयी शेष राशि के संबंध में नोट 4, लेखों में न दर्शाये गये लघु उद्यागों (पुराने) के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के संबंध में 171.52 लाख रुपये की शेष राशि के संबंध में नोट-6 और अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान करने की पद्धति में परिवर्तन करने के संबंध में नोट-7 जिसके फलस्वरूप सामान्य निधि की कमी 8.31 लाख रुपये उच्चतर है :

- (क) (i) निक्षेप बीमा निधि और (ii) सामान्य निधि के तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार निगम के क्रियाकलापों की स्थिति;

और

- (ख) निगम के उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखों में (i) निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि के मामले में अधिशेष और (ii) सामान्य निधि के मामले में घाटे की स्थिति।

कृते हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

मुम्बई
दिनांक : 25 जून 1998

(ए.वाई. काबली)
पार्टनर

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(विनियम 18 -
31 मार्च 1998 को कारोबार समाप्ति की स्थिति के अनुसार
I - निक्षेप बीमा निधि
(राशि लाख रुपये में)

| पिछले वर्ष | | | निक्षेप बीमा निधि | | ऋण गारंटी निधि | |
|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|----------------|------------|
| निक्षेप बीमा निधि रु. | ऋण गारंटी निधि रु. | देयताएँ | रु. | रु. | रु. | रु. |
| 298,51.00 | 2925,93.00 | 1. निधि (वर्ष के अंत में शेष) | | | 248,85.00 | 679,13.00 |
| — | — | 2. अधिशेष (संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार शेष) | | | 1772,89.79 | — |
| | | 3. निवेश रिजर्व : वर्ष के आरंभ में शेष | 260,72.62 | | 103,91.61 | |
| | | जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध | — | | — | |
| 260,72.62 | 103,91.61 | करायी गयी राशि | | 260,72.62 | | 103,91.61 |
| — | 308,34.56 | 4. प्राप्त और स्वीकृत किंतु भुगतान न किए गए दावे | | — | | 371,44.12 |
| 45,27.39 | 2705,28.83 | 5. प्राप्त किंतु स्वीकार न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयता | | 22,24.30 | | 1922,30.61 |
| 82.11 | — | 6. दावा न की गई बीमा राशियां | | 1,31.35 | | — |
| | | 7. अन्य देयताएं | | | | |
| — | 31,60.76 | i) फुटकर लेनदार | — | | 11,88.21 | |
| 1913,91.73 | — | ii) ऋण गारंटी निधि (नोट। देखे) | 579,72.68 | | — | |
| 120,81.45 | — | iii) आयकर हेतु प्रावधान | 381,81.45 | | 665,50.00 | |
| 73,27.55 | — | iv) फुटकर जमा खाता | 80,91.20 | 1042,45.33 | — | 677,38.21 |
| 2108,00.73 | 31,60.76 | | | | | |
| 2713,33.86 | 6075,08.76 | जोड़ | | 3348,48.39 | | 3754,17.55 |

टिप्पणी : 1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 25 ए के अनुकरण में ऋण गारंटी निधि के संचित घाटे के संदर्भ में समायोजन दर्शाते हैं।
इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

ए. वाई काबली
पार्टनर

मुम्बई
दिनांक : 25 जून 1998

जगदीश कपूर
अध्यक्ष

एस. एच. खान
निदेशक

बी. एस. शर्मा
निदेशक

पी. एन. जोशी
निदेशक

बी. बी. व्यास
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत
फार्म 'क')
तुलन-पत्र
और ऋण गारंटी निधि

(राशि लाख रुपये में)

| पिछले वर्ष | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|------------|------------------------|------------|
| निक्षेप बीमा निधि रु. | ऋण गारंटी निधि रु. | आस्तियाँ | | निक्षेप बीमा निधि | | ऋण गारंटी निधि | |
| | | | | रु. | रु. | रु. | रु. |
| 8.67 | 2,58.34 | 1. | भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ | | 5.49 | | 1,36.58 |
| 2388,53.12 | 2518,20.05 | 2. | केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, खजाना बिलों में निवेश (लागत पर) दिनांकित प्रतिभूतियाँ | 2846,90.80 106,17.70 | 2953,08.50 | 2489,1968 377,13.86 | 2866,33.54 |
| | | दिनांकित प्रतिभूतियाँ निक्षेप बीमा निधि ऋण गारंटी निधि (रुपये) (रुपये) | | | | | |
| | | अंकित मूल्य 2146,79.85 1828,73.76 | | | | | |
| | | बाजार मूल्य 1886,96.01 1770,78.98 | | | | | |
| 74,12.69 | 93,46.35 | 3. | निवेशकों पर प्रोदभूत ब्याज | | 133,73.41 | | 100,79.17 |
| | | 4. | अन्य आस्तियाँ | | | | |
| 68.61 | 1.64 | i) | बैंकों/ऋण संस्थाओं में किस्त गारंटी शुल्क और अधिक दावा अदाकृत के रूप में बकाया | 37.50 | | 5.48 | |
| — | 8.97 | ii) | अतिदेय किस्त और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज | — | | — | |
| 0.06 | — | iii) | गैर संवितरित दावों के भुगतान के रूप में बैंक/बैंकों के परिसमापक के पास राशि | 0.06 | | — | |
| — | — | iv) | लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) | — | | — | |
| — | 1913,91.73 | v) | निक्षेप बीमा निधि (नोट 1 देखें) | — | | 579,72.68 | |
| 213,40.44 | 179,16.95 | vi) | स्रोत पर अग्रिम आयकर और कर की कटौती | 261,23.43 | | 205,80.10 | |
| — | — | vii) | विविध देनदार | — | | — | |
| 36,50.27 | 55,70.12 | viii) | प्राप्य आयकर रिफंड | — | — | 10.00 | |
| | | ix) | असमायोजित आय की तुलना में व्यय का आधिक्य | | | | |
| | | | | 261,60.99 | | 785,68.26 | |
| 2713,33.86 | 6075,08.76 | | जोड़ | 3348,48.39 | | 3754,17.55 | |

बी.बी. व्यास
निदेशक

पी.एन. जोशी
निदेशक

के. प्रसाद
उप महाप्रबन्धक

एन. पी. सारडा
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

पी. डब्ल्यू. रेगे
निदेशक

एम.जी. श्रीवास्तव
मुख्य महाप्रबन्धक

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

एल.एन. रामस्वामी
उप महाप्रबन्धक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत
(विनियम 18 -
31 मार्च 1998 को कारोबार समाप्त
1 - निक्षेप बीमा निधि
(राशि लाख रुपये में)

| पिछले वर्ष - | | व्यय | निक्षेप बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि |
|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|
| निक्षेप बीमा निधि | ऋण गारंटी निधि | | रु. | रु. |
| | | दावे | | |
| 3,91.22 | 364,96.04 | (क) वर्ष के दौरान अदाकृत | 2,26.04 | 57,48.16 |
| — | 308,34.56 | (ख) स्वीकृत किंतु अदा न किए गए दावे | — | 371,44.12 |
| | | जोड़िये: | | |
| 45,27.39 | 2705,28.83 | वर्ष की समाप्ति पर ऐसे दावों के मामले में अनुमानित देयता जो प्राप्त तो हो गए किंतु स्वीकृत नहीं हुए | 22,24.30 | 1922,30.61 |
| 49,18.61 | 3378,59.43 | | 24,50.34 | 2351,22.89 |
| | | घटाइये : | | |
| 6,67.99 | 1711,78.45 | उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जो प्राप्त हो चुके थे किंतु पिछले वर्ष के अंत तक स्वीकृत नहीं हुए | 45,27.39 | 2705,28.83 |
| | | जोड़िए : | | |
| 5,5204 | — | पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (दुतरफा) | 42,51.42 | 354,05.94 |
| 48,02.66 | 1666,80.98 | निवल दावे | | |
| | | निवेशों के मूल्यों में मूल्याहान का प्रावधान | — | |
| | | प्रावधान और आकस्मिकताएं (संदर्भ नोट सं.1) | 21,74.37 | 1.01 |
| | 13.23 | कराधान के लिए प्रावधान | 261,00.00 | 665,50.00 |
| 59.92 | 6.26 | निवेशों के विक्रय से हानि | 97.23 | |
| 298,51.00 | 2925,93.00 | वर्ष के अंत में निधि (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष | 284,85.00 | 679,13.00 |
| 372,56.72 | — | जोड़ | 438,70.74 | 2646,13.66 |
| 719,70.30 | 4592,93.47 | | 971,27.34 | 3990,77.67 |
| — | 1686,96.44 | पिछले वर्ष से लाया गया शेष अंतरण (दुतरफा) | — | 1311,94.61 |
| 375,01.83 | — | ऋण गारंटी निधि में अंतरण | — | 1334,19.05 |
| | | शेष-तुलनपत्र में ले जाया गया | 1772,89.79 | — |
| 375,01.83 | 1686,9644 | जोड़ | 1772,89.79 | 2646,13.66 |

टिपण्णी 1 : संदिग्ध बकाये के लिए प्रावधान का सूचक है। संलग्न की गयी हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(ए. वाई काबली)
पार्टनर
मुम्बई
दिनांक : 25 जून 1998

जगदीश कपूर
अध्यक्ष
एस. एच. खान
निदेशक

बी. एस. शर्मा
निदेशक
पी.एन. जोशी
निदेशक

एम.जी. श्रीवास्तव
मुख्य महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम

‘ख’)

वर्ष का आय-व्यय लेखा

और ऋण गारंटी निधि

(राशि लाख रुपये में)

| पिछले वर्ष | | आय | | |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| निकषेप बीमा निधि रु. | ऋण गारंटी निधि रु. | | निकषेप बीमा निधि रु. | ऋण गारंटी निधि रु. |
| 202,73.00 | 1775,43.00 | वर्ष के आरंभ में निधि शेष | 298,51.00 | 2925,93.00 |
| 253,67.10 | — | निकषेप बीमा किस्तों से (अतिदेय किस्तों पर ब्याज सहित) | 319,27.39 | — |
| — | 572,00.31 | गारंटी शुल्क से (अतिदेय शुल्क पर ब्याज सहित) | — | 164,91.20 |
| 7,53.44 | 259,35.00 | निकषेप बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियाँ (अतिदेय चुकौतियों पर ब्याज सहित) | 2,87.12 | 213,94.96 (नोट 2(क) देखें) |
| 5,52.04 | — | पुनरांकित निकषेप बीमा दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान (दुतरफा) | 42,51.42 | 354,05.94 (नोट 2(क) देखें) |
| 243,18.22 | 288,40.63 | निवेश से प्राप्त आय (सकल) | 308,10.41 | 331,86.74 |
| | | निवेश से लाभ | | |
| | | | निकषेप बीमा निधि (रुपये) | ऋण गारंटी निधि (रुपये) |
| | | स्रोत पर कर की कटौती वर्ष 1996-97 के लिए | 11,97.99 | 7,09.14 |
| | | गत वर्ष | 47,50.87 | 50,79.03 |
| | | विक्री पर लाभ/प्रतिभूतियों का रिडेंपशन | — | 5.83 |
| 7,06.50 | 10,78.09 | अग्रिम कर/टीडीएस पर ब्याज | — | — |
| — | 1686,96.44 | नीचे लाया गया शुद्ध घाटा | — | — |
| 719,70.30 | 4592,93.47 | जोड़ : | 971,27.34 | 3990,77.67 |
| 2,45.11 | — | पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष | — | — |
| 372,56.72 | — | नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष | 438,70.74 | 2646,13.66 |
| — | 375,01.83 | ऋण गारंटी निधि से अंतरण (दुतरफा) | 1334,19.05 | — |
| | 1311,94.61 | शेष - तुलन पत्र में ले जाया गया | | — |
| 375,01.83 | 1686,96.44 | जोड़ : | 1772,89.79 | 2646,13.66 |

टिप्पणी 2 : संलग्न की गयी हमारी रिपोर्ट के अनुसार 2 (क) - 130.05 लाख रुपये नामे और 2 (ख) - 372.56 लाख रुपये नामे पूर्व अवधि समायोजनों सहित है।

बी.बी. व्यास
निदेशक

एन. पी. सारडा
निदेशक

पी.एन. जोशी
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

एल. एन. रामस्वामी
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(विनियम 18 -
31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष का
II - सामान्य

| पिछले वर्ष रु. | देयताएँ | रु. | रु. |
|-------------------|--|----------|----------|
| 50,00.00 | 1. पूँजी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त. | | 50,00.00 |
| 13,35.90 | 2. प्रारक्षित निधियाँ (क) सामान्य रिज़र्व वर्ष के आरंभ में शेष | 15,32.88 | |
| 7,00.00 | जोड़िए : कर्मचारी व्यय के लिए भा.रि. बैंक से वित्तीय सहायता. | 7,00.00 | |
| 5,03.02 | घटाइए : आय व्यय लेखा से अंतरित घाटा | 22,32.88 | |
| 15,32.88 | वर्ष के अंत में शेष | 5,66.09 | 16,66.79 |
| 16,38.47 | (ख) निवेश रिज़र्व वर्ष के आरंभ में शेष | | 16,38.47 |
| 22.51 | (ग) पूँजी रिज़र्व | | 22.51 |
| 6,29.25 | 3. चालू देयताएँ और प्रावधान बकाया व्यय | 7,13.34 | |
| 4.66 | विविध लेनदार | 1.99 | |
| 2,23.00 | आयकर के लिए प्रावधान | 2,23.00 | 9,38.33 |
| 8,56.91 | | | |
| 90,50.77 | जोड़ | | 92,66.10 |

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(ए.वाई.काबली)
पार्टनर

मुम्बई
दिनांक : 25 जून 1998

जगदीश कपूर
अध्यक्ष

एस. एच. खान
निदेशक

बी. एस. शर्मा
निदेशक

पी. एन. जोशी
निदेशक

बी. बी. व्यास
निदेशक

एम. जी. श्रीवास्तव
मुख्य महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अधीन)

फार्म 'क')

का तुलन-पत्र

निधि

(राशि लाख रुपये में)

| पिछले वर्ष रु. | आस्तियाँ | रु. | रु. |
|-------------------|--|----------|-----------------|
| | 1. नकद | | |
| 0.14 | i) हाथ में | 0.17 | |
| 7.79 | ii) भारतीय रिजर्व बैंक के पास | 10.79 | 10.96 |
| 7.93 | | | |
| | 2. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर) | | |
| 4,47.36 | खजाना बिल | 1,22.46 | |
| 71,24.81 | दिनांकित प्रतिभूतियाँ | 78,25.78 | 79,48.24 |
| 75,72.17 | | | |
| 71,03.80 | अंकित मूल्य | 77,80.73 | |
| 61,87.44 | बाजार मूल्य | 77,31.98 | |
| 2,16.77 | 3. निवेश पर प्रोदभूत ब्याज | | 2.08.07 |
| | 4. अन्य आस्तियाँ | | |
| 43.70 | क) मूल्यहास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण (संदर्भ नोट I) | 33.06 | |
| 5.95 | ख) लेखन सामग्री का स्टॉक | 5.61 | |
| 1.34 | ग) पूर्वदत्त व्यय | 0.94 | |
| 43.03 | घ) व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय रिजर्व बैंक से वसूली योग्य स्टाफ को दिये गये भत्ते और अन्य जमा राशियाँ | 76.04 | |
| 9,51.17 | ङ) आयकर कटौती स्रोत पर | 9,83.12 | |
| 2,08.71 | च) प्राप्य रिफंड | | 10,98.83 |
| 12,53.90 | | | |
| 90,50.77 | जोड़ | | 92,66.10 |

एन. पी. सारडा
निदेशक

पी. डब्ल्यू. रगे
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

एल.एन. रामस्वामी
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत)
(फॉर्म 'ख') 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

II - सामान्य निधि

(राशि लाख रुपये में)

| पिछले वर्ष रु. | व्यय | रु. | पिछले वर्ष रु. | आय | रु. |
|-------------------|---|----------|-------------------|--|----------|
| 10,33.19 | वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान (नोट 1 'क' देखें) | 10,29.82 | 8,04.64 | निवेशों से आय (सकल) (स्रोत पर आयकर की कटौती) (38.41 रुपये) (पिछले वर्ष : 184.12 रुपये) | 8,83.76 |
| 55.69 | कर्मचारी पेंशन और उपदान निधि में अंशदान | 98.00 | | | |
| 0.06 | निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क | 0.03 | 15.67 | लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन दावा अदाकृत लेखों से प्राप्त वसूलियों की हिस्सा | 26.09 |
| 0.38 | निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते | 0.63 | | | |
| 144.96 | किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि (नोट 1 'ख' देखें) | 214.37 | 1.62 | विविध प्राप्तियाँ | 1.93 |
| 17.10 | स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते (नोट 1 'ख' देखें) | 26.89 | | | |
| 0.63 | कम्प्यूटर उपभोज्य सामग्री (संदर्भ नोट : 1) | 3.19 | 40.39 | अग्रिम कर पर ब्याज/स्रोत पर कर कटौती | 2.39 |
| 7.43 | मुद्रण और लेखन सामग्री | 4.04 | | | |
| 5.34 | डाक, तार और टेलीफोन | 6.16 | 503.02 | वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च को कम करने पर शेष नीचे लाया गया | 566.09 |
| 0.49 | लेखा परीक्षकों का शुल्क | 0.49 | | | |
| 3.06 | विधि प्रभार | 2.60 | | | |
| 85.77 | विविध व्यय (संदर्भ नोट : 'घ' देखें) | 72.69 | | | |
| 11.24 | मूल्य-हास | 21.18 | | | |
| | — निवेश पर मूल्य-हास के लिए प्रावधान | — | | | |
| | — प्रतिभूतियों के रिडेंपशन पर घाटा | 0.02 | | | |
| | — बट्टे खाते राशि | 0.15 | | | |
| 13,65.34 | जोड़ : | 14,80.26 | 13,65.34 | जोड़ : | 14,80.26 |
| 5,03.02 | खर्च की तुलना में अधिक आयकर शेष नीचे लाया गया | 5,66.09 | 5,03.02 | सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया शेष | 5,66.09 |
| 5,03.02 | जोड़ : | 5,66.09 | 5,03.02 | जोड़ : | 5,66.09 |

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

नोट : 1 (क) - 1.88 लाख रुपये जमा,
1 (ख) - 13.86 लाख रुपये नामे,
1 (ग) - 1.00 लाख रुपये जमा और
1 (घ) - 0.26 लाख रुपये नामे पूर्व अवधि समायोजनों सहित

कृते मै. हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

जगदीश कपूर
अध्यक्ष

बी.एस.शर्मा
निदेशक

बी.बी. व्यास
निदेशक

एन. पी. सारडा
निदेशक

पी. डब्ल्यू. रेगे
निदेशक

(ए.वाई.काबली)
पार्टनर

एस.एच खान
निदेशक

पी.एन. जोशी
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

मुम्बई
दिनांक: 25 जून 1998

एम.जी.श्रीवास्तव
मुख्य महाप्रबन्धक

एल.एन. रामस्वामी
उप महाप्रबन्धक

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

विद्यमान महत्त्वपूर्ण संकल्पनाओं का अनुपालन करते हुए और ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और पद्धति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं।

2. आय और व्यय का निर्धारण

- i) यदि अन्य प्रकार से उल्लेख न किया गया हो तो आय और व्यय की मदें सामान्यतः उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।
- ii) निक्षेप बीमा किस्तों और गारंटी शुल्क प्राप्तियों का सामान्यतः जमा राशियों और गारंटीकृत अग्रिमों से संबंधित विवरण प्राप्त होने के पश्चात् विनियोजन राजस्व आय में किया जाता है। यदि लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक ऐसे विवरण प्राप्त न हों तो सहभागी ऋण संस्थाओं द्वारा किये गये तदर्थ भुगतान, यदि कोई हो, को आय माना जाता है परन्तु, पिछले वर्षों के अभिलेखों की तुलना में यह राशि पर्याप्त होनी चाहिए। असमायोजित राशियाँ 'विविध लेनदार' शीर्ष के अंतर्गत आगे ले जायी जाती हैं।
- iii) ऋण गारंटी स्कीम छोड़ चुके बैंकों/ऋण संस्थाओं से प्राप्य गारंटी शुल्क का आकलन उनके दावों के सम्बन्ध में बकाया है जो उन्होंने स्कीम छोड़ने के बाद प्रस्तुत किए, इन्हें प्राप्ति के आधार पर लिया जाता है।
- iv) सहभागी ऋणदाता संस्थाओं से सम्बद्ध विवरण प्राप्त होने तक जमा बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क की अप्राप्त राशि को आय के रूप में नहीं लिया जाता है।
- v) गारंटी शुल्क और बीमा किस्तों के भुगतान में विलम्ब के लिए दंडस्वरूप ब्याज को ऐसे भुगतान की तारीख तक की आय में गिना जाता है और किस्तों/गारंटी शुल्क की बकाया राशि पर ब्याज को आय नहीं माना जाता है।
- vi) निपटायें गये जमा बीमा दावों/अदाकृत गारंटी दावों के संबंध में प्रत्याहरण अधिकारों के बल पर वसूली (दंडस्वरूप ब्याज सहित) को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है। इसी प्रकार निपटायें गये दावों और बाद में अपात्र पायी गयी वसूलियों को वसूली/समायोजन के बाद ही हिसाब में लिया जाता है।
- vii) निवेशों पर ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

viii) ऋण गारंटी निधि से संबंधित ऐसे दावे जो सूचित किए गए हैं परन्तु स्वीकार नहीं किए गए हैं, के संबंध में वर्ष के अंत में देयता-प्रावधान पिछली प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण आधार पर किया जाता है।

ix) गारंटी फीस लौटाने के दावों और निपटायें गए दावों के लिए की गई चुकौती को इस प्रकार के लौटाए गए दावों और निगम द्वारा स्वीकृत दावों के रूप में गिना जाता है। इस प्रकार के चुकौती दावों (कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना-1990 के अन्तर्गत आने वाले मामलों सहित) की वर्ष के अंत तक की देयता और निधि के राशि शेष के बीमांकित मूल्यांकन पर इसके प्रभाव वर्ष के अंत तक सुस्थिर नहीं हैं।

x) ऋण गारंटी निधि और निक्षेप बीमा निधि के संबंध में वर्ष के अंत में निधि शेष के रूप में देयता का बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन करके पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

xi) गारंटी शुल्क की वापसी के लिए दावे और निपटायें गये दावों के बदले चुकौतियाँ निगम द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद हिसाब में ली जाती हैं, ऐसे वापसी दावों के संबंध में वर्ष के अंत में देयता (कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत आनेवाले मामलों सहित) और वर्ष की समाप्ति के समय निधिशेष के बीमांकिक मूल्यांकन पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं हो पाया है।

xii) भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ संस्थागत व्ययों, यथा छुट्टी, वेतन आदि से संबंधित प्रतिपूर्ति दावों को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3. निवेश

- i) सभी निवेश चालू निवेश हैं और इन्हें स्टॉक-इन-ट्रेड में रखा जाता है। उनका मूल्यांकन स्क्रिप्ट मूल्य या बाजार भाव, इनमें से जो भी अपेक्षाकृत कम हो, उस पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय शेयर बाजार भाव, जहां जैसा उपलब्ध हो, उसे बाजार दर मान लिया जाता है और जहां हाल के भाव उपलब्ध नहीं हैं, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के बैंको/वित्तीय संस्थानों पर लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार परिपक्वता पर आय पद्धति के आधार पर सूचक बाजार भाव पर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाता है। चूंकि निवेश को हमेशा चालू निवेश के रूप में रखा जाता है, अधिग्रहण मूल्य और प्रतिदान मूल्य के अन्तर का परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii) प्रतिभूतियों के लिए मूल्य-हास का प्रावधान तुलन पत्र में निवेशों में कटौती करके नहीं किया जाता, अपितु ऐसा प्रावधान लेखों के विवरण के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुरूप निवेश रिजर्व लेखा में संचयन के रूप में किया जाता है।

iii) जीरो कूपन बांड्स की अधिग्रहण लागत और प्रतिदेय मूल्य में अन्तर को आय माना जाता है तथा उसे बांड की अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक वित्त-वर्ष के हिसाब में अनुपातिक रूप से बीमांकन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iv) प्रतिभूतियों का अन्तर निधि अन्तरण लागत मूल्य पर किया जाता है।

4. अचल आस्तियाँ

i) अचल आस्तियों को लागत में मूल्यहास कम कर के दर्शाया जाता है।

ii) इस वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव पर मूल्य-हास की दर निम्नानुसार परिवर्तित की गयी है।

क) कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण तथा कार्यालय के विद्युतीय उपकरण-सीधी रेखा पद्धति पर 32 प्रतिशत।

ख) फर्नीचर तथा जुडनार एवं अन्य कार्यालय उपकरण - सीधी रेखा पद्धति पर 20 प्रतिशत।

iii) परिसम्पत्तियों में होने वाली वृद्धि पर पूरे वर्ष का मूल्यहास निकाला जाता है और वर्ष के दौरान बेची/निपटायी गई परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं दिया जाता।

iv) अधिकारियों की आवास सुसज्जा योजना के अन्तर्गत अधिकारियों को दी गई वस्तुओं का मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विधि से इस योजना के अन्तर्गत ली गई वस्तु के मूल्यानुसार प्रतिवर्ष जून माह से अगले कैलेंडर वर्ष के अंत तक के लिए किया जाता है। फिर भी उत्क आस्तियों पर मूल्य-हास निकालने के बाद फर्नीचर तथा जुडनार की मदों पर 10 प्रतिशत तथा इलेक्ट्रॉनिक, विद्युतीय उपकरणों/सहायक की मदों पर 20 प्रतिशत का मूल्य-हास प्रदान करना जारी है।

लेखों से संबंधित नोट

1. बीमाकृत बैंक विशेष रूपसे सहकारी क्षेत्र के बैंक के सहायक अभिलेख अगले वर्ष में सिस्टम के बिगड़ जाने के कारण पिछला कार्य शेष रहने तथा डाटा अभिसंस्मरण में समय की कमी के परिणामस्वरूप अद्यतन न किये जाने के कारण बीमाकृत बैंकों से फुटकर जमाराशिया तथा दावों की राशिया

क्रमशः 8091.20 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7327.55 लाख रुपये) तथा 37.49 लाख रुपये (पिछले वर्ष 68.60 लाख रुपये) लेखों में दर्शाये गये अनुसार सहायक अभिलेखों को अद्यतन करने बाद मिलान तथा आवश्यक समायोजन करने की शर्त पर हैं।

2. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के अंतर्गत 35932.98 लाख रुपये और लघु ऋण गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत 1211.14 लाख रुपये के स्वीकार्य दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाले और सूचित तथा स्वीकार्य किंतु भुगतान न किये गये दावों की राशि संबंधी बकाया देयता तथा जिनका भुगतान विभिन्न कारणों से रोका गया है और वे ऐसे समायोजनों के अधीन हैं जो पारित निर्णय के मामले में आवश्यक हों।

3. निक्षेप बीमा निधि से संबंधित अग्रिम कर भुगतान और स्रोत पर कर कटौती के 12798.90 लाख रुपये की राशि, ऋण गारंटी निधि से संबंधित तदनु रूप 7534.22 लाख रुपये की राशि और सामान्य निधि से संबंधित तदनु रूप 594.26 लाख रुपये की राशि का समायोजन आय कर अधिकारियों ने मूल्यांकन वर्ष 1990-91 से 1995-96 से मूल्यांकित कर के रूप कर दिया है, जो अपील में विवादग्रस्त है जिसके लिए निक्षेप बीमा निधि में 12081.25 लाख रुपये और सामान्य निधि में 223.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

4. जब तक निवेश के मूल्य में कमी लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं पड़ती, निवेश आरक्षित लेखों में लाये गये अनुसार शेष राशि प्रत्येक वर्ष समायोजित नहीं की जाती।

5. विविध लेनदारों की सामान्य निधि में 0.83 लाख रुपये की राशि और ऋण गारंटी निधि में 412.37 लाख रुपये की राशि शामिल है जो सहायक अभिलेखों के समेकन और/या मिलान के बाद समायोजन करने की शर्त पर है।

6. वसूली तथा लघु ऋण उद्योगों (पुराने) के लिए भारत सरकार की ऋण योजना के कारण 171.52 लाख रुपये की देयता तथा वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अलग खाते में धारित तदनु रूप शेष राशिया अनिर्णीत प्रेषण खातों में नहीं दर्शायी गयी हैं।

7. अचल आस्तियों पर मूल्य-हास की गणना करने की पद्धति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वर्ष के लिए मूल्य-हास का प्रभार 8.31 लाख रुपये उच्चतर है।

8. लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)

सरकार के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अन्तर्गत भुगतान किए गए दावों के संबंध में प्रत्याहरण अधिकार के बल पर समय-समय पर प्राप्त वसूलियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत उक्त योजना के शेष कार्यों के प्रबंध के लिए संस्थागत लागत खर्च के रूप में सामान्य निधि के आय व्यय लेखा के हिसाब में लिया जाता है।

9. कर्मचारी लागत

वेतन भत्तों, भविष्य निधि और उपदान निधि में योगदान के रूप में कर्मचारियों पर होनेवाले लागत खर्च भारतीय रिजर्व बैंक की व्यवस्था के अनुसार किए जाते हैं चूंकि निगम का संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आया है।

10. रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता

भारतीय रिजर्व बैंक से स्टाफ व्यय के प्रति वित्तीय सहायता को प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और सामान्य आरक्षित खाते में नामे किया जाता है, अतः वित्तीय सहायता निगम की नियमित रूप से उपार्जित आय की प्रकृति की नहीं है।

11. पूर्वावधि आय/व्यय

- i) भूल-चूक वश चालू अवधि में पूर्वावधि मदों से संबंधित हर मामले में 25,000/- रुपये से अधिक के आय-व्यय को पूर्वावधि नामें /जमा माना जाता है।
- ii) पूर्वदत्त व्यय तबतक मान्य नहीं होते जबतक कि प्रत्येक मामले में राशि 1000/- रुपये से अधिक नहीं होती।

लेखाओं से संबंधित नोट

1. निक्षेप बीमा योजना के मामले में नया कम्प्यूटर प्रोग्राम पूरी तरह सुस्थिर नहीं होने के कारण बीमाकृत बैंकों के सहायक अभिलेखों को अद्यतन किया जाना बाकी है और इसलिए तुलनपत्र में दर्शायी गयी क्रमशः 7327.55 लाख रुपये और 68.60 लाख रुपये की देय/प्राप्य राशि सहायक अभिलेखों से मिलान और आवश्यक समायोजन के अधीन है।
2. निक्षेप बीमा निधि से संबंधित अग्रिम कर भुगतान और स्रोत पर कटौती के 9855.13 लाख रुपये की राशि, ऋण गारंटी निधि से संबंधित तदनुस 2862.18 लाख रुपये की राशि और सामान्य निधि से संबंधित तदनुस 429.77 लाख रुपये की राशि का समायोजन आय कर अधिकारियों ने मूल्यांकन वर्ष 1990-91 से 1995-96 के मूल्यांकन कर के रूप कर दिया है, जो अपील में विवादग्रस्त है जिसके लिए निक्षेप बीमा निधि में 12,081.45 लाख रुपये, और सामान्य निधि में 223.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा

प्रस्तावना

1.1 बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य बैंक के फेल हो जाने पर, विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचत राशि के डूबने के जोखिम से रक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार के संरक्षण से जनता के मन में विश्वास पैदा होता है, जिससे बैंकिंग सम्बन्धी आदतों का विकास होता है और बैंकिंग प्रणाली के विकास में तथा बैंकों द्वारा संसाधनों का संग्रह करने में योगदान मिलता है, इन संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताप्राप्त प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। छठे दशक तथा सातवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में कुछ बैंक फेल होने के परिणामस्वरूप निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई और लोगों के हितों को रक्षा प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ता जनता का विश्वास पुनः अर्जित करने का प्रयास किया गया।

1.2 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो ऋण गारंटी योजनाएँ शुरू की गई थीं, वे अब तक अपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्ती भाग में की गई कार्रवाई की शृंखला के रूप में शुरू की गई थीं। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यों और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहां बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। ये कठिनाइयाँ मुख्यतः ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की कल्पना एक ऐसी एजेंसी के रूप में की गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त प्रतिरूपी और मिलते-जुलते कार्यों का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का विलयन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

निक्षेप बीमा योजना :

संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरू की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमाराशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए भी इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन करने के लिए समर्थक विधान पारित कर लिये हैं। यदि भौगोलिक क्षेत्र की परिव्याप्ति के अनुसार देखा जाए तो निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है, परन्तु इसके अंतर्गत उन राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के केवल 10 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी आवश्यक विधान पारित करना है।

बीमा सुरक्षा की सीमा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसकी जमाराशियों के लिए 1,00,000/- रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

बीमा प्रीमियम

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ रुपये के लिए 5 पैसे वार्षिक की दर पर छमाही आधार पर अदा की जानेवाली बीमा प्रीमियम के बदले में की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा-संरक्षण निःशुल्क प्राप्त हो सके। अतिदेय किस्त पर बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

बीमा के दावों की अदायगी

5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से 1,00,000/- रुपये तक की जमाराशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाराशियों का पूरा पैसा प्राप्त कर सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी पूरी जमाराशि तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की

गई राशि के बीच (अथवा 1,00,000/- रुपये में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।

5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरित बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करे।

ऋण गारंटी योजनाएं

गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड लघु उधारकर्ताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को दिए गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा निगम ने ऋण गारंटी के उसके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनाएं तैयार की गई थीं उन्हें निगम द्वारा जारी रखा गया, जिनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये ताकि वे (किसानों सहित) गैर औद्योगिक कार्यकलापों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिजर्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए। तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 से एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रोद्भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी सरकार के एजेंट के रूप में करे। निगम लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है।

6.3 विशेषज्ञ समिति, 1987 की सिफारिशों के अनुसार ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा को 1 अप्रैल 1989 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को गारंटी रक्षा के लिए लागू किया गया। परन्तु कुछ ऋण संस्थाओं के अनुरोध पर निगम ने केन्द्र/राज्य सरकारों, निर्यात ऋण गारंटी निगम आदि द्वारा गारंटीकृत

अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को गारंटी शुल्क की अदायगी की दृष्टि से सम्पूर्ण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों से अलग रखने की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप इन अग्रिमों के मामले में निगम की गारंटी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

उद्देश्य, विवरण और व्याप्ति

7.1 मार्च 1992 के अंत तक निगम की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं इस प्रकार थीं :

- (i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
- (ii) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971
- (iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
- (iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
- (v) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
- (vi) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

7.2 योजना संख्या (ii), (iii) और (v) को 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप निगम द्वारा निम्नलिखित तीन योजनाएं परिचालित की जाती हैं :

क) लघु ऋण गारंटी योजना 1971, 1 अप्रैल 1971 से लागू की गयी। इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र को रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं। इनमें कृषकों और खेतिहरों, लघु सड़क और जलपरिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों, लघु व्यावसायिक उपक्रमों, व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण सुविधाएं तथा शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण आते हैं।

ख) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 पहली अप्रैल 1981 से शुरू की गई और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनिटों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

ग) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत वे ऋण सुविधाएं शामिल हैं जो पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इनमें कृषि की सहायक गतिविधियाँ, सड़क और जल परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यावसायिक उपक्रम, व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति और शिक्षा, आवास और उपभोग

ऋण शामिल है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (जीजी) की परिभाषा के अनुसार सभी पात्र लाइसेंस प्राप्त (शहरी) सहकारी बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पात्रता प्राप्त के रूप में अनुशंसित पात्र गैर-लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक योजना की सहभागिता के लिए पात्र हैं।

विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को संलग्नक में सारणीबद्ध किया गया है।

गारंटी शुल्क

8. ऋण संस्थाओं द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) के अधीन बकाया जमाराशियों पर निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी करने पर ही गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के मामले में गारंटी शुल्क 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में उनके शामिल होने की तारीख से पहले पांच वर्ष तक सामान्य दर से आधा (अर्थात् 1.25 प्रतिशत वार्षिक) गारंटी शुल्क अदा करने के लिए अनुमति दी गई है। अन्य दो योजनाओं अर्थात् लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 और लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के मामले में गारंटी शुल्क की दर 1.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। गारंटी को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी नियमित रूप से की जानी चाहिए। अतिदेय गारंटी शुल्क पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

गारंटी सुरक्षा - प्रमुख विशेषताएं

क) स्वचालित सामूहिक सुरक्षा

9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी-सुरक्षा केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल हैं तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती हैं। ये योजनायें स्व-चालित सामूहिक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और इसके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वतः ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व-आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः सहभागी ऋण संस्थाएं गारंटी सुरक्षा की परिधि से किसी भी पात्र ऋण सुविधा को अलग करने के लिए मुक्त नहीं है।

ख) लाभ प्राथमिकताप्राप्त उधारकर्ताओं तक ही सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में ऐसे

छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए की इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न हो जाएँ, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं :- फुटकर व्यापारियों के मामले में ऋण राशि सीमा, कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनियों के मामले में संयंत्र और मशीनों का मूल्य। इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की संपूर्ण सीमाओं को भी निर्धारित किया गया है।

गारंटी को लागू करना

10. निगम ने 1 अप्रैल 1995 से गारंटी लागू करने की शर्तों में संशोधन किया है। शर्तें इस प्रकार हैं :

(i) सहभागी ऋण संस्था को सक्षम अधिकारी के आदेश से संस्था की लेखा बहियों में खाते में बकाया राशि बढ़ते खाते डालने के बाद ही दावा दायर करना चाहिए।

(ii) निगम की गारंटी ऋण संस्था द्वारा स्वीकृत केवल मूलधन को ही सुरक्षा प्रदान करेगी और नकदी ऋण/ओवर ड्राफ्ट अन्य चक्रीय ऋण सुविधाओं के मामले में प्रत्येक प्रकार की ऋण सुविधा के अंतर्गत स्वीकृत नियमित सीमा तक की बकाया राशि को सुरक्षा प्रदान करेगी।

(iii) ऐसे खाते के मामले में ऋण संस्थाओं के कोई दावे नहीं स्वीकार किये जायेंगे जहाँ किसी खास खाते में उधारकर्ता से प्राप्त वसूली की राशि बढ़ते खाते डालने की तारीख को खाते में कुल नामे की राशि के 25 प्रतिशत से कम है, सिर्फ निम्नलिखित अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर :

(क) यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो चुकी है;

(ख) यदि क्षेत्र किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया है;

(ग) किसी क्षेत्र विशेष या उधारकर्ताओं के वर्ग विशेष के संदर्भ में निगम के ध्यान में लाई गई सामान्यतः परिस्थितियों का ऐसा आधार जो अपवाद माने जाने का पात्र हो।

(iv) ऋण संस्था की खाता-बहियों में राशि को बढ़ते खाते डालने की तारीख के बाद एक वर्ष के अंदर दावे निगम में प्रस्तुत किए जाएँ।

(v) ऐसे सभी दावे जो पहली अप्रैल 1995 को या इसके पश्चात् देय थे, इनके संदर्भ में दावे प्रस्तुत करने के लिए 3 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के अनुपालन की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

पात्र क्रियाकलापों के विभिन्न वर्गों के संबंध में योजनाओं में निर्धारित परिशुद्ध सीमाओं की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा मूलधन का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता है। छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा सापेक्षिक रूप से उच्चतर सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों का भुगतान कर देने के पश्चात् दावा दायर करने वाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कर्ज दी गई राशि को वसूल करने के लिए कारगर उपाय करना जारी रखें और प्राप्त वसूली में से वसूली खर्च काट कर राशि

प्रत्याहरण अधिकार के तहत निगम के हिस्से की राशि लौटा दें। ऋण संस्थाओं को 22 फरवरी 1994 से यह शक्ति दे दी गई है कि वे जमानत/जामिन में परिवर्तन/निर्मुक्ति, कानूनी कार्रवाई में छूट, समझौते और वसूली योग्य राशि में कमी करने तथा बट्टे खाते डालने जैसे मामलों में निर्णय ले सकती हैं और उन्हें निगम से पूर्वानुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि संबंधित संस्था के कर्मचारियों की जिम्मेदारी, धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन इत्यादि से संबंधित प्रस्ताव निगम के पूर्वानुमोदनार्थ भेजे जाने चाहिए। किसी उधारकर्ता के संबंध में गारंटी का अवलंब लेने और दावे का भुगतान हो जाने के पश्चात् उसी उधारकर्ता को दिए गए किसी अन्य ऋण के लिए निगम द्वारा गारंटी सुरक्षा तबतक नहीं दी जाएगी जबतक कि पहले ही निपटाए गये दावे के फलस्वरूप निगम को देय राशि की चुकौती न कर दी गई हो।

संलग्नक
ऋण गारंटी योजनाएं - प्रमुख विशेषताएं

| योजनाएँ | सहभागी पात्र संस्थाएं | उधारकर्ताओं की श्रेणी | गारंटी शुल्क | गारंटी सुरक्षा |
|--|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (क) छोटे उधारकर्ता | | | | |
| i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 | वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) | i) परिवहन चालक | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक) | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) फुटकर व्यापारी | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) कृषकों तथा कृषिकारोंको प्रत्यक्ष वित्त | | |
| | | 1) फसल उगाना | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | 2) विकास कार्यों के लिए | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | 3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसल ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 30,000 रुपये (अर्थात् 3 x 10,000 रुपये) में से जो कम हो |
| | | 4) संबद्ध कार्यकलापों के लिए | | |
| | | i) मछलीपालन | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) रेशमउत्पादन | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) पशुपालन | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) मुर्गीपालन | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो |
| | | v) डेरी उद्योग | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो |
| (एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।) | | | | |
| \$ दिनांक 1.4.1995 से निगम द्वारा दी जानेवाली गारंटी में ऋण संस्था द्वारा स्वीकृत राशि में केवल मूलधन को और नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट तथा अन्य परिभ्रमणशील क्रेडिट सुविधाओं के मामले में प्रत्येक प्रकार की क्रेडिट सुविधा के तहत स्वीकृत नियमित सीमा तक बकाया धनराशि को ही शामिल किया जाएगा। | | | | |

(जारी)

अनुबंध (जारी)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------|---|---|-----|--|
| v) | कृषि उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष वित्त (शीतगार के निर्माण तथा संचालन और सीमा शुल्क सेवा इकाइयों, जो लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में अंतर्भूत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार हैं) को छोड़कर | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक) | | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था जो कम हो |
| vi) | शैक्षणिक पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ की गई विशेष योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तियों को शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दी गई ऋण सुविधाएं। | वही | | चूक की राशि का 50 प्रतिशत |
| vii) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संगठन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य प्रायोजित संगठनों को खरीद के विशिष्ट प्रयोजनों और निविष्ट वस्तुओं के समर्थन और/या इन संगठनों के हिताधिकारियों के उत्पादों के विपणन के लिए अग्रिम। | वही | | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक (प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था) |
| *viii) | आवास के लिए अप्रत्यक्ष वित्त | | | |
| क) | उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपये तक के ऋण | वही | | चूक की राशि का 50 प्रतिशत |
| ख) | उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों को क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 25,000 रुपये तक के ऋण। | वही | | वही |
| *ix) | आवास के लिए अप्रत्यक्ष वित्त | | | |
| i) | केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निम्न आय वर्गों के लाभ के लिए आवास निर्माण हेतु किसी सरकारी एजेंसी को दी गयी सहायता, जहाँ ऋण घटक प्रति आवास इकाई 2 लाख रुपये से कम हो। | वही | | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 60,000/- में से जो भी कम हो (प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था) |
| ii) | गंदी बस्ती निर्मूलन और गंदी बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किसी सरकारी एजेंसी को सहायता जहाँ ऋण घटक प्रति इकाई 2 लाख रुपये से कम हो। | वही | | वही |
| x) | उपभोग उपभोग ऋण योजना के अधीन दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण | वही | | चूक की राशि का 50 प्रतिशत |

* गारंटी सुरक्षा और निगम को देय गारंटी फीस का आकलन करने के प्रयोजनार्थ 1.4.1995 से सभी आवास-निर्माण ऋणों को अलग कर दिया गया है।

(जारी)

अनुबंध (जारी)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|---|--|--|
| ii) | लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 | i) परिवहन चालक | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए। | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) फुटकर व्यापारी | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) शैक्षणिक ऋण | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत |
| | | v) 500 रुपये तक व्यक्तिगत उपभोग ऋण | वही | वही |
| | | vi) निम्नलिखित के लिए आवास ऋण रुपये 25,000 से अधिक नहीं | | |
| | | क) व्यक्तिगत | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत |
| | | ख) सरकारी एजेंसी | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था |
| | | vii) कृषि से संबद्ध कार्यकलाप | | |
| | | i) मछलीपालन | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो |
| | | ii) रेशमउत्पादन | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो |
| | | iii) पशुपालन | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | iv) मुर्गीपालन | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो |
| | | v) डेरी उद्योग | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो |
| | | vi) बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों, भारवाही जानवरों आदि की खरीद | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो |

(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।)

* गारंटी सुरक्षा और निगम को देय गारंटी फीस का आकलन करने के प्रयोजनार्थ 1.4.1995 से सभी आवास-निर्माण ऋणों को अलग कर दिया गया है।

(जारी)

अनुबंध (जारी)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|---|--|--|--|
| (ख) लघु उद्योग | | | | |
| iii) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 | वाणिज्य (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंक, राज्य वित्त निगम और राज्य विकास एजेंसियाँ | i) लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) जिन्हें समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता घटक 2 लाख रुपये से कम ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। | प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए। | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यशील पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो |
| | | ii) सीमा रहित ऋण सुविधाओं वाले पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयाँ | वही | वही |
| | | iii) 2.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं वाली पिछड़े क्षेत्र के अलावा अन्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) | वही | चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या सम विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यशील पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो |
| | लघु उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त | | | |
| | i) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की निवेश वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता में लगी एजेंसियाँ। | वही | | (क) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से कम की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो। (ख) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से कम की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो। |
| | ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधि प्रदान करनेवाले सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन (बशर्ते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य की गारंटी रक्षा प्राप्त न हो।) | वही | | वही |
| | iii) शीतगार के निर्माण और उनको चलाने के लिए ऋण | वही | | (ऊपर बताये अनुसार) चूक की राशि का 50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋणों प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये) जो भी कम हो। |
| | iv) ट्रैक्टरों, बुलडोजरों, कुआँ खोदने के उपकरणों, थ्रेशर्स, कंबाइन आदि के बड़े का रखरखाव करनेवाले और ठेके पर किसानों का कार्य करनेवाले व्यक्तिगत संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंध की गयी ग्राहक सेवा इकाइयों को अग्रिम। | वही | | वही |
| | v) औद्योगिक संपदा औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए ऋण | वही | | वही |

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...


...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

बीमाकृत खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)

NUMBER OF INSURED ACCOUNTS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART - I

संख्या लाखों में
NUMBER IN LAKHS




बीमाकृत जमाशायी
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)

AMOUNT OF INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART - II

करोड़ रुपये
CRORES OF RUPEES



बीमाकृत बैंकों की जमा राशियों
को बीमा सुरक्षा की सीमा
(जून 1997 के अंतिम शुक्रवार को)


EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO
DEPOSITS TO INSURED BANKS
(LAST FRIDAY OF JUNE 1997)

खातों की कुल संख्या 4,108.73 लाख
TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS
4,108.73 LAKHS

अंशतः संरक्षित खाते (9.6%) PARTIALLY PROTECTED ACCOUNTS




निर्धारणीय जमा राशियों की कुल रकम 4,92,379.86 करोड़ रुपये
TOTAL AMOUNT OF ASSESABLE DEPOSITS
Rs. 4,92,379.86 CRORES



छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि
(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS (CRORES OF RUPEES)


तालिका - IV



छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण
(मार्च 1997 के अंत की स्थिति)


SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS (AS AT THE END OF MARCH 1997)

तालिका CHART - V




छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान

RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS



लघु उद्योगों से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि
(करोड़ रुपये)
GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE
SCHEME RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES
(RUPEES IN CRORES)

तालिका CHART- VIII



लघु उद्योगों के लिए निगम की ऋण गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF
 CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES

(करोड़ रुपये)

CRORES OF RUPEES

NUMBERS

216000

204000

192000

180000

168000

156000

144000

132000

120000

108000

96000

84000

72000

60000

48000

36000

24000

12000

0

संख्या-वार
NUMBER-WISE

प्राप्ति
RECEIPT
निपटान
DISPOSAL

तालिका CHART-IX तालिका CHART-IX

राशि-वार
AMOUNT-WISE

प्राप्ति
RECEIPT
निपटान
DISPOSAL

540

510

480

450

420

390

360

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

जन-दिस
JAN-DEC
1982
जन-दिस
JAN-DEC
1984
जन-दिस
JAN-DEC
1986
जन-मार्च
JAN-MAR
1988-89
अप्र-मार्च
APR-MAR
1990-91
अप्र-मार्च
APR-MAR
1992-93
अप्र-मार्च
APR-MAR
1993-94
अप्र-मार्च
APR-MAR
1994-95
अप्र-मार्च
APR-MAR
1995-96
अप्र-मार्च
APR-MAR
1996-97
अप्र-मार्च
APR-MAR
1997-98

जन-दिस
JAN-DEC
1982
जन-दिस
JAN-DEC
1984
जन-दिस
JAN-DEC
1986
जन-मार्च
JAN-MAR
1988-89
अप्र-मार्च
APR-MAR
1990-91
अप्र-मार्च
APR-MAR
1992-93
अप्र-मार्च
APR-MAR
1993-94
अप्र-मार्च
APR-MAR
1994-95
अप्र-मार्च
APR-MAR
1995-96
अप्र-मार्च
APR-MAR
1996-97
अप्र-मार्च
APR-MAR
1997-98

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by an Act of Parliament)

**Head Office : 6th Floor, New India Centre,
17, Cooperage Road, Mumbai 400 039**



**36th Annual Report of the Board of Directors,
Balance Sheets and Accounts
for the year ended
31 March 1998**

CONTENTS

| | Page No. |
|--|----------|
| 1. Letters of Transmittal..... | iii & iv |
| 2. Board of Directors | v |
| 3. Organisation Chart | vi |
| 4. Offices of the Corporation | vii |
| 5. Principal Officers of the Corporation | viii |
| 6. Corporate Profile | ix |
| 7. Highlights – Progress at a glance | x |
| 8. Directors' Report | 1 |
| 9. Annexures to the Directors' Report | 8 |
| 10. Balance Sheets & Accounts | 36 |
| 11. An Outline of Functions & Activities | 45 |

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

**DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION**

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Mumbai 400 039.

DICGC/18/06.02.15/98-99

30 June 1998
9 Aashadha 1920 (Saka)

The Chief General Manager and Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
Central Office Building,
Mumbai 400 001.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1997-98

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

- i) the audited Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1998 together with a signed copy of the Auditors' Report and
- ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1998.

Yours faithfully,

Sd/-

(M.G. Srivastava)
Chief General Manager

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

**DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION**

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Mumbai 400 039.

DICGC/100/06.02.16/98-99

29 June 1998
9 Aashadha 1920 (Saka)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Banking Division)
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi 110 001

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1997-98

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

- i) the Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1998 together with the Auditors' Report and
 - ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1998.
2. Copies of the above Balance Sheets and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.
 3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz. the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid*.

Yours faithfully,

Sd/-

(M.G. Srivastava)
Chief General Manager

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

JAGDISH CAPOOR

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Mumbai

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

B.S. SHARMA

Executive Director, Reserve Bank of India, Mumbai

Nominated by the Central Government under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

B.B. VYAS (from 4 February 1997)

Deputy Secretary, Department of Economic Affairs (Banking Division), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S.H. KHAN

Chairman & Managing Director, Industrial Development Bank of India, Mumbai

N.P. SARDA

Chartered Accountant, Mumbai

P.W. REGE

Ex-Chairman, Saraswat Co-operative Bank Ltd., Mumbai

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

GANGADHAR GADGIL

Economist, Mumbai


P.N. JOSHI

Chairman, United Western Bank Ltd., Satara, Maharashtra

RASHID JILANI

Chairman & Managing Director, Punjab National Bank, New Delhi

ORGANISATION CHART



OFFICES OF THE CORPORATION

Fax No. 022-2874168

HEAD OFFICE

New India Centre,
4th, 5th, 6th & 7th Floors,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Mumbai 400 039.

Tel. Nos.

202 0299

Telegram

CREDITGARD

Chief General Manager

202 7323 (D)

(i) General Manager

204 4876 (D)

(ii) General Manager

202 2408 (D)

(iii) General Manager

287 4281 (D)

(i) Dy. General Manager

287 4291 (D)

(ii) Dy. General Manager

287 4362 (D)

BRANCHES

1) NAGPUR

Reserve Bank of India
Additional Office Building
Near High Court
Nagpur 440 001

521406 (D)

532321

532357

CREDITGARD

2) CALCUTTA

4th floor
Reserve Bank of India Building
15, N S Road
Calcutta 700 001

2481154 (D)

2486019

DISINGUAR

3) CHENNAI

Kuralagam Building
3rd floor
Esplanade
Post Box No.5021
Chennai 600 108

5341524 (D)

5340239

CREDITGARD

4) NEW DELHI

Reserve Bank of India Building
6, Sansad Marg
Post Box No.123
New Delhi 110 001

3716487 (D)

3710538 to 42

DEPOSITINS

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

CHIEF GENERAL MANAGER

D.S.R. Simhudu (from 8 July 1996 to 29 November 1997)
M.G. Srivastava (from 12 January 1998)

GENERAL MANAGERS

D.N. Prasad
S.G. Sargaonkar
J.P. Sharma

DEPUTY GENERAL MANAGERS

K. Prasad (upto 6.12.1997)
G.K. Joshi (upto 23.12.1997)
L. N. Ramaswamy
R.G. Nakhate (from 2.2.1998)

MANAGER & SECRETARY

Smt. S.S. Shenoy

DEPUTY GENERAL MANAGERS-IN-CHARGE : BRANCHES

NAGPUR

V.C. Kotian

CALCUTTA

S.V. Kulkarni (upto 31.3.1998)

CHENNAI

A.S. Govardhan

NEW DELHI

Kum. Gulshan Madan

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

AUDITORS

M/s Habib & Co.
Chartered Accountants
Mumbai 400 003

CORPORATE PROFILE

OBJECTS & PURPOSE

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January 1962. With effect from 15 July 1978, it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited, a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January 1971 with a view to integrating the twin and cognate functions of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of the society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after cancellation of Government of India's scheme in that behalf.

The Corporation's twin objectives are to provide for the benefit of depositors in banks, insurance against the loss of all or part of their deposits in all branches of a bank to a maximum of Rs 1,00,000 and to provide guarantee support to credit extended by participating institutions viz., commercial banks (including regional rural banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions. Till 31 March 1989, the guarantee support covered certain categories of small borrowers and small scale industries. Effective from 1 April 1989, guarantee cover is extended to entire priority sector (as per Reserve Bank's definition)

advances. Since 1990-91, certain categories of priority sector advances which are guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc., have been excluded from guarantee cover.

The Corporation maintains two separate funds viz., Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund. They are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, one more Fund called General Fund, is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this Fund. The Corporation was granted exemption from payment of income tax till 31 December 1986.

The authorised capital of the Corporation is Rs 50 crore which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The management of the Corporation vests in a Board of Directors of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India, is the Chairman. The Board is advised by a Claims Committee and an Investment Committee headed by the Reserve Bank's Nominee Director on the Board of the Corporation. The Chief General Manager is the Chief Executive of the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Mumbai. It has four branches at Calcutta, Chennai, Nagpur and New Delhi. The Corporation has no subsidiaries or affiliates.

HIGHLIGHTS — PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of Rupees)

| At year-end | 1962 | 1972 | 1982 | 1984 | 1987 | 1988-89 | 1990-91 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|--|------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. CAPITAL | 1 | 1.5 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. DEPOSIT INSURANCE | | | | | | | | | | | | | |
| i) Deposit Insurance Fund | 1 | 25 | 154 | 219 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ii) Insured Banks | 276 | 476 | 1683 | 1805 | 1898 | 1903 | 1922 | 1931 | 1990 | 2025 | 2122 | 2296 | 2438 |
| iii) Assessable Deposits | 1895 | 7458 | 42360 | 61880 | 103044 | 126864 | 156892 | 244375 | 249034 | 364058 | 392072 | 450674 | 492380 |
| iv) Insured Deposits | 448 | 4656 | 31774 | 46340 | 75511 | 90192 | 109316 | 164527 | 168405 | 266747 | 295575 | 337671 | 370531 |
| v) Accounts (in lakh) | 77 | 341 | 1598 | 2026 | 2569 | 2781 | 3089 | 3543 | 3529 | 4994 | 4868 | 4351 | 4109 |
| vi) Fully Protected Accounts (in lakh) | 60 | 328 | 1581 | 2000 | 2518 | 2705 | 2983 | 3395 | 3497 | 4956 | 4819 | 4273 | 3713 |
| vii) Claims paid | — | 1 | 3 | 3 | 44 | 69 | 131 | 178 | 179 | 181 | 190 | 194 | 196 |
| 3. CREDIT GUARANTEE | | | | | | | | | | | | | |
| i) Credit Guarantee Fund | — | — | 89 | 118 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ii) Guaranteed Advances | | | | | | | | | | | | | |
| a) Small Borrowers | — | 208 | 4840 | 7104 | 11116 | 14291 | 27692 | 24444 | 26348 | 25484 | 18910 | 17261 | 3939 |
| b) Small Scale Industries | — | — | 3822 | 4891 | 7738 | 10465 | 16826 | 19162 | 15503 | 14177 | 13847 | 11271 | 3376 |
| iii) Claims Received (for the year) | | | | | | | | | | | | | |
| a) Small Borrowers | — | — | 25 | 62 | 255 | 364 | 505 | 883 | 1168 | 1348 | 1841 | 1842 | 184 |
| b) Small Scale Industries | — | — | 30 | 71 | 149 | 241 | 247 | 260 | 323 | 379 | 524 | 270 | 120 |
| iv) Claims Disposed of (for the year) | | | | | | | | | | | | | |
| a) Small Borrowers | — | — | 15 | 32 | 225 | 281 | 427 | 566 | 1026 | 1100 | 1031 | 403 | 401 |
| b) Small Scale Industries | — | — | 27 | 47 | 122 | 177 | 260 | 243 | 288 | 409 | 308 | 291 | 221 |

@ In view of the amendments to the forms of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities since 1987, the Credit Guarantee Fund disclosed deficit every year thereafter except for the year 1989-90. The deficit/surplus in the Fund was adjusted against surplus in the Deposit Insurance Fund in the respective years. During 1997-98, the deficit in the Credit Guarantee Fund was Rs 1686.96 crore. As on 31 March 1998, a net sum of Rs 1913.92 crore was due to Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund leaving an unadjusted amount of Rs 1311.95 crore in Credit Guarantee Fund Account.

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 1998

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors presents herewith the 36th Annual Report of the Corporation for the year ended 31st March 1998.

Operations of the Corporation – An Overview

1.1 It was mentioned in the Annual Report for the year 1995-96 that with effect from 1st April 1995 certain changes were made in the operation of all the three Credit Guarantee Schemes consequent on the acceptance of the report of the Committee under the Chairmanship of Shri B Rai.

A large number of banks opted out of the schemes from 1st April 1995. Such banks were advised to lodge their claims in respect of advances treated bad/doubtful of recovery on or before 31st March 1995, latest by 31st March 1997.

1.2 The ceiling amount of insurance cover for deposits with an insured bank, viz., of Rs.1,00,000 per depositor per bank in his/her same right and capacity and the insurance premium @ 5 paise per Rs.100 per annum, have remained unchanged during the year. The total number of insured banks during the period ended 31st March 1998 rose to 2,438 from 2,296 as at the year ended 31st March 1997. Further, the percentage of fully protected deposit accounts numbering 3,713.02 lakh constituted 90.37 per cent of total deposit accounts. The insured deposits at Rs.3,70,531.21 crore represented 75.25 per cent of the total assessable deposits of Rs.4,92,379.86 crore. The insurance premium received during the year amounted to Rs.319.27 crore as against Rs.253.67 crore received during the previous year. During the year, the Corporation settled the claims received from two co-operative banks for an aggregate amount of Rs.2.26 crore and made provision of Rs.22.24 crore towards contingent liability of claims in respect of seven banks. The aggregate amount of claims paid and provided for in respect of 25 commercial banks and 33 co-operative banks stood at Rs.195.82 crore and

repayment received out of the recoveries etc., amounted to Rs.66.98 crore upto the end of the year which constituted 34.20 per cent of the total claims paid.

1.3 In the last Annual Report, a reference was made to an 'on account' payment of Rs.37.00 crore made to the Liquidator to mitigate the hardships of the depositors of Bank of Karad Ltd. The balance outstanding at Rs.0.75 crore as on 31st March, 1997 out of Rs.37.00 crore paid by the Corporation has since been received during the year.

1.4 The guaranteed advances for the year under the Corporation's three Credit Guarantee Schemes in operation aggregated Rs.7,315.01 crore as at the end of March 1997 showing a fall of 74.36 per cent over the previous year. While the guaranteed advances to small borrowers under the Schemes for non-industrial sector decreased by 77.18 per cent, the guaranteed advances to small scale industrial sector decreased by 70.05 per cent as compared to the previous year. The claims received by the Corporation under the three Schemes decreased by 90.63 per cent number-wise and 85.61 per cent amount-wise. The claims settled by the Corporation decreased by 12.83 per cent number-wise and 10.47 per cent amount-wise. The claims disposal rate per month was at 1,04,479 this year as against 1,17,730 during the previous year. The decline in disposal of claims was solely due to non-compliance with the various stipulations such as submission of 'master list', certification regarding adequate provisions, passing on recoveries from claim paid accounts due to the Corporation etc. The details regarding number and amount of claims received and settled during the year under report and the previous year are furnished below :

1.5 The amount of guarantee fee received and the amount of guarantee claims received as also claims paid during the period 1989-90 to 1997-98 together with the corresponding gaps are as under :

(Amounts in crores of Rupees)

| | During 1996-97 | | During 1997-98 | | Percentage Increase (+) Decrease (-) | |
|----------------------|-------------------|---------|-------------------|--------|--|-----------|
| | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| I. Claims received : | | | | | | |
| i) Small Borrowers | 59,97,049 | 1842.05 | 5,40,971 | 183.90 | (-) 90.98 | (-) 90.02 |
| ii) SSIs | 1,18,423 | 270.32 | 31,981 | 120.06 | (-) 72.99 | (-) 55.59 |
| Total | 61,15,472 | 2112.37 | 5,72,952 | 303.96 | (-) 90.63 | (-) 85.61 |
| II. Claims settled : | | | | | | |
| i) Small Borrowers | 13,11,663 | 402.89 | 11,79,328 | 400.90 | (-) 10.09 | (-) 0.49 |
| ii) SSIs | 1,01,098 | 291.49 | 52,241 | 220.78 | (-) 48.33 | (-) 24.26 |
| Total | 14,12,761 | 694.38 | 12,31,569 | 621.68 | (-) 12.83 | (-) 10.47 |

(Amount in crores of Rupees)

| Year | Guarantee fee receipts | Guarantee claims receipts | Claims paid | Gap (2) - (3) | Gap (2) - (4) |
|---------|------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1989-90 | 593.83 | 548.33 | 508.54 | (+) 45.50 | (+) 85.29 |
| 1990-91 | 524.72 | 748.76 | 547.16 | (-) 224.04 | (-) 22.44 |
| 1991-92 | 565.88 | 627.23 | 462.29 | (-) 61.35 | (+) 103.59 |
| 1992-93 | 702.78 * | 1143.27 | 633.55 | (-) 440.49 | (+) 69.23 |
| 1993-94 | 846.09 | 1490.76 | 889.99 | (-) 644.67 | (-) 43.90 |
| 1994-95 | 829.13 | 1726.82 | 1179.01 | (-) 897.69 | (-) 349.88 |
| 1995-96 | 704.64 | 2365.23 | 1042.27 | (-) 1660.59 | (-) 337.63 |
| 1996-97 | 564.02 | 2112.37 | 378.64 | (-) 1548.35 | (+) 185.38 |
| 1997-98 | 164.91 | 303.96 | 371.40 | (-) 139.05 | (-) 206.49 |

* Includes the ploughed back provisions in respect of earlier years.

1.6 During the year 1989-90 there was considerable increase in receipt of guarantee fee on account of enhancement in the rate of guarantee fee with effect from 1st April 1989. The amount of claims received during that year had declined as compared to the previous year. Since the guarantee fee receipt fell short of claims receipts consecutively for three years, the financial viability of the three Credit Guarantee Schemes was examined keeping in view the gaps between the guarantee fee and claims received and also guarantee fee and claims paid. It was observed that guarantee fee received for the years 1991-92 and 1992-93 was more than the claims paid. This was mainly due to low disposal rate which resulted in increase in pending claims. The ostensible surplus position which has resulted in 1996-97 was mainly due to non-payment of claims pending certain procedural compliance. With a view to making the schemes financially viable, guarantee fee for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, was raised to 2.5 per cent per annum with effect from 1st April 1993. In spite of this hike, the gap between the guarantee fee receipt and claims receipt has been rising. The sudden spurt in receipt of claims during the years 1995-96 and 1996-97 is due to opting out of large number of banks. The scheme-wise position for the year 1997-98 is given below :

| (Rupees crore) | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Scheme | Guarantee claims receipt | Guarantee fee receipt | Gap |
| i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 183.90 | 112.70* | (-) 71.20 |
| ii) Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984 | @ | @ | |
| iii) Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 | 120.06 | 52.21 | (-) 67.85 |
| Total | 303.96 | 164.91 | (-) 139.05 |

@ : negligible.

The scheme-wise details of guarantee fee received since 1981 are given in Annexure XIII.

1.7 In order to ensure whether the credit institutions participating in Credit Guarantee Schemes were following the prescribed norms in regard to lodgement of claims, computation of guarantee fee and sharing of recoveries in claim paid accounts under subrogation rights, the Corporation conducted inspection of 16 commercial banks and 13 regional rural banks during the year under review. The findings have been taken up with the respective banks and are being followed up.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

2.1 During the year, one commercial bank and 144 co-operative banks were registered as insured banks and, two co-operative banks and one commercial bank were deregistered. (Details are furnished in Annexure II-A). Apart from this, there were four co-operative banks from Andhra Pradesh viz., 1) The Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., 2) The Prudential Co-operative Urban Bank Ltd., 3) The Visakapatnam Co-operative Bank Ltd., 4) Sree Mahayogi Lakshamma Co-operative Town Bank Ltd., of which the last mentioned three banks were deregistered in terms of 13C(i) of DICGC Act, 1961 on technical grounds by operation of Law, since the banks in question had converted and registered themselves under A.P. Mutually Aided Co-operative Societies Act, 1995 (APM ACS Act, 1995). As APMACS Act, 1995 does not contain provision envisaged under S.13A(1) read with Section 2(gg) of the DICGC Act, 1961 vesting necessary powers with RBI to have control over the winding up, amalgamation, reconstruction etc., they ceased to be 'eligible co-operative banks' within the meaning of Section 2(gg) of the DICGC Act, 1961. These have not been included in Annexure II-A as

their accounts with the Corporation are yet to be adjusted. Two of the banks viz., The Prudential Co-operative Urban bank Ltd., and The Visakhapatnam Co-operative Bank Ltd., have gone to the High Court against the Corporation's action and the writ petitions are pending. Thus, the total number of banks insured with the Corporation under the Deposit Insurance Scheme rose from 2,296 as on 31st March 1997 to 2,438 as on 31st March 1998 as stated earlier in Para 1.2 above. Year-wise and category-wise statements showing the number of banks registered by the Corporation since its inception in 1962 are furnished in Annexure I & I-A.

2.2 The Deposit Insurance Scheme, at present, covers all commercial banks including regional rural banks and co-operative banks in 21 States and two Union Territories (Annexure II). The matter regarding extension of the Scheme to co-operative banks in remaining four States viz., Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland and three Union Territories viz., Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh and Lakshadweep is pending with the concerned Governments for carrying out the necessary amendments to their respective Co-operative Societies Act. Co-operative banks can be covered under the Scheme only if model bye-laws are made applicable to them by respective State Governments.

2.3 The number of accounts and amount of deposits insured with the Corporation as also the extent of protection afforded to depositors at the end of June 1996 and June 1997 were as under :

| Particulars | (Rupees crore) | |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| | June 1996 | June 1997 |
| 1. Total No. of accounts (lakh) | 4,351 | 4,109 |
| 2. Fully protected accounts (lakh) | 4,273 | 3,713 |
| 3. Percentage of 2 to 1 | 98.2 | 90.4 |
| 4. Assessable deposits | 4,50,674 | 4,92,380 |
| 5. Insured deposits | 3,37,671 | 3,70,531 |
| 6. Percentage of 5 to 4 | 74.9 | 75.2 |

The above details are furnished in Annexure III & IV.

The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 59.98 per cent and 40.02 per cent respectively of the total assessable deposits at the end of June 1997.

2.4 The category-wise break-up of the premium (including interest on overdue premium) collected from insured banks during 1996-97 and 1997-98 is furnished below :

| Category of banks | (Rupees crore) | |
|--------------------------|----------------|---------------|
| | 1996-97 | 1997-98 |
| i) Commercial Banks | 213.11 | 284.96 |
| ii) Regional Rural Banks | | |
| iii) Co-operative Banks | 40.56 | 34.31 |
| Total | 253.67 | 319.27 |

2.5 During the year 1997-98 the Corporation settled aggregate claim for Rs.2.26 crore in respect of the depositors of the Swastik Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai (Rs.225.92 lakh) and supplementary claim in respect of the depositors of the Peoples' Co-operative Bank Ltd., Ichalkaranji, Maharashtra (Rs.0.06 lakh). Further, a provision of Rs.22.24 crore has been made in the accounts towards the claim liabilities in respect of depositors of the under-mentioned banks on the basis of claims applications received from the banks/liquidators.

| Name of the Bank | Particulars of claim | Rupees Crore |
|---|----------------------|--------------|
| 1. Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala, Andhra Pradesh | Supplementary | 0.01 |
| 2. Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra | Balance | 0.34 |
| 3. Dharwar Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka | Expected | 0.15 |
| 4. Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai | Expected | 8.21 |
| 5. Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai | Expected | 13.45 |
| 6. Shri Chamaraja Co-op. Bank Ltd., Chamarajanagar, Karnataka | Expected | 0.07 |
| 7. Bellati Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Bellati, Karnataka | Expected | 0.01 |
| Total | | 22.24 |

2.6 As on 31st March 1998, the aggregate amount (cumulative) of claims paid and provided for in respect of 25 commercial banks remained unchanged at

Rs.172.92 crore. The repayments received from liquidators/banks upto March 1998 aggregated Rs.65.75 crore (including Rs.2.74 crore received during the year). There was no fresh write off and the amount stood at Rs.0.10 crore as on 31st March 1998. The total amount of claims paid / provided for since inception till 31st March 1998 in respect of 33 co-operative banks (including Rs.2.26 crore paid during the year) was Rs.22.90 crore. The repayments received from the liquidators/banks upto 31st March 1998 aggregated Rs.1.23 crore (including Rs.0.14 crore received during the year).

The particulars of 58 banks in respect of which the claims have been paid, written off, provided for and repayments received till 31st March 1998 are furnished in Annexure V.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION

A. CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL BORROWERS

3. The Corporation operates two Credit Guarantee Schemes viz., Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 for small borrowers which cover advances granted for agriculture and allied activities, transport operators, retail trade, small business etc. by commercial banks (including regional rural banks) and primary urban co-operative banks.

4. The overall performance of small borrowers Credit Guarantee Schemes is given below :

(Rupees crore)

| Category of borrowers | Guaranteed advances as on 31st March 1997 | Amount of claims received | | |
|---|---|---------------------------|----------------|-----------------------|
| | | Upto March 1997 | During 1997-98 | Upto March 1998 (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Farmers and Agriculturists | 2566.92 | 4320.55 | 92.54 | 4413.09 |
| Other priority sector advances | 1315.95 | 4892.78 | 89.52 | 4982.30 |
| Residual category of borrowers under DRI Scheme and credit facilities for consumption and for purchase or construction of houses or tenements | 56.14 | 186.92 | 1.84 | 188.76 |
| TOTAL | 3939.01 | 9400.25 | 183.90 | 9584.15 |

Small Loans Guarantee Scheme, 1971

5.1 The Scheme provides guarantee cover for advances granted for agriculture and allied activities, transport, retail trade, small business etc., by commercial banks including regional rural banks.

5.2 During the year, nine commercial banks and eight regional rural banks were allowed by the Corporation to opt out of the Scheme (Annexure VII). Consequently, as on 31st March 1998, the number of participating credit institutions under the Scheme decreased to 19 (comprising six commercial banks and 13 regional rural banks) from 36 as on 31st March 1997 (Annexure VI).

5.3 The total advances guaranteed under the Scheme at Rs.3,938.80 crore as on 31st March 1997 showed decline of 77.18 percent over the previous year. This decrease is mainly due to opting out of 17 credit institutions comprising six nationalised banks including State Bank of India from the Scheme. The Scheme continued to account for the bulk of the guaranteed advances to small borrowers forming 99.99 percent of the total priority sector advances to

Non-SSI segment at Rs.3,939.01 crore. The year-wise and sector-wise break-up of the guaranteed advances is given in Annexure VIII. The sector-wise break-up of the guaranteed advances vis-a-vis amount of claims received under the Scheme on percentage basis is given below :

| Category of borrowers | Per cent of total | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| | Guaranteed Advances | Claims Received |
| i) Farmers and agriculturists | 65.17 | 46.05 |
| ii) Other priority sector advances | 33.41 | 51.98 |
| iii) DRI advances | 1.42 | 1.97 |
| Total | 100.00 | 100.00 |

5.4 During the year under report, the Corporation received 5,40,971 claims for Rs.183.90 crore as against 59,97,049 claims for Rs.1842.05 crore received during previous year registering a decrease of 90.98 per cent in the number and 90.02 per cent in amount over previous year. The amount of claims received at Rs.183.90 crore during the year formed

4.67 per cent of the total guaranteed advances at Rs.3,938.80 crore under the Scheme. The sector-wise break-up of claims received under all the Schemes for small borrowers is given in Annexure X.

The Corporation settled 11,79,328 claims for Rs.400.90 crore as against 13,11,663 claims for Rs.402.89 crore during the previous year (the average monthly rate of disposal this year was 98,277 claims as against 1,09,305 claims during the corresponding period last year). Besides, 9,41,557 claims for Rs.359.33 crore have been scrutinised but payment is held up for various reasons as detailed in Para 1.4 above. The number of claims to be processed/under clarification as on 31st March 1998 was 73,63,682 for Rs.1915.10 crore (Annexure IX.)

5.5 Recoveries received during the year under report by virtue of subrogation rights, aggregated Rs.192.41 crore compared to Rs.233.51 crore received during the previous year. The total amount of recoveries received since inception of the Scheme, aggregated Rs.1,476.60 crore forming 24.84 per cent of claims paid at Rs.5,944.82 crore.

Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

6.1 The Scheme, introduced in 1984, covers priority sector advances granted by primary urban co-operative banks for non-agricultural purposes.

6.2 The number of participants in this Scheme has remained two as on 31st March 1998 (Annexure VI). The guaranteed advances as on 31st March 1997 aggregated Rs 0.21 crore as against Rs.0.19 crore as on 31st March 1996. The Corporation had received 31 claims for Rs.0.03 crore during the year under the Scheme. These claims being ineligible were rejected.

B. CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL SCALE INDUSTRIES

(a) Government's Credit Guarantee Scheme (since cancelled)

7.1 The Government's Scheme has been closed and the Corporation has finally stopped accepting claims/representations. All the pending claims under the Scheme were disposed of by March 1992. However, as an agent of Government of India, the Corporation continues to pursue with the credit institutions for recoveries in claim paid accounts.

7.2 Out of the total amount of Rs.2.61 crore representing the recoveries received in claim paid accounts during the year 1997-98 under the Scheme,

the Corporation has remitted a sum of Rs.2.35 crore to the Government after retaining an amount of Rs.0.26 crore towards administrative expenditure incurred by it.

(b) Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981

8.1 As on 31st March 1998 there were 54 credit institutions (78 as on 31st March 1997) participating in the above Scheme comprising seven commercial banks, nine regional rural banks and 38 co-operative banks (Annexure VI). During the year, names of 24 credit institutions were deleted from the list of participating credit institutions either on account of their decision to opt out of the Scheme or on account of default in payment of guarantee fee (Annexure VII).

8.2 The guaranteed advances to SSI sector coming under the priority sector as defined by RBI amounted to Rs 3,376 crore as on 31st March 1997 as against Rs 11,271.33 crore as on 31st March 1996 registering a fall by 70.05 per cent. The decrease is mainly due to many credit institutions opting out of the Scheme.

8.3 The Corporation received 31,981 claims for Rs 120.06 crore during the year 1997-98 as against 1,18,423 claims for Rs 270.32 crore during the previous year and disposed of 52,241 claims for Rs 220.78 crore as against 1,01,098 claims for Rs 291.49 crore during the year 1996-97. The details of claims received and disposed of year-wise, from 1st April 1981 onwards are given in Annexure XI. (Amount-wise break-up of claims settled during the year is given in Annexure XII). As on 31st March 1998, 73,863 claims for Rs 153.96 crore were pending.

8.4 The recoveries received under the Scheme during the year under report, by virtue of the Corporation's right of subrogation, amounted to Rs 21.45 crore compared to Rs 25.78 crore received during the previous year. The recoveries since 1981 aggregated Rs 190.21 crore as on 31st March 1998 forming 20.21 per cent of the total amount of claims paid at Rs 941.30 crore (cumulative).

8.5 The amount of claims received at Rs 120.06 crore during the year formed 3.56 per cent of the total guaranteed advances to SSI units under priority sector at Rs 3,376 crore under the Scheme.

8.6 The settlement of high value claims for Rs eight lakh and above received under the Scheme continued to be attended to by the Claims Committee. However,

during the year 1997-98 no high value claims were eligible for consideration of the Committee.

ACCOUNTS

Balance Sheets and Revenue Accounts

9.1 Revenue Accounts for the year ended 31st March 1998 and Balance Sheets as at 31st March 1998, showing separately the position of Corporation's three funds viz., General Fund, Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund together with the Auditors Report are attached.

9.2 The Corporation has adopted since 1987 the system of valuation of liabilities of Deposit Insurance and Credit Guarantee Funds on an actuarial basis. Accordingly, the net surplus in the Funds stood at Rs 3084.85 crore after providing for pending claims etc., as against the net deficit of Rs 1314.39 crore during the year 1996-97. The Deposit Insurance Fund revealed a surplus of Rs 438.71 crore as against Rs 372.57 crore during the year ended 31st March 1997 after meeting all the necessary provisions to the satisfaction of Auditors. The Credit Guarantee Fund showed a surplus of Rs 2646.14 crore as against deficit of Rs 1686.96 crore during the year ended 31st March 1997, after providing for pending claims etc., and also taking into account the actuarial estimates of incremental liability for the year ended 31st March 1998. The net deficit during the last year in Credit Guarantee Fund had turned into a net surplus mainly due to the credit institutions opting out of the schemes resulting in receipt of fewer claims. The surplus in the Credit Guarantee Fund has been utilised to adjust the deficit of Rs 1311.95 crore as shown in the last balance sheet and the balance amount of Rs 1334.19 crore have been transferred to Deposit Insurance Fund.

9.3 The General Fund showed a deficit of Rs 5.66 crore as against a deficit of Rs 5.03 crore during the last year. The deficit of Rs 5.66 crore has been adjusted against General Reserve after taking into account the financial assistance of Rs 7 crore from RBI towards staff expenses.

9.4 As mentioned in the last year's Report, a net sum of Rs 1913.92 crore was due to the Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund as at the close of business on 31st March 1997 on account of surplus/ deficit in the account from the year 1987 onwards. From the current year's surplus of

Rs 2646.14 crore a sum of Rs 1334.19 crore has been transferred to DIF thereby reducing the amount due to DIF to Rs 579.73 crore.

Budgetary Control

10. The Corporation has evolved various returns under Management Information System (MIS) and exercises budgetary control over revenue and expenditure under its three Funds viz., Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund.

Investments

11.1 In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts which were not required for the time being were invested in Central Government Securities, including Treasury Bills. The details of investments are furnished in Annexure XIV. The depreciation in the investments of the three Funds has been fully provided for, to the satisfaction of the Auditors.

Investment Committee

11.2 As mentioned in the last Annual Report the various recommendations of the Rai Committee (constituted to suggest ways to improve the yield on investments) were examined and necessary action/ steps initiated.

- i) Regarding amendment to Section 25 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the matter is still pending with the Government of India. However, it is being followed up vigorously for early action.
- ii) The matter regarding permitting the Corporation to treat the Investments as 'Stock-in-Trade' was examined and in consultation with our Tax Consultants, the matter was put up to the Board. The Board resolved to treat the Investments of the Corporation as 'Stock-in-Trade' at the meeting held on 26th March 1997. Income-Tax Return for the Assessment Year 1996-97 onwards are being filed accordingly to enable the Assessment Office to treat the Investments of the Corporation as 'Stock-in-Trade'.
- iii) The matter regarding granting of special status to the Corporation under the relevant provisions of the Income-Tax Act (Section 44/115B) for the purpose of assessing its tax liability on the lines of Life Insurance Corporation and General

Insurance Corporation has been taken up with the Government of India and their decision is awaited.

GENERAL

Auditors

12.1 In terms of Section 29(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors appointed with the prior approval of the Reserve Bank of India, M/s Habib & Co, Chartered Accountants, Mumbai as Auditors of the Corporation for the year ended 31st March 1998.

Progressive use of Hindi

12.2 The Corporation ensures the compliance of Section 3(3) of Official Languages Implementation Act. The Head Office of the Corporation has been notified under rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976. The Official Languages Implementation Committee meets regularly every quarter to monitor as well as to facilitate the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation.

Training & Deputation

12.3 During the year, Dr Rene Brugger of SDC and the head of the Bolivian team visited the Corporation and the team was briefed about the Corporation in general and Deposit Insurance Department in particular.

The Corporation deputed its Officers to various training institutions of the RBI to deliver talks on the schemes of the Corporation and the settlement of claims thereunder. Staff of the Corporation at all levels were also deputed to the training programmes offered by the RBI at its various training centres. During the year under report 26 Officers and 6 clerical staff were deputed for these training programmes. Also, 52 employees were deputed for computer training with an external institution.

Inspection & Financial Audit by RBI

12.4. The suggestions made/irregularities pointed out in the Systems & Staffing Inspection Report, 1994 of the Inspection Department of RBI, have mostly been rectified/implemented. During 1997-98, the Inspection Department conducted the Systems & Staffing Inspection of Head Office of the Corporation and suggestions made, irregularities pointed out are being rectified. They have also conducted Systems &

Staffing Inspection of all the four branches viz., Calcutta, New Delhi, Chennai and Nagpur. The Regional Audit Cell of RBI conducted audit of the Corporation's Head Office for the half-years ended 31st March 1998. The audit of the four branches of the Corporation upto half-year ended September 1997 has also been completed by the concerned Regional Audit Cells.

Computers

13. Software programmes for processing of claims in NI.11, NI.15 and NT.17 formats submitted on tape and paper are operating smoothly. New programmes on Management Information System are also functioning satisfactorily. Plans for computerisation of other key areas have been drawn up and the same are expected to be completed shortly.

Management

14. Shri Jagdish Capoor, Deputy Governor, Reserve Bank of India was nominated as a Chairman of the Corporation under Section 6(1)(a) of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 vice Shri R V Gupta, Deputy Governor from 17 December 1997. Shri B S Sharma, Executive Director, Reserve Bank of India was nominated as a Director in terms of 6(1)(b) of DICGC Act, 1961 vice Shri S Gurumurthy, Executive Director from 6 February 1998. Shri M G Srivastava took over as Chief General Manager on 12 January 1998 on retirement of Shri D S R Simhudu.

15. During the year ended 31st March 1998, four meetings of the Board of Directors of the Corporation were held.

16. The Board highly appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining the operational efficiency.

DEPOSIT INSURANCE
AND CREDIT
GUARANTEE
CORPORATION
MUMBAI 400 039

For and on behalf of
the
Board of Directors

(JAGDISH CAPOOR)
Chairman

Dated : 25 June 1998

ANNEXURE – I

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

| Year/Period | No. of registered banks at the commencement of the year/period | No. of Banks registered during the year/period | No. of banks deregistered where Corporation's liability | | | Total No. of registered banks at the end of the year/period (2 + 3 – 6) |
|-----------------|--|--|---|-------------------|---------------|---|
| | | | was attracted | was not attracted | Total (4 + 5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1962 | 287 | — | 2 | 9 | 11 | 276 |
| 1963 to 1965 | 276 | 1 | 7 | 161 | 168 | 109 |
| 1966 to 1970 | 109 | 1 | 5 | 22 | 27 | 83 |
| 1971 to 1975 | 83 | 544 | — | 16 | 16 | 611 |
| 1976 to 1980 | 611 | 995 | 9 | 15 | 24 | 1582 |
| 1981 to 1985 | 1582 | 280 | 8 | 17 | 25 | 1837 |
| 1986 to 1989-90 | 1837 | 102 | 8 | 10 | 18 | 1921 |
| 1990-91 | 1921 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1922 |
| 1991-92 | 1922 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1931 |
| 1992-93 | 1931 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1931 |
| 1993-94 | 1931 | 63 | 1 | 3 | 4 | 1990 |
| 1994-95 | 1990 | 36 | — | 1 | 1 | 2025 |
| 1995-96 | 2025 | 99 | 1 | 1 | 2 | 2122 |
| 1996-97 | 2122 | 176 | 1 | 1 | 2 | 2296 |
| 1997-98 | 2296 | 145 | 1 | 2 | 3 | 2438 |

ANNEXURE – I A

Category-wise break-up of insured banks at the end of 1995-96, 1996-97 and 1997-98

| Year | No. of insured banks | | | |
|---------|----------------------|------|--------------------|-------|
| | Commercial Banks | RRBs | Co-operative Banks | Total |
| 1995-96 | 102 | 196 | 1824 | 2122 |
| 1996-97 | 108 | 196 | 1992 | 2296 |
| 1997-98 | 108* | 196 | 2134 | 2438 |

- * includes
1. Bari Doab Bank Ltd., under amalgamation with Oriental Bank of Commerce
 2. Kashinath Seth Bank Ltd., under amalgamation with State Bank of India
 3. Jharia Industrial Bank Ltd., is defunct bank.

ANNEXURE – II

SUMMARY OF INSURED BANKS (As on 31st March 1998)

| | |
|--------------------------|-------------|
| i) Commercial Banks | 108 |
| ii) Regional Rural Banks | 196 |
| iii) Co-operative Banks | 2134 |
| Total | 2438 |

Statewise Break-up of Co-operative Banks

| <i>State/Union Territory</i> | <i>Apex</i> | <i>Central</i> | <i>Primary</i> | <i>Total</i> |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| State | | | | |
| 1. Andhra Pradesh | 1 | 22 | 97 | 120 |
| 2. Assam | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 3. Bihar | 1 | 34 | 6 | 41 |
| 4. Delhi | 1 | — | 16 | 17 |
| 5. Goa | 1 | — | 7 | 8 |
| 6. Gujarat | 1 | 21 | 328 | 350 |
| 7. Haryana | 1 | 14 | 8 | 23 |
| 8. Himachal Pradesh | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 9. Jammu & Kashmir | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10. Karnataka | 1 | 22 | 262 | 285 |
| 11. Kerala | 1 | 14 | 61 | 76 |
| 12. Madhya Pradesh | 1 | 45 | 74 | 120 |
| 13. Maharashtra | 1 | 31 | 560 | 592 |
| 14. Manipur | 1 | - | 5 | 6 |
| 15. Orissa | 1 | 17 | 14 | 32 |
| 16. Punjab | 1 | 17 | 5 | 23 |
| 17. Rajasthan | 1 | 27 | 33 | 61 |
| 18. Tamil Nadu | 1 | 22 | 133 | 156 |
| 19. Tripura | 1 | - | 1 | 2 |
| 20. Uttar Pradesh | 1 | 57 | 65 | 123 |
| 21. West Bengal | 1 | 17 | 51 | 69 |
| Union Territory | | | | |
| 1. Pondicherry | 1 | — | 1 | 2 |
| 2. Daman & Diu | — | — | — | — |
| TOTAL | 22 | 366 | 1746 | 2134 |

ANNEXURE – II A

BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED DURING THE YEAR 1997-98

A. REGISTERED

I. Commercial Banks

1. Bank Muscat Al Ahli Oman

II. Co-operative Banks

State

Name of the Bank

Andhra Pradesh (25)

1. Suvarna Co-operative Urban Bank Ltd.
2. Mandapeta Co-op. Town Bank Ltd.
3. Sri Gayatri Co-op. Urban Bank Ltd.
4. Bhadradi Co-op. Urban Bank Ltd.
5. Pochampally Co-op. Urban Bank Ltd.
6. The Kanyaka Parameshwari Co-op. Urban Bank Ltd.
7. Vijay Co-op. Urban Bank Ltd.
8. Trinity Co-op. Urban Bank Ltd.
9. The Hyderabad Co-op. Urban Bank Ltd.
10. Adarsh Co-op. Urban Bank Ltd.
11. Sai Co-op. Urban Bank Ltd.
12. Megacity Co-op. Urban Bank Ltd.
13. A.P. Rajarajeshwari Mahila Co-op. Urban Bank Ltd.
14. Apna Co-op. Urban Bank Ltd.
15. Priyadarshini Urban Co-op. Bank Ltd.
16. Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd.
17. Manasa Co-op. Urban Bank Ltd.
18. Veer Shaiva Co-op. Urban Bank Ltd.
19. Mahanagar Co-op. Urban Bank Ltd.
20. Deccan Co-op. Urban Bank Ltd.
21. Samatha Mahila Co-op. Urban Bank Ltd.
22. Bhavani Rishi Co-op. Urban Bank Ltd.
23. Sanghamitra Co-op. Urban Bank Ltd.
24. Sri Satya Sai Co-op. Urban Bank Ltd.
25. Chaitanya Co-op. Urban Bank Ltd.

Assam (2)

1. Mahabhairab Co-op. Urban Bank Ltd.
2. Golaghat Urban Co-op Bank Ltd.

Bihar (1)

1. Vaishali Sahakari Vikas Co-op. Bank Ltd.

Gujarat (17)

1. Shihori Nagari Sahakari Bank Ltd.
2. Dhanera Mercantile Co-op. Bank Ltd.
3. Standard Co-op. Bank Ltd.
4. Shri Vikas Co-op. Bank Ltd.
5. Amarnath Co-op. Bank Ltd.
6. Chavda Nagari Sahakari Bank Ltd.
7. Lalbagh Co-op. Bank Ltd.
8. Ankleshwar Udaynagar Co-op. Bank Ltd.
9. Royal Co-op. Bank Ltd.
10. Union Commercial Co-op. Bank Ltd.
11. Adarsh Mahila Co-op. Bank Ltd.
12. Suvikas Peoples Co-op. Bank Ltd.
13. Co-op. Bank of Mehsana Ltd.
14. Rajkot Peoples' Co-op. Bank Ltd.
15. Tapi Co-op. Bank Ltd.
16. Mahila Co-op. Bank Ltd., Bharuch.
17. Classic Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad.

Goa (1)

1. Goa Peoples' Urban Co-op. Bank Ltd.

Himachal Pradesh (1)

1. The Parwanoo Urban Co-op. Bank Ltd.

Jammu & Kashmir (1)

1. Devika Urban Co-op. Bank Ltd., Udhampur.

Karnataka (21)

1. Vikas Urban Co-op. Bank Niyamitha, Vellapor
2. Adarsha Pattana Sah. Bk Niyamith, HaraParahalli
3. Bailagi Urban Co-op. Bank Ltd., Bailagi.
4. Varada Co-op. Bank Ltd., Karajagi, Bangalore.
5. Shri Charan Sahakari Bank Ltd.
6. Chikmanglor Pattana Sah. Bank Niyamith.
7. Jyotirlinga Sah. Bank Ltd., Jalgeri.
8. Karanataka Contractors Sah. Bank Niyamith.
9. Daivadnya Sahakari Bank Niyamith, Belgaum.
10. Lokpavni Mahila Sah. Bank Ltd., Mandya.
11. Sri Mahatma Basaveshwar Co-op. Bank Ltd.
12. Mudgal Urban Co-op. Bank Ltd., Mudgal.

13. Mahila Shakti Co-op. Bank Niyamit, Bellary.
14. Sir M. Vishweshwaraiali Sah. Bank. Niyamith.
15. Krishnapattana Sah. Bank. Niyamit, Hallisagar.
16. Kanakapattana Sah. Bank. Niyamit, Davanagere.
17. Shri Kadsidheshwar Pattana Sah. Bank. Niyamith.
18. Saubhagya Mahila Sahakari Bank Niyamith, Gagad
19. Shiva Sahakari Bank Niyamith, Shikarpur.
20. Akkamahadevi Mahila Sah. Bank Niyamith, Belgaum
21. Aroodh Jyoti Pattana Sah. Bank. Niyamith, Belgaum

Madhya Pradesh (7)

1. Raigarh Nagari Sah. Bank Mydt., Raigarh
2. Nagarik Sahakari Bank Mydt., Jhabua.
3. Mahanagar Nagrik Sahakari Bank Mydt. Bairagarh
4. Krishna Mercantile Co-op. Bank Ltd., Bhopal
5. Mahila Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Khargone
6. Arihant Urban Co-op. Bank Ltd.
7. Mahila Nagari Sahakari Bank Mydt, Mahasamund.

Maharashtra (55)

1. Mansingh Co-op. Bank Ltd., Sangali.
2. Ganaraj Nagarik Sahakari Bank Ltd., Beed.
3. Lokvikas Nagari Sahakari Bank Ltd., Aurangabad
4. Nagnath Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani.
5. Manorama Urban Co-op. Bank Ltd., Solapur.
6. Mohol Urban Co-op. Bank Ltd., Mohol.
7. Nilkanth Urban Co-op. Bank Ltd., Solapur
8. Dhanashree Mahila Sahakari Bank Ltd., Miraj.
9. Shirala Taluka Urban Co-op. Bank Ltd., Shirala.
10. Dr Babasahed Ambedkar Nagri Sah. Bank Mydt.
11. Shrikrishna Co-op. Bank Mydt., Umred.
12. Indira Mahila Nagari Sah. Bank Ltd., Latur.
13. The Faij Mercantile Co-op. Bank Ltd., Nasik.
14. Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd.
15. Parivartan Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai.
16. Shahupuri Nagari Sah. Bank Ltd., Shahupuri.
17. Nrusingh Saraswati Sah. Bank. Ltd., Asurle Porle.
18. Rajlakshmi Urban Co-op. Bank Ltd., Nashik.
19. Laxmi Urban Co-op. Bank Ltd., Latur.

20. Jijamata Mahila Urban Co-op. Bank Ltd., Latur.
21. Agrasen Nagari Sahakari Bank Ltd., Akola.
22. The Gramodaya Vikas Sahakari Bank Ltd., Dhule.
23. Marathwada Nagari Sahakari Bank Ltd., Hingoli.
24. Saraswati Sahakari Bank Ltd., Ozar.
25. Rahimatpur Sahakari Bank Ltd., Rahimatpur.
26. Nasik Jilha Girne Sah. Bank Ltd., Kalwa.
27. Jarandeshwar Sah. Bank Ltd., Satara Road.
28. Simhagad Urban Co-op. Bank Ltd., Pathari.
29. Shri Vyas Dhanvarsha Sah. Bank Ltd., Yawal.
30. Sonapeth Nagari Sah. Bank Mydt., Sonapeth.
31. Satyashodhak Sahakari Bank Ltd., Kolhapur.
32. Shri Babasaheb Deshukh Sah. Bank Ltd., Atpadi.
33. Vasantdada Nagri Sahakari Bank Ltd., Osmanabad
34. Indapur Urban Co-op. Bank Ltd., Pune.
35. Rajeshwar Yuwak Vikas Sah. Bank Ltd., Satara.
36. Mula Sah. Bank Ltd., Sonai.
37. Shri Swami Samartha Urban Co-op. Bank Ltd.
38. Jalna Merchants Co-op. Bank Ltd., Jalna.
39. Vidyanand Urban Co-op. Bank Ltd., Solapur
40. Sopankaka Sahakari Bank Mydt., Saswad.
41. Dilip Urban Co-op. Bank Ltd., Barshi.
42. Shri Mahavir Urban Co-op. Bank Ltd., Solapur.
43. Adarsh Mahila Nagari Sah. Bank Mydt., Aurangabad.
44. Pimpri – Chinchwad Sah. Bank Maryadit., Pune.
45. Gadchiroli Nagari Sah. Bank Mydt., Gadchiroli.
46. Kisan Nagari Sahakari Bank Mydt., Parbhani.
47. Rajalaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Dhule.
48. Kamala Co-op. Bank Ltd., Solapur.
49. Shri Rukmini Sahakari Bank Ltd. Shrigonda.
50. Markabdey Nagari Sahakari Bank Ltd. Nanded.
51. Shri Sai Urban Co-op. Bank Ltd. Nanded.
52. Ahilyadevi Mahila Urban Co-op. Bank Ltd. Solapur
53. Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd. Latur.
54. Krishna Urban Co-op. Bank Ltd., Kej.
55. Priyadarshini Urban Co-op. Bank Ltd. Kallam.

Rajasthan (2)

1. Sterling Urban Co-op. Bank Ltd., Jaipur.
2. Kota Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Kota.

Uttar Pradesh (9)

1. Bhadohi Urban Co-op. Bank Ltd. Bhadohi.
2. Mahoba Urban Co-op. Bank Ltd., Mahoba.
3. National Urban Co-op. Bank Ltd. Baliraich.
4. Shivalik Mercantile Co-op. Bank Ltd. Saharanpur
5. United Commercial Co-op. Bank Ltd., Kanpur.
6. Indian Co-op. Development Bank Ltd. Meerut.
7. The Ganga Mercantile Urban Co-op. Bank. Ltd.
8. Nagar Sahakari Bank Ltd., Itawah.
9. Peoples' Co-op. Bank Ltd., Kanpur.

West Bengal (2)

1. Durgapur Steel Peoples Co-op. Bank Ltd.
2. Samata Co-op. Development Bank Ltd. Calcutta

B. DEREGISTERED**I. Commercial Banks**

1. Punjab Co-op. Bank Ltd.,
(in terms of Government notification No.F 17/14/96 BOA-(i) (ii) dated 07.04.1997)
amalgamated with Oriental Bank of Commerce.

II. Co-operative BanksStateName of the Bank**Maharashtra (2)**

1. Peoples' Co-op. Bank Ltd., Ichalkaranji.
2. Poona Co-op. Bank Ltd., Mumbai.

ANNEXURE – III

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(As as on the last Friday of December 1961 and the last working day of June 1981 to June 1997)

| <i>Year</i> | <i>No. of fully protected accounts^o (in lakhs)</i> | <i>Total No. of accounts (in lakhs)</i> | <i>Percen- tage of (2) to (3)</i> | <i>Insured deposits^o (Rs. crores)</i> | <i>Total as- sessable deposits (Rs. crores)</i> | <i>Percen- tage of (5) to (6)</i> |
|-------------|---|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1961 | 55.42 | 70.58 | 78.5 | 392.32 | 1,693.74 | 23.1 |
| 1981 | 1,364.62 | 1,377.07 | 99.1 | 25,859.20 | 35,004.43 | 73.9 |
| 1982 | 1,580.98 | 1,598.24 | 98.9 | 31,773.92 | 42,360.41 | 75.0 |
| 1983 | 1,784.97 | 1,815.82 | 98.3 | 37,746.39 | 50,796.54 | 74.3 |
| 1984 | 2,000.97 | 2,025.94 | 98.7 | 46,339.53 | 61,880.23 | 74.8 |
| 1985 | 2,145.16 | 2,238.37 | 95.8 | 56,211.15 | 76,517.22 | 73.5 |
| 1986 | 2,320.05 | 2,359.60 | 98.0 | 62,878.13 | 86,213.96 | 72.9 |
| 1987 | 2,518.01 | 2,568.51 | 98.0 | 75,511.19 | 1,03,044.15 | 73.3 |
| 1988-89 | 2,704.87 | 2,780.88 | 97.3 | 90,191.69 | 1,26,864.19 | 71.1 |
| 1989-90 | 3,059.11 | 3,141.68 | 97.4 | 1,01,681.96 | 1,40,745.95 | 72.2 |
| 1990-91 | 2,982.52 | 3,089.12 | 96.5 | 1,09,315.52 | 1,56,891.90 | 69.7 |
| 1991-92 | 3,169.18 | 3,287.00 | 96.4 | 1,27,924.91 | 1,86,307.39 | 68.7 |
| 1992-93 | 3,395.03 | 3,543.02 | 95.8 | 1,64,526.57 | 2,44,375.38 | 67.3 |
| 1993-94 | 3,497.10 | 3,529.03 | 99.1 | 1,68,404.82 | 2,49,033.83 | 67.6 |
| 1994-95 | 4,956.05 | 4,993.99 | 99.2 | 2,66,746.65 | 3,64,057.60 | 73.3 |
| 1995-96 | 4,818.63 | 4,868.07 | 99.0 | 2,95,574.97 | 3,92,071.69 | 75.4 |
| 1996-97 | 4,273.23 | 4,351.26 | 98.2 | 3,37,671.00 | 4,50,674.17 | 74.9 |
| 1997-98 | 3,713.02 | 4,108.73 | 90.4\$ | 3,70,531.21 | 4,92,379.86 | 75.2 |

^o Number of accounts with balance not exceeding Rs 1,500 till the end of 1967, Rs 30,000 from 1981 onwards till 1992-93 and Rs 1,00,000 from 1993-94 onwards.

\$ Out of 2,438 insured banks only 1,368 banks have furnished data on the classification of deposits (Return DI-02). The matter is being followed up with the remaining banks.

ANNEXURE – IV

**STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE
DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS
1995-96, 1996-97 AND 1997-98**

| <i>Year</i> | <i>Category of banks</i> | <i>Total No. of insured banks</i> | <i>No. of reporting banks</i> | <i>Insured deposits (Rs. crores)</i> | <i>Total assessable deposits (Rs. crores)</i> | <i>Percentage of (5) to (6)</i> |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1995-96 | I Commercial Banks | | | | | |
| | i) SBI Group | 8 | 7 | 79,647.32 | 94,046.17 | 84.69 |
| | ii) Public Sector | 19 | 17 | 1,47,740.78 | 1,92,612.38 | 76.70 |
| | iii) Foreign Banks | 35 | 25 | 6,301.90 | 24,293.30 | 25.94 |
| | iv) Private Banks | | | | | |
| | a) Scheduled | 38 | 32 | 17,056.62 | 26,036.61 | 65.51 |
| | b) Non-Scheduled | 2 | 2 | 62.45 | 67.52 | 92.94 |
| | Total | 102 | 83 | 2,50,809.07 | 3,37,055.98 | 74.41 |
| | II Regional Rural Banks | 196 | 160 | 7,643.56 | 8,077.91 | 94.62 |
| | III Co-operative Banks | 1,824 | 1,380 | 37,122.34 | 46,937.80 | 79.09 |
| | Total I+II+III | 2,122 | 1,623 | 2,95,574.97 | 3,92,071.69 | 75.38 |
| 1996-97 | I Commercial Banks | | | | | |
| | i) SBI Group | 8 | 7 | 86,694.48 | 1,09,604.57 | 79.10 |
| | ii) Public Sector | 19 | 19 | 1,81,227.77 | 2,32,858.23 | 77.83 |
| | iii) Foreign Banks | 42 | 25 | 5,719.22 | 24,758.74 | 23.10 |
| | iv) Private Banks | | | | | |
| | a) Scheduled | 36 | 29 | 18,466.46 | 28,331.31 | 65.18 |
| | b) Non-Scheduled | 3 | 1 | 1.27 | 1.73 | 73.41 |
| | Total | 108 | 81 | 2,92,109.20 | 3,95,554.58 | 73.84 |
| | II Regional Rural Banks | 196 | 163 | 9,805.29 | 10,436.05 | 93.96 |
| | III Co-operative Banks | 1,992 | 1,101 | 35,756.51 | 44,683.54 | 80.02 |
| | Total I+II+III | 2,296 | 1,345 | 3,37,671.00 | 4,50,674.17 | 74.92 |
| 1997-98 | I Commercial Banks | | | | | |
| | i) SBI Group | 8 | 7 | 97,216.42 | 1,24,498.03 | 78.08 |
| | ii) Public Sector | 19 | 17 | 1,83,773.71 | 2,34,991.06 | 78.02 |
| | iii) Foreign Banks | 43 | 30 | 6,755.56 | 26,827.12 | 25.18 |
| | iv) Private Banks | | | | | |
| | a) Scheduled | 35 | 28 | 27,493.12 | 39,960.56 | 68.80 |
| | b) Non-Scheduled | 3 | — | — | — | — |
| | Total | 108 | 82 | 3,15,238.81 | 4,26,276.77 | 73.95 |
| | II Regional Rural Banks | 196 | 149 | 12,965.62 | 13,795.72 | 93.98 |
| | III Co-operative Banks | 2,134 | 1,137 | 42,326.78 | 52,307.37 | 80.92 |
| | Total I+II+III | 2,438 | 1,368 | 3,70,531.21 | 4,92,379.86 | 75.25 |

ANNEXURE – V

**DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR
AND REPAYMENTS RECEIVED AS ON 31ST MARCH 1997B**

(Rupees lakhs)

| <i>Sr. No.</i> | <i>Name of the bank (figures in brackets indicate the year in which the claims were met)</i> | <i>Total insured deposits paid & provided for</i> | <i>Repayments received by Corporation</i> | <i>Balance (3)-(4)</i> |
|--|--|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. COMMERCIAL BANKS | | | | |
| i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full | | | | |
| \$ | 1) Bank of China, Calcutta (1963) | 9.25 | 9.25 | — |
| * | 2) Shree Jadeya Shankar Ling Bank Ltd; Bijapur (1965) | 0.12 | 0.12 | — |
| * | 3) Bank of Behar Ltd; Patna (1970) | 46.32 | 46.32 | — |
| * | 4) Cochin Nayar Bank Ltd; Trichur (1964) | 7.04 | 7.04 | — |
| * | 5) Latin Christian Bank Ltd; Ernakulam (1964) | 2.08 | 2.08 | — |
| @ | 6) Bank of Karad Ltd., Mumbai | 3700.00 | 3700.00 | — |
| | Total 'A' | 3764.81 | 3764.81 | — |
| (ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been paid in part and balance due has been written off | | | | |
| * | 7) Unity Bank Ltd., Madras (1963) | 2.53 | 1.37 (1.16) | — |
| * | 8) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964) | 1.08 | 0.31 (0.77) | — |
| * | 9) Chawla Bank Ltd. Dehradun (1969) | 0.18 | 0.14 (0.04) | — |
| * | 10) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964) | 8.80 | 4.42 (4.38) | — |
| * | 11) Southern Bank Ltd., Calcutta (1964) | 7.34 | 3.73 (3.61) | — |
| * | 12) Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963) | 0.28 | 0.18 (0.10) | — |
| | Total 'B' | 20.21 | 10.15 (10.06) | — |
| (Figures in brackets indicate the amount written off) | | | | |

(Contd.)

ANNEXURE – V (Contd.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|
| iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full | | | | |
| * 13) | National Bank of Pakistan, Calcutta (1966) | 0.99 (0.85) | 0.88 | 0.11 (0.85) |
| * 14) | Habib Bank Ltd., Mumbai (1966) | 17.26 (1.18) | 16.78 | 0.48 (1.18) |
| (Figures in brackets relate to payments prohibited under the Scheme of amalgamation) | | | | |
| * 15) | National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970) | 9.69 | — | 9.69 |
| * 16) | Bank of Cochin Ltd., Cochin(1986) | 1,162.78 | 694.58 | 468.20 |
| * 17) | Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987) | 146.59 | 67.88 | 78.71 |
| * 18) | Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (1987) | 3,340.62 | 784.15 | 2,556.47 |
| * 19) | Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988) | 2,191.67 | 253.66 | 1,938.01 |
| * 20) | United Industrial Bank, Calcutta (1990) | 3,501.58 | 58.05 | 3,443.53 |
| * 21) | Traders Bank Ltd., New Delhi (1990) | 306.34 | 133.88 | 172.46 |
| * 22) | Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur (1990) | 1,078.36 | 414.51 | 663.85 |
| * 23) | Bank of Tamil Nadu Ltd. (1990) | 764.50 | 209.37 | 555.13 |
| * 24) | Parur Central Bank Ltd., North Parur (1990) | 260.92 | 89.70 | 171.22 |
| * 25) | Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990) | 725.77 | 76.56 | 649.21 |
| Total 'C' | | 13,507.07 | 2,800.00 | 10,707.07 |
| Total 'A' + 'B' + 'C' | | 17,292.09 | 6,574.96 | 10,707.07 |
| II. CO-OPERATIVE BANKS | | | | |
| i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full | | | | |
| \$\$ 26) | Malvan Co-op. Urban Bank Ltd., Malvan (1977) | 1.84 | 1.84 | + |
| % 27) | Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978) | 10.72 | 10.72 | ++ |
| @ 28) | Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984) | 18.37 | 18.37 | +++ |
| @ 29) | Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981) | 2.19 | 2.19 | ++++ |
| Total 'D' | | 33.12 | 33.12 | — |
| (ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full | | | | |
| @ 30) | Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976) | 5.73 | — | 5.73 |
| @ 31) | Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1977) | 2.76 | — | 2.76 |
| @ 32) | Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978) | 0.60 | — | 0.60 |

(Contd.)

ANNEXURE – V (Contd.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--------------------|----------------|-----------------|
| * | 33) Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri (1978) | 46.43 | 12.42 | 34.01 |
| * | 34) Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1979) | 11.57 | 5.60 | 5.97 |
| * | 35) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1979) | 7.02 | 3.06 | 3.96 |
| * | 36) Kalavihar Co-op. Bank Ltd. Mumbai (1979) | 13.17 | 3.31 | 9.86 |
| * | 37) Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982) | 91.31 | 12.95 | 78.36 |
| @ | 38) Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985) | 13.96 | — | 13.96 |
| @ | 39) Adarsh Co-op. Bank Ltd., Mysore (1985) | 2.74 | 0.65 | 2.09 |
| * | 40) Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Kurduwadi (1986) | 4.85 | 4.01 | 0.84 |
| @ | 41) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Gadag (1986) | 22.85 | 12.16 | 10.69 |
| @ | 42) Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal (1987) | 9.61 | 2.28 | 7.33 |
| @ | 43) Hind Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Lucknow (1988) | 10.95 | — | 10.95 |
| @ | 44) Yellamanchili Co-op. Bank Ltd., Yellamanchili (1990) | 4.36 | — | 4.36 |
| @ | 45) Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala (1991) | 3.89 | — | 3.89 |
| @ | 46) Kundara Co-op. Urban Bank Ltd., Kundara (1991) | 17.37 | 8.62 | 8.75 |
| @ | 47) Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Manoli (1991) | 17.44 | 9.39 | 8.05 |
| @ | 48) Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Baroda (1991) | 74.85 | 6.00 | 68.85 |
| @ | 49) Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992) | 125.00 | — | 125.00 |
| * | 50) Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd. (1992) | 37.11 | 1.64 | 35.47 |
| @ | 51) Bhadravathi Town Co-op. Bank Ltd. (1994) | 0.26 | — | 0.26 |
| @ | 52) Bhiloda Nagrik Sahakari Bank Ltd., Bhiloda (1994) | 19.84 | — | 19.84 |
| @ | 53) Citizen's Urban Co-op. Bank Ltd., Indore (1994) | 220.57 | — | 220.57 |
| @ | 54) Chetana Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1995) | 875.49 | 7.58 | 867.91 |
| @ | 55) Bijapur Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli (1996) | 24.73 | — | 24.73 |
| @ | 56) Hindupur Co-op. Town Bank Ltd. Hindupur (1996) | 1.09 | — | 1.09 |
| @ | 57) The Peoples Co-op. Bank Ltd., Ichalkaranji (1996) | 365.46 | — | 365.46 |
| @ | 58) The Swastik Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1998) | 225.92 | — | 225.92 |
| | Total 'E' | 2256.93 | 89.67 | 2167.26 |
| | Total 'D' + 'E' | 2290.05 | 122.79 | 2167.26 |
| | Total 'A' + 'B' + 'C' + 'D' + 'E' | 19582.14 ** | 6697.75 | 12874.33 |

\$ Licence to carry on banking business cancelled by the RBI.

\$\$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-op. Bank Ltd. in 1984.

* Scheme of amalgamation.

@ Banks taken into liquidation.

+ Provision of Rs 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

++ Provision of Rs 2.07 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

+++ Provision of Rs 0.14 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

++++ Provision of Rs 0.11 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

% The Bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-op. Bank Ltd. in 1987.

** Amount under column 3 includes "On A/c" payments made to Bank of Karad Ltd. (Rs 37.00 crore) and Metropolitan Co-op. Bank Ltd. (Rs 1.25 crore) (Both under liquidation).

Note : The figures of claims given above are after effecting adjustments.

ANNEXURE – VI

CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL BORROWERS AS ON 31ST MARCH 1998

| Name of the Guarantee Scheme | Total number of participants as on 31st March 1997 | | | | Credit institutions joined (+) / withdrawn (-) / ceased (-) during the period April 1997 - March 1998 | | | | Total number of participants as on 31st March 1998 | | | |
|--|--|-------|--------------|-------|---|-------|--------------|--------|--|-------|--------------|-------|
| | Comml. Banks | RRBs. | Co-op. Banks | Total | Comml. Banks | RRBs. | Co-op. Banks | Total | Comml. Banks | RRBs. | Co-op. Banks | Total |
| 1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 15 | 21 | — | 36 | (-)9 | (-)8 | — | (-)17 | 6 | 13 | — | 19 |
| 2. Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 3. Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 | 14 | 17 | 47 | 78 | (-)7 | (-)8 | (-)9 | (-)24 | 7 | 9 | 38* | 54 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| * State Co-operative Bank | 1 |
| Central Co-operative Banks | 26 |
| Primary Urban Co-operative Banks | 11 |
| | <u>38</u> |

ANNEXURE – VII

SCHEME-WISE NAMES OF BANKS WITHDRAWN/DELETED FROM THE LIST OF PARTICIPATING
CREDIT INSTITUTIONS DURING THE YEAR 1997-98

A. SMALL LOANS GUARANTEE SCHEME, 1971

i) **Commercial Banks**
Withdrawn

Sr. No. Name of Institution

1. State Bank of India
2. State Bank of Hyderabad
3. Andhra Bank
4. Dena Bank
5. Punjab National Bank
6. Syndicate Bank
7. United Western Bank Ltd.
8. Nainital Bank
9. Punjab Co-op. Bank Ltd.

ii) **Regional Rural Banks**
Withdrawn

10. Bareilly Kshetriya Gramin Bank
11. Cachar Gramin Bank
12. Chambal Kshetriya Gramin Bank
13. Jaipur Nagaur Anchalik Bank
14. Koraput Kshetriya Gramin Bank
15. Kosi Kshetriya Gramin Bank
16. Rushikulya Gramya Bank
17. Subansiri Gaonlia Bank

B. SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

i) **Commercial Banks**
Withdrawn

Sr. No. Name of Institution

1. State Bank of India
2. State Bank of Hyderabad
3. Andhra Bank
4. Dena Bank
5. Punjab National Bank
6. Syndicated Bank
7. Nainital Bank

ii) **Regional Rural Banks**
Withdrawn

8. Bareilly Kshetriya Gramin Bank

ANNEXURE – VII (Contd.)

9. Cachar Gramin Bank
10. Chambal Kshetriya Gramin Bank
11. Jaipur Nagaur Anchalik Bank
12. Koraput Panchabhati Gramya Bank
13. Kosi Kshetriya Gramin Bank
14. Rushikulya Gramya Bank
15. Subansiri Gaonlia Bank

iii) Co-operative Banks

Withdrawn

16. Jammu Central Co-op. Bank Ltd.
17. Ratnagiri D.C.C. Bank Ltd.
18. Raigad D.C.C. Bank Ltd.
19. Wardha D.C.C. Bank Ltd.
20. Salem Urban Co-op. Bank Ltd.

Deleted

21. Chandrapur D.C.C. Bank Ltd.
22. Hyderabad D.C.C. Bank Ltd.
23. Kannur D.C.C. Bank Ltd.
24. Paramkudi Co-op. Urban Bank Ltd.

ANNEXURE - VIII

SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in Rupees crore)

| Scheme/Category of Borrowers | As at the end of June | | | | | | | As at the end of March | | | | | | | | % to total in Col. 16 |
|---|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 1972 | 1981 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 [^] | 1990 [^] | 1991 [^] | 1992 [^] | 1993 [^] | 1994 [^] | 1995 [^] | 1996 [^] | 1997 [^] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SMALL BORROWERS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 205.71 | 3546.24 | 7045.38 | 10345.10 | 10998.22 | 14145.67 | 25562.66 | 27676.73 | 29166.66 | 24429.24 | 26339.75 | 25474.28 | 18906.40 | 17260.80 | 3938.80 | 100.00 |
| i) Farmers & Agriculturists | 134.67 | 2267.52 | 4181.98 | 6020.34 | 6428.29 | 8504.48 | 10542.04 | 18565.55 | 19788.04 | 16572.80 | 17868.89 | 17075.41 | 12364.79 | 11335.17 | 2566.92 | 65.17 |
| ii) Transport Operators | 28.29 | 477.56 | 1239.58 | 1606.00 | 1664.73 | 1665.58 | | | | | | | | | | |
| iii) Retail Traders | 28.34 | 398.86 | 709.84 | 1191.85 | 1257.99 | 1795.38 | | | | | | | | | | |
| iv) Professional & Self-employed persons | 9.14 | 165.66 | 326.94 | 656.56 | 700.15 | 964.99 | 14519.56 ^s | 8727.03 ^s | 8973.00 ^s | 7514.44 ^s | 8102.11 ^s | 7840.98 ^s | 6172.94 ^s | 5632.20 ^s | 1315.95 ^s | 33.41 |
| v) Business Enterprises | 5.27 | 150.08 | 322.51 | 609.51 | 694.64 | 923.18 | | | | | | | | | | |
| vi) Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme | — | 86.56 | 264.53 | 260.84 | 252.42 | 292.06 | 501.06 | 384.15 | 405.62 | 342.00 | 368.75 | 557.89 | 368.67 | 293.43 | 55.93 | 1.42 |
| II. Small Loans (Financial Corps.) Guarantee Scheme, 1971 | 2.56 | 10.89 | 52.68 | 85.19 | 92.28 | 108.68 | 2.70 | 4.17 | — | # | # | # | # | # | | |
| III. Service Co-op. Societies Guarantee Scheme, 1971 | 0.12 | 1.32 | 0.50 | 0.72 | 0.72 | 1.84 | 0.20 | 0.44 | 0.39 | # | # | # | # | # | | |
| IV. Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984 | — | — | 5.69 [*] | 14.96 | 25.00 | 35.19 | | | | | | | | | | |
| i) Transport Operators | — | — | 1.84 | 5.49 | 8.54 | 13.31 | | | | | | | | | | |
| ii) Retail Traders | — | — | 2.64 | 5.53 | 7.67 | 8.51 | 20.70 ^s | 10.98 ^s | 13.77 ^s | 14.34 ^s | 8.08 ^s | 9.59 ^s | 3.33 ^s | 0.19 ^s | 0.21 ^s | — |
| iii) Professional & Self-employed persons | — | — | 1.05 | 1.87 | 4.08 | 6.74 | | | | | | | | | | |
| iv) Business Enterprises | — | — | 0.16 | 2.07 | 4.71 | 6.63 | | | | | | | | | | |
| Total of I, II, III & IV | 208.39 | 3558.45 | 7104.25 | 10445.97 | 11116.22 | 14291.38 | 25586.26 | 27692.32 | 29180.82 | 24443.58 | 26347.83 | 25483.87 | 18909.73 | 17260.99 | 3939.01 | 100.00 |

(Contd.)

ANNEXURE – VIII (Contd.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| SSI BORROWERS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| All SSI Units including cottage industries etc. | — | 3716.43 [@] | 4890.86 | 7497.46 [*] | 7738.03 | 10464.66 | 14094.00 | 16826.21 | 17362.36 | 19161.92 | 15502.66 | 14176.95 | 13847.33 | 11271.33 | 3376.00 | |
| GRAND TOTAL (A)+(B) | 208.39 | 7274.88 | 11995.11 | 17943.43 | 18854.25 | 24756.04 | 39680.26 | 44518.53⁺ | 46543.18⁺ | 43605.50 | 41850.49 | 39660.82 | 32757.06 | 28532.32 | 7315.01 | |

[@] As on 31 March 1981

^{*} As on 31 December 1984

[^] Due to non-receipt of statements from several participating credit institutions the figures furnished in these columns have been estimated on the basis of (i) actual receipt of remittances towards guarantee fee during the year (ii) priority sector advances portfolio of Public Sector Banks, as reported to Reserve Bank of India.

^{\$} The sector-wise break-up of guaranteed advances is not available.

⁺ Consequent on allowing credit institutions to exclude certain categories of advances from priority sector advances for the year 1990-91 and 1991-92, the revised figures of guaranteed advances as at 31 March 1990 and 1991 would be provisionally Rs 35851.33 and Rs 37410.16 crore respectively.

[#] Terminated with effect from 1 April 1992.

ANNEXURE – IX

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of Rupees)

| Period | Claims received | | Claims disposed of | | Of the claims disposed of (vide Columns 4 & 5) | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--|----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Claims paid | | Claims withdrawn | | Claims rejected | |
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Upto end of 1983 | 5,70,724 | 110.46 | 4,07,510 | 66.07 | 3,92,223 | 57.67 | 5,692 | 2.08 | 9,595 | 6.32 |
| During 1984 | 2,54,692 | 61.71 | 2,36,625 | 32.09 | 2,28,419 | 30.99 | 741 | 0.22 | 7,465 | 0.88 |
| During 1985 | 4,53,722 | 114.91 | 4,66,611 | 114.45 | 3,36,663 | 71.80 | 1,19,770 | 41.97 | 10,178 | 0.68 |
| During 1986 | 6,30,365 | 140.94 | 6,44,090 | 176.39 | 4,84,852 | 86.86 | 1,47,419 | 87.18 | 11,819 | 2.35 |
| During 1987 | 10,71,221 | 255.27 | 7,67,080 | 148.41 | 7,42,061 | 141.92 | 25 | 0.07 | 24,994 | 6.42 |
| During 1988-89 | 15,28,391 | 364.08 | 12,90,945 | 280.61 | 12,60,266 | 272.29 | 515 | 0.11 | 30,164 | 8.21 |
| During 1989-90 | 15,03,349 | 355.75 | 15,98,791 | 346.58 | 15,72,389 | 338.58 | 1,209 | 0.30 | 25,193 | 7.70 |
| During 1990-91 | 20,87,562 | 505.05 | 19,00,904 | 427.17 | 18,62,697 | 415.35 | 4,202 | 1.42 | 34,005 | 10.40 |
| During 1991-92 | 16,52,076 | 409.97 | 15,91,028 | 360.14 | 15,39,574 | 345.06 | 4,421 | 1.58 | 47,033 | 13.50 |
| During 1992-93 | 36,81,272 | 883.29 | 24,92,375 | 565.95 | 24,08,086 | 538.63 | 62 | 0.06 | 84,227 | 27.26 |
| During 1993-94 | 46,72,885 | 1167.60 | 33,58,702 | 1026.36 | 32,88,353 | 816.44 | 5,782 | 188.79 | 64,567 | 21.13 |
| During 1994-95 | 47,93,205 | 1348.11 | 39,11,870 | 1100.26 | 38,60,522 | 1078.15 | 3,428 | 0.88 | 47,920 | 21.23 |
| During 1995-96 | 62,64,590 | 1841.06 | 35,09,601 | 1031.42 | 34,52,981 | 1006.28 | 738 | 1.53 | 55,882 | 23.61 |
| During 1996-97 | 59,97,049 | 1842.05 | 13,11,663 | 402.89 | 12,58,230 | 373.40 | — | — | 53,433 | 29.49 |
| Total A | 3,51,61,103 | 9400.25 | 2,34,87,795 | 6078.79 | 2,26,87,316 | 5573.42 | 2,94,004 | 326.19 | 5,06,475 | 179.18 |

(Contd.2)

ANNEXURE – IX (Contd.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|
| During 1997-98 | | | | | | | | | | |
| 1. S.L.G. Scheme, 1971 | 5,40,971 @ | 183.90 @ | 11,79,328 | 400.90 | 11,35,571 | 371.40 | 1 | .. | 43,756 | 29.50 |
| 2. S.L. (F.C.) G. Scheme, 1971 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. S.L. (Co-op. Banks) G. Scheme, 1984 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total B (1+2+3) | 5,40,971 @ | 183.90 @ | 11,79,328 | 400.90 | 11,35,571 | 371.40 | 1 | — | 43,756 | 29.50 |
| Cum. of A+B | 3,57,02,074 @ | 9584.15 @ | 2,46,67,123 | 6479.69 | 2,38,22,887 | 5944.82 | 2,94,005 | 326.19 | 5,50,231 | 208.68 |
| C Tapes Returned upto March 1997 | | | 23,68,384 \$ | 707.21 \$ | | | 23,68,384 \$ | 707.21 \$ | | |
| During April 97-March 1998 | | | 3,61,308 \$ | 122.82 \$ | | | 3,61,308 \$ | 122.82 \$ | | |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | | |
| (A+B+C) | 3,57,02,074 @ | 9584.15 @ | 2,73,96,815 | 7309.72 | 2,38,22,887 | 5944.82 | 30,23,697 | 1156.22 | 5,50,231 | 208.68 |

Break-up of Pending Claims

| | No. | Rs Crore |
|---|--------------------|------------------|
| 1. Claims processed but payment held up for various reasons | 9,41,577 | 359.33 |
| 2. Claims to be processed/under clarification | 73,63,682 @ | 1915.10 @ |
| Total | 83,05,259 @ | 2274.43 @ |

\$ No. and value of claims on magnetic tapes returned to banks due to tape read error.

@ Provisional.

.. Negligible.

Note : The total of claims shown in the break-up of pending claims is the net of cum. total under receipts column and the claims disposed of column. Receipt value has been worked out by multiplying the total number of claims with average claim value for the year 1997-98.

During the year 1997-98, 31 claims for Rs.0.03 crore were received under the Scheme but all were found ineligible.

ANNEXURE - X

SECTOR-WISE BREAK-UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of Rupees)

| Sr. No. | Category of Borrowers | Total claims received upto 31 March 1997 | | Claims received during April 1997 to March 1998 | | % to total number in Col. 5 | % to total amount in Col. 6 | Cumulative total upto March 1998 | | % to total amount in Col. 10 |
|--------------|---|--|----------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| | | Number@ | Amount@ | Number@ | Amount@ | | | Number@ | Amount@ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Farmers and Agriculturists | 1,70,14,334 | 4320.55 | 2,84,442 | 92.54 | 52.58 | 50.32 | 1,72,98,776 | 4413.09 | 46.05 |
| 2. | Transport operators | 12,09,772 | 721.65 | 18,393 | 11.53 | 3.40 | 6.27 | 12,28,165 | 733.18 | 7.65 |
| 3. | Retail Traders | 97,09,769 | 2756.84 | 1,45,413 | 49.86 | 26.88 | 27.11 | 98,55,182 | 2806.70 | 29.28 |
| 4. | Professionals and Self-employed persons | 27,16,013 | 712.84 | 36,516 | 12.87 | 6.75 | 7.00 | 27,52,529 | 725.71 | 7.57 |
| 5. | Business Enterprises | 27,00,217 | 701.45 | 47,119 | 15.26 | 8.71 | 8.30 | 27,47,336 | 716.71 | 7.48 |
| 6. | Residual Category of Borrowers under DRI Scheme | 16,98,370 | 157.05 | 7,249 | 0.99 | 1.34 | 0.54 | 17,05,619 | 158.04 | 1.65 |
| 7. | Credit Facilities for Consumption and for Purchase or Construction of Houses etc. | 1,12,628 | 29.87 | 1,839 | 0.85 | 0.34 | 0.46 | 1,14,467 | 30.72 | 0.32 |
| Total | | 3,51,61,103 | 9400.25 | 5,40,971 | 183.90 | 100.00 | 100.00 | 3,57,02,074 | 9584.15 | 100.00 |

@ Provisional.

ANNEXURE – XI

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of Rupees)

| Period | Claims received | | Claims disposed of | | Of the claims disposed of | | | | | | Claims pending as at the end of the year | |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|---|----------------|-----------------|---------------|--|--------|
| | | | | | Claims paid | | Claims withdrawn/returned under objection | | Claims rejected | | | |
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| 1 Apr 1981 to 31 Dec 1981 | 1,308 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,308 | 1.74 |
| 1 Jan 1982 to 31 Dec 1982 | 4,013 | 9.40 | 3,105 | 2.13 | 1,542 | 0.37 | 1,537 | 1.72 | 26 | 0.04 | 2,216 | 9.01 |
| 1 Jan 1983 to 31 Dec 1983 | 9,325 | 32.58 | 7,328 | 12.93 | 5,184 | 3.43 | 2,066 | 9.00 | 78 | 0.50 | 4,213 | 28.66 |
| 1 Jan 1984 to 31 Dec 1984 | 18,300 | 53.98 | 9,522 | 13.73 | 7,855 | 9.91 | 1,610 | 2.92 | 57 | 0.90 | 12,991 | 68.91 |
| 1 Jan 1985 to 31 Dec 1985 | 22,048 | 71.99 | 22,791 | 25.08 | 18,264 | 12.06 | 4,116 | 11.61 | 411 | 1.41 | 12,248 | 115.82 |
| 1 Jan 1986 to 31 Dec 1986 | 33,723 | 104.92 | 30,299 | 67.07 | 19,695 | 24.10 | 10,261 | 40.30 | 343 | 2.67 | 15,672 | 153.67 |
| 1 Jan 1987 to 31 Dec 1987 | 44,711 | 131.68 | 40,206 | 88.16 | 38,099 | 69.09 | 1,580 | 8.26 | 527 | 10.81 | 20,177 | 197.19 |
| 1 Jan 1988 to 31 Mar 1989 (15 months) | 93,716 | 216.90 | 81,351 | 156.56 | 67,002 | 92.78 | 13,542 | 48.54 | 807 | 15.24 | 32,542 | 257.53 |
| 1 Apr 1989 to 31 Mar 1990 | 74,894 | 192.58 | 1,01,579 | 368.08 | 82,046 | 169.96 | 16,971 | 126.85 | 2,562 | 71.27 | 5,857 | 82.03 |
| 1 Apr 1990 to 31 Mar 1991 | 83,809 | 243.71 | 76,148 | 249.25 | 65,694 | 131.81 | 8,968 | 71.53 | 1,486 | 45.91 | 13,518 | 76.49 |
| 1 Apr 1991 to 31 Mar 1992 | 78,447 | 217.26 | 80,510 | 255.67 | 66,728 | 117.23 | 12,825 | 106.83 | 957 | 31.61 | 11,455 | 38.08 |
| 1 Apr 1992 to 31 Mar 1993 | 1,29,968 | 259.98 | 1,18,147 | 243.21 | 1,00,751 | 94.92 | 16,261 | 110.35 | 1,135 | 37.94 | 23,276 | 54.85 |
| 1 Apr 1993 to 31 Mar 1994 | 1,44,165 | 323.16 | 1,23,031 | 287.72 | 93,008 | 73.55 | 25,728 | 162.22 | 4,295 | 51.95 | 44,410 | 90.29 |
| 1 Apr 1994 to 31 Mar 1995 | 1,89,593 | 378.71 | 1,92,791 | 409.31 | 1,53,743 | 100.86 | 34,446 | 235.51 | 4,602 | 72.94 | 41,212 | 59.69 |
| 1 Apr 1995 to 31 Mar 1996 | 1,91,034 | 524.17 | 1,55,448 | 308.01 | 78,857 | 35.99 | 69,005 | 180.39 | 7,586 | 91.63 | 76,798 | 275.85 |
| 1 Apr 1996 to 31 Mar 1997 | 1,18,423 | 270.32 | 1,01,098 | 291.49 | 6,967 | 5.24 | 72,715 | 193.59 | 21,416 | 92.66 | 94,123 | 254.68 |
| 1 Apr 1997 to 31 Mar 1998 | 31,981 | 120.06 | 52,241 | 220.78 | — | — | 34,504 | 98.12 | 17,737 | 122.66 | 73,863 | 153.96 |
| Total | 12,69,458 | 3153.14 | 11,95,595 | 2999.18 | 8,05,435 | 941.30 | 3,26,135 | 1407.74 | 64,025 | 650.14 | | |

Branch-wise position of pending claims as on 31 March 1998

(Amount in crores of Rupees)

| | No. | Amount |
|--------------|---------------|---------------|
| Calcutta | 23,922 | 82.99 |
| Chennai | 1,166 | 3.54 |
| Nagpur | 382 | 2.08 |
| New Delhi | 48,393 | 65.35 |
| Total | 73,863 | 153.96 |

ANNEXURE – XII

STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR 1997-98 UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of Rupees)

| Claims for amount | Claims pending as on 31 March 1997 | | Receipt during the year | | Disposal during the year | | | | | | Total disposal during the year | | Claims pending as on 31 March 1998 | |
|--|--|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------|--|--------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | | | | Claims paid | | Claims withdrawn/ returned under objection | | Claims rejected | | | | | |
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| Upto Rs.25,000/- | 70,468 | 40.72 | 25,565 | 13.59 | — | — | 27,681 | 11.57 | 11,073 | 0.92 | 38,754 | 12.49 | 57,279 | 41.82 |
| Above Rs.25,000/- and upto Rs.1 lakh | 19,372 | 65.95 | 4,559 | 14.63 | — | — | 4,897 | 18.88 | 4,623 | 14.67 | 9,520 | 33.55 | 14,411 | 47.03 |
| Above Rs.1 lakh and upto Rs.5 lakhs | 3,427 | 69.15 | 1,141 | 26.93 | — | — | 1,534 | 32.83 | 1,205 | 27.89 | 2,739 | 60.72 | 1,829 | 35.36 |
| Above Rs.5 lakhs and upto Rs.8 lakhs | 381 | 23.85 | 309 | 19.96 | — | — | 196 | 12.28 | 348 | 22.38 | 544 | 34.66 | 146 | 9.15 |
| Above Rs.8 lakhs | 475 | 55.01 | 407 | 44.95 | — | — | 196 | 22.56 | 488 | 56.80 | 684 | 79.36 | 198 | 20.60 |
| Total | 94,123 | 254.68 | 31,981 | 120.06 | — | — | 34,504 | 98.12 | 17,737 | 122.66 | 52,241 | 220.78 | 73,863 | 153.96 |

ANNEXURE – XIII

STATEMENT INDICATING SCHEME-WISE BREAK-UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED DURING THE YEARS 1981 TO 1997-98

(Amount in crores of Rupees)

| Scheme | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 (15 months) | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | 23.29 | 30.50 | 35.70 | 47.69 | 69.00 | 79.56 | 101.51 | 389.32 | 331.90 | 351.44 | 431.74 | 665.36 | 631.64 | 496.90 | 396.43 | 112.70 |
| 2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971@ | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.36 | 0.55 | 0.39 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971@ | * | * | * | * | * | * | * | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
| 4. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 | — | — | — | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | — |
| 5. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 | 16.87 | 27.09 | 35.22 | 39.85 | 57.61 | 65.08 | 89.79 | 204.07 | 192.59 | 214.23 | 270.83 | 180.61 | 197.35 | 207.71 | 167.58 | 52.21 |
| Total | 40.21 | 57.67 | 71.17 | 87.91 | 127.25 | 145.17 | 191.89 | 593.83 | 524.72 | 565.88 | 702.78 | 846.09 | 829.13 | 704.64 | 564.02 | 164.91 |

- * 1981 Rs.39,000/-
- * 1982 Rs.73,000/-
- * 1983 Rs.14,000/-
- * 1984 Rs.25,000/-
- * 1986 Rs.1,000/-
- * 1987 Rs.7,000/-
- * 1988-89 Rs.58,000/-

@ These Schemes have been terminated with effect from 1 April 1992.

ANNEXURE – XIV

INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND
IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1998

(Amount in crores of Rupees)

| Sr. No. | Particulars | Rate | Deposit Insurance Fund | | | | Credit Guarantee Fund | | | | General Fund | | | |
|---|------------------------|--------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------|
| | | | Face value | Book value | Value as per rates | % of value to Book value | Face value | Book value | Value as per rates | % of value to Book value | Face value | Book value | Value as per rates | % of value to Book value |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (A) Securitiles which have depreciated : | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 75002 6.50% Loan 2003 | 81.71 | 2.66 | 2.66 | 2.17 | 81.58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | 76004 6.50% Loan 2002 | 81.71 | 9.80 | 8.36 | 8.01 | 95.81 | 00.20 | 00.17 | 0.16 | 94.11 | — | — | — | — |
| 3. | 78002 6.75% Loan 2006 | 73.59 | 18.86 | 18.86 | 13.88 | 73.60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | 78007 6.75% Loan 2007 | 69.22 | 1.12 | 1.12 | 00.78 | 69.64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | 79002 7% Loan 2009 | 68.94 | 40.68 | 40.71 | 28.04 | 68.88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. | 80003 7.50% Loan 2010 | 71.02 | 58.45 | 56.48 | 41.51 | 73.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. | 81005 8% Loan 2011 | 73.21 | 135.83 | 126.03 | 99.44 | 78.90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. | 82005 9% Loan 2013 | 78.38 | 116.13 | 114.27 | 91.02 | 79.65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. | 82013 8.75% Loan 2010 | 78.06 | 3.79 | 3.78 | 2.95 | 78.04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. | 83004 10% Loan 2014 | 84.99 | 84.22 | 84.09 | 71.58 | 85.12 | 01.40 | 1.37 | 1.19 | 86.86 | 5.37 | 5.38 | 4.57 | 84.94 |
| 11. | 84002 9.50% Loan 2008 | 84.89 | 23.84 | 23.61 | 20.24 | 85.72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. | 84005 10.25% Loan 2012 | 87.36 | 39.57 | 39.62 | 34.57 | 87.25 | — | — | — | — | 10.26 | 10.27 | 8.96 | 87.24 |
| 13. | 84010 10.50% Loan 2014 | 88.25 | 55.98 | 55.96 | 49.40 | 88.27 | — | — | — | — | 7.39 | 7.38 | 6.52 | 88.34 |
| 14. | 85006 10.50% Loan 2005 | 94.24 | — | — | — | — | 3.43 | 3.43 | 3.23 | 96.70 | — | — | — | — |
| 15. | 85007 11.50% Loan 2015 | 95.37 | 87.12 | 87.14 | 83.09 | 95.35 | — | — | — | — | 11.10 | 11.12 | 10.58 | 95.14 |
| 16. | 86007 11.50% Loan 2006 | 98.01 | 105.85 | 107.04 | 103.81 | 96.98 | — | — | — | — | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 98.00 |
| 17. | 87006 11% Loan 2002 | 99.12 | 36.00 | 35.79 | 35.69 | 99.72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. | 87011 11.50% Loan 2007 | 96.29 | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 100.00 | 00.75 | 00.77 | 00.72 | 93.50 | — | — | — | — |
| 19. | 89009 11.50% Loan 2009 | 96.11 | 156.70 | 156.99 | 150.60 | 95.93 | 55.28 | 55.29 | 53.13 | 96.09 | — | — | — | — |
| 20. | 90008 10.75% Loan 2000 | 99.86 | — | — | — | — | 5.00 | 5.13 | 4.99 | 97.27 | — | — | — | — |
| 21. | 91012 11.50% Loan 2011 | 95.80 | 83.62 | 82.60 | 80.11 | 96.98 | 6.38 | 6.18 | 6.11 | 98.86 | — | — | — | — |
| 22. | 91018 11% Loan 2000 | 99.12 | 00.50 | 00.52 | 00.50 | 96.15 | 00.25 | 0.26 | 0.25 | 96.15 | — | — | — | — |
| 23. | 91019 11.50% Loan 2006 | 97.19 | 5.84 | 5.84 | 5.68 | 97.26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24. | 91020 12% Loan 2011 | 99.00 | 121.45 | 121.12 | 120.24 | 99.27 | 303.66 | 301.21 | 300.63 | 99.80 | — | — | — | — |
| 25. | 92005 12.75% Loan 2002 | 104.63 | 6.91 | 7.28 | 7.22 | 99.17 | 18.17 | 19.49 | 19.01 | 97.53 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 100.00 |
| 26. | 92006 12.30% Loan 1998 | 101.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00 |
| | 93006 13.12% Loan 2000 | 104.25 | 3.37 | 3.62 | 3.52 | 97.23 | 10.17 | 10.81 | 10.60 | 98.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00 |
| 27. | 93007 13.12% Loan 1999 | 102.43 | 1.55 | 1.68 | 1.59 | 94.64 | 13.49 | 14.28 | 13.81 | 95.30 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 94.73 |

(Contd.)

ANNEXURE – XIV (Contd.)

**INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND
IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1998**

(Amount in crores of Rupees)

| Sr. No. | Particulars | Rate | Deposit Insurance Fund | | | | Credit Guarantee Fund | | | | General Fund | | | |
|------------------|------------------------|--------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| | | | Face value | Book value | Value as per rates | % of value to Book value | Face value | Book value | Value as per rates | % of value to Book value | Face value | Book value | Value as per rates | % of value to Book value |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 28. | 94004 12% Loan 1999 | 101.39 | — | — | — | — | 32.13 | 32.82 | 32.58 | 99.26 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 98.05 |
| 29. | 94005 12.35% Loan 2004 | 103.31 | 4.91 | 5.12 | 5.08 | 99.22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30. | 94006 12.08% Loan 2001 | 102.47 | 0.08 | 0.08 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31. | 94007 11.64% Loan 2000 | 101.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 98.88 |
| 32. | 94010 11.55% Loan 2002 | 100.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100.00 |
| 33. | 95005 13.80% Loan 2002 | 107.94 | — | — | — | — | 5.00 | 5.48 | 5.40 | 98.54 | — | — | — | — |
| 34. | 95010 13.65% Loan 1998 | 100.00 | 20.52 | 20.57 | 20.52 | 99.75 | 126.84 | 127.21 | 126.84 | 99.71 | — | — | — | — |
| 35. | 95020 13.85% Loan 2000 | 106.88 | — | — | — | — | 50.40 | 54.10 | 53.87 | 99.57 | — | — | — | — |
| 36. | 96001 13.65% Loan 1999 | 102.70 | — | — | — | — | 23.02 | 23.97 | 23.69 | 98.83 | — | — | — | — |
| 37. | 96006 13.50% Loan 1998 | 100.00 | 40.17 | 40.22 | 40.17 | 99.87 | 107.59 | 107.71 | 107.59 | 99.88 | — | — | — | — |
| 38. | 96007 13.75% Loan 2001 | 106.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 100.00 |
| 39. | 96014 13.62% Loan 1998 | 100.00 | 43.50 | 43.02 | 98.89 | 9.73 | 9.85 | 9.73 | 98.78 | — | — | — | — | — |
| 40. | 96018 13.55% Loan 2001 | 107.15 | 5.00 | 5.48 | 5.36 | 97.81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41. | 96019 13.40% Loan 1999 | 104.51 | 21.54 | 22.73 | 22.51 | 99.03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42. | 97005 12.14% Loan 2000 | 102.30 | — | — | — | — | 50.21 | 51.50 | 51.37 | 99.74 | — | — | — | — |
| 43. | 97007 12.59% Loan 2004 | 104.33 | 90.62 | 94.84 | 94.54 | 99.68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44. | 97008 11.83% Loan 2003 | 101.61 | 54.19 | 55.65 | 55.06 | 98.94 | 42.13 | 43.22 | 42.80 | 99.02 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100.00 |
| 45. | 97009 10.85% Loan 2001 | 99.40 | — | — | — | — | 35.54 | 35.73 | 35.33 | 98.88 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 95.00 |
| 46. | 97010 11.19% Loan 2005 | 97.47 | 67.85 | 68.12 | 66.13 | 97.07 | 78.96 | 97.44 | 76.97 | 96.89 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 97.43 |
| 47. | 97011 11.15% Loan 2002 | 99.36 | 5.13 | 5.29 | 5.09 | 96.22 | 8.20 | 8.21 | 8.15 | 99.27 | — | — | — | — |
| Total (A) | | | 1552.90 | 1546.80 | 1413.23 | | 987.93 | 997.54 | 988.15 | | 40.25 | 40.41 | 36.77 | |

(Contd.)

ANNEXURE – XIV (Contd.)

INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND
IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1997

(Amount in crores of Rupees)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| (B) Securities which have appreciated : | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 72001 5.75% Loan 2002 | 82.58 | 3.00 | 1.86 | 2.48 | 133.33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | 85006 10.50% Loan 2005 | 94.24 | 18.14 | 16.73 | 17.10 | 102.21 | — | — | — | — | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 105.26 |
| 3. | 87006 11.00% Loan 2002 | 99.12 | — | — | — | — | 18.57 | 18.13 | 18.41 | 101.54 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 101.92 |
| 4. | 88008 11.50% Loan 2008 | 96.75 | 14.20 | 13.65 | 13.74 | 100.66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | 90009 11.25% Loan 2005 | 97.75 | 22.90 | 22.23 | 22.38 | 100.67 | 27.02 | 26.03 | 26.41 | 101.46 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100.00 |
| 6. | 92003 12.50% Loan 2007 | 102.60 | 160.15 | 160.78 | 164.31 | 102.19 | 223.85 | 224.79 | 229.67 | 102.17 | — | — | — | — |
| 7. | 92006 12.30% Loan 1998 | 101.67 | 36.47 | 36.48 | 37.08 | 101.64 | 47.22 | 47.39 | 48.02 | 101.33 | — | — | — | — |
| 8. | 93001 12.60% Loan 2000 | 103.11 | 4.13 | 4.17 | 4.25 | 102.15 | 56.74 | 57.09 | 58.50 | 102.47 | — | — | — | — |
| 9. | 93002 12.70% Loan 2001 | 104.02 | — | — | — | — | 75.00 | 75.15 | 78.01 | 103.80 | — | — | — | — |
| 10. | 93005 13.40% Loan 2002 | 106.68 | 70.92 | 71.27 | 75.66 | 106.16 | 98.88 | 99.85 | 105.49 | 105.64 | — | — | — | — |
| 11. | 94002 Zero Coupon Bonds 1999 | 90.27 | 110.18 | 61.07 | 99.46 | 162.97 | 5.90 | 4.58 | 5.32 | 116.15 | — | — | — | — |
| 12. | 94003 12.50% Loan 2004 | 103.94 | 43.37 | 44.37 | 45.08 | 101.60 | 146.83 | 149.58 | 152.61 | 102.02 | 1.52 | 1.56 | 1.58 | 101.28 |
| 13. | 94004 12.00% Loan 1999 | 101.39 | 17.73 | 17.97 | 17.98 | 100.05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. | 94006 12.08% Loan 2001 | 102.47 | — | — | — | — | 21.64 | 21.05 | 22.18 | 105.36 | — | — | — | — |
| 15. | 94007 11.64% Loan 2000 | 101.42 | 142.29 | 143.04 | 144.31 | 100.88 | 27.87 | 27.96 | 28.27 | 101.10 | — | — | — | — |
| 16. | 94009 11.75% Loan 2001 | 101.65 | 63.10 | 62.53 | 64.14 | 102.57 | 132.76 | 129.32 | 134.95 | 104.35 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 106.45 |
| 17. | 94010 11.55% Loan 2002 | 100.56 | 1.85 | 1.82 | 1.86 | 102.19 | 52.95 | 50.20 | 53.24 | 106.05 | — | — | — | — |
| 18. | 95001 Zero Coupon Bonds 2000 | 80.98 | 3.93 | 2.13 | 3.18 | 149.29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. | 95003 13.25% Loan 2000 | 104.25 | 110.01 | 111.27 | 114.69 | 103.07 | 51.13 | 51.73 | 53.30 | 103.03 | — | — | — | — |
| 20. | 95006 14% Loan 2005 | 110.64 | 53.40 | 54.82 | 59.08 | 107.77 | 30.12 | 30.92 | 33.33 | 107.79 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 108.16 |
| 21. | 95009 Zero Coupon Bonds 2000 (II) Series | 80.98 | 00.01 | 00.01 | 00.01 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22. | 95012 14% Loan 2005 | 110.64 | 5.90 | 5.90 | 6.53 | 110.67 | 25.37 | 25.37 | 28.07 | 110.64 | 18.73 | 18.73 | 20.72 | 110.62 |
| 23. | 95016 Floating Rate Bonds 1999 | 103.81 | — | — | — | — | 15.42 | 15.42 | 16.01 | 103.82 | — | — | — | — |
| 24. | 95020 13.85% Loan 2000 | 106.88 | 1.95 | 1.96 | 2.08 | 106.12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25. | 96001 13.65% Loan 1999 | 102.92 | 11.86 | 11.98 | 12.21 | 101.92 | — | — | — | — | — | — | — | — |

(Contd.)

ANNEXURE – XIV (Contd.)

**INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND
IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1997**

(Amount in crores of Rupees)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-----------------|-------|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 26. | 96004 | 13.85% Loan 2001 | 106.88 | 102.60 | 104.38 | 109.66 | 105.05 | 00.94 | 00.96 | 1.00 | 104.16 | 8.40 | 8.67 | 8.98 | 103.57 |
| 27. | 96007 | 13.75% Loan 2001 | 106.63 | 10.50 | 10.63 | 11.19 | 105.26 | 14.72 | 15.05 | 15.70 | 104.31 | — | — | — | — |
| 28. | 96008 | 13.70% Loan 1999 | 102.96 | 35.51 | 35.99 | 36.56 | 101.58 | 43.45 | 44.12 | 44.74 | 101.40 | — | — | — | — |
| 29. | 96009 | 13.85% Loan 2006 | 110.00 | 5.00 | 5.14 | 5.50 | 107.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30. | 96013 | Zero Coupon Bonds (III) Series | 80.98 | 3.10 | 1.88 | 2.51 | 133.51 | 17.96 | 10.68 | 14.54 | 136.14 | — | — | — | — |
| 31. | 96015 | 13.85% Loan 2006 | 110.00 | — | — | — | — | 1.50 | 1.59 | 1.65 | 103.77 | — | — | — | — |
| 32. | 96016 | 13.82% Loan 2002 | 108.00 | 12.54 | 12.87 | 13.54 | 105.20 | 67.40 | 68.85 | 72.79 | 105.72 | 2.06 | 2.06 | 2.22 | 107.76 |
| 33. | 96018 | 13.55% Loan 2001 | 107.15 | — | — | — | — | 6.25 | 6.61 | 6.70 | 101.36 | — | — | — | — |
| 34. | 96019 | 13.40% Loan 1999 | 104.51 | — | — | — | — | 12.32 | 12.82 | 12.88 | 100.46 | — | — | — | — |
| 35. | 97002 | 13.05% Loan 2007 | 105.52 | 28.20 | 28.82 | 29.76 | 103.29 | 53.49 | 54.33 | 56.44 | 103.88 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 103.22 |
| 36. | 97004 | 12.69% Loan 2002 | 104.47 | 135.79 | 139.02 | 141.86 | 102.04 | 132.27 | 133.27 | 138.18 | 103.68 | 3.23 | 3.29 | 3.38 | 102.73 |
| 37. | 97005 | 12.14% Loan 2000 | 102.30 | 38.26 | 38.74 | 39.14 | 101.03 | — | — | — | — | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 102.15 |
| 38. | 97007 | 12.59% Loan 2004 | 104.33 | — | — | — | — | 85.63 | 88.83 | 89.34 | 100.57 | — | — | — | — |
| 39. | 97009 | 10.85% Loan 2001 | 99.40 | 77.52 | 76.60 | 77.05 | 100.58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL 'B' | | | 1344.51 | 1300.11 | 1374.39 | | | 1493.20 | 1491.67 | 1545.75 | | 37.55 | 37.85 | 40.55 | |
| TOTAL 'A' | | | 1552.90 | 1546.80 | 1413.23 | | | 987.93 | 997.53 | 988.15 | | 40.25 | 40.41 | 36.77 | |
| TOTAL 'A' + 'B' | | | 2897.41 | 2846.91 | 2787.62 | | | 2481.13 | 2489.20 | 2533.90 | | 77.80 | 78.26 | 77.32 | |

AUDITORS' REPORT

Habib & Co.,
Chartered Accountants,
Patharia Palace,
75, Mohamedali Road,
Mumbai-400 003.

We have audited the attached Balance Sheets of Deposit Insurance and Credit Guarantee Fund and the General Fund of the DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION as at 31 March 1998 and also the Revenue Accounts of the said Funds attached thereto for the year ended on that date and report that :

1. we have obtained all the information and explanations, which to the best of our information and belief were necessary for the purpose of audit,
2. the said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961,
3. in our opinion and to the best of the information and accordingly to the explanations given to us, the said accounts subject to :

Note 1: relating to the balances of Rs. 8091.20 lacs (cr) & Rs.37.50 lacs (dr) in the accounts of the participating banks under Deposit Insurance Scheme being subject to reconciliation with the subsidiary records, note 2 relating to the estimated liability of Rs.37144.22 lacs towards certain claims of some of the participating banks under the Credit Guarantee scheme being subject to the issues involved being resolved and note 5 relating to the balance of Rs.413.20 lacs in the Sundry Creditors, which are outstanding at the end of the year, being subject to reconciliation and necessary adjustment, the effect whereof on the accounts of the respective funds remains presently unascertained,

Note 3 : relating to disputed income tax liabilities of Rs.20927. 68 lacs not having been provided for, note 4 relating to the balances carried in Investment Reserve accounts as reflected in the Balance Sheets of the respective funds being adjusted only in the extent of additional provision for shortfall in the value of investments being required, note 6 regarding the balances of Rs.171.52 lacs relating to Government of India Credit Guarantee Scheme for small scale industries (Old) not reflected in the accounts and note 7 relating to the change in the method of providing depreciation on the fixed assests, consequence whereof the deficit of the General Fund is higher by Rs.8.31 lacs and read together with significant accounting policies and the other notes thereon exhibit a true and fair view :

- (a) in the case of the Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) General Fund of the state of affairs of the Corporation as at 31 March 1998
and
- (b) in the case of the Revenue Accounts of the surplus in the case of Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) of the deficit in the case of General Fund of the Corporation for the year ended on that date.

For Habib & Company
Chartered Accountants

(A. Y. Kably)
Partner

Place : Mumbai
Dated : 25 June 1998

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 –
Balance Sheet as at the close
I — DEPOSIT INSURANCE FUND

| Previous Year | | | | Deposit Insurance Fund | | Credit Guarantee Fund | |
|------------------------|-----------------------|-------------|---|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Deposit Insurance Fund | Credit Guarantee Fund | LIABILITIES | | | | | |
| Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
| 298,51.00 | 2925,93.00 | 1. | Fund (Balance at the end of the year) | 248,85.00 | | 679,13.00 | |
| — | — | 2. | Surplus Balance (as per Revenue Account) | 1772,89.79 | | — | |
| | | 3. | Investment Reserve: Balance at the beginning of the year | 260,72.62 | | 103,91.61 | |
| 260,72.62 | 103,91.61 | | Add: Amount provided for during the year | — | | — | |
| | | | | — | | — | |
| | | | | 260,72.62 | | 103,91.61 | |
| — | 308,34.56 | 4. | Claims intimated and claims admitted but not paid | — | | 371,44.12 | |
| 45,27.39 | 2705,28.83 | 5. | Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted | 22,24.30 | | 1922,30.61 | |
| 82.11 | — | 6. | Insured deposits remaining unclaimed | 1,31.35 | | — | |
| — | 31,60.76 | 7. | Other Liabilities | | | | |
| 1913,91.73 | — | i) | Sundry Creditors | — | | 11,88.21 | |
| 120,81.45 | — | ii) | Credit Guarantee Fund (refer Note1) | 579,72.68 | | — | |
| 73,27.56 | — | iii) | Provision for Income Tax | 381,81.45 | | 665,50.00 | |
| | | iv) | Sundry Deposit A/c | 80,91.20 | | — | |
| | | | | 1042,45.33 | | 677,38.21 | |
| 2108,00.73 | 31,60.76 | | | | | | |
| 2713,33.86 | 6075,08.76 | Total | | 3348,48.39 | | 3754,17.55 | |

Note : 1. Represents adjustment in respect of accumulated deficit of Credit Guarantee Fund in terms of Section 25A of the DICGC Act. As per our report of even date.

For M/s Habib & Co.
Chartered Accountants

(A.Y. Kably)
Partner

Mumbai
Dated : 25 June 1998

Jagdish Capoor
Chairman

S.H. Khan
Director

B.S. Sharma
Director

P.N. Joshi
Director

B.B. Vyas
Director

Rashid Jilani
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on 31 March 1998
AND CREDIT GUARANTEE FUND

| Previous Year | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|---|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Deposit Insurance Fund | Credit Guarantee Fund | ASSETS | | Deposit Insurance Fund | | Credit Guarantee Fund | |
| Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | | | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
| 8.67 | 2,58.34 | 1. | Balance with Reserve Bank of India | | 5.49 | | 1,36.58 |
| | | 2. | Investments in Central Government Securities (at cost) | 2846,90.80 | | 2489,19.68 | |
| 2388,53.12 | 2518,20.05 | | Dated Securities Treasury Bills | 106,17.70 | 2953,08.50 | 377,13.86 | 2866,33.54 |
| | | | <u>Dated Securities</u> | | | | |
| | | | <u>D.I. Fund</u> | | | | |
| | | | <u>Rupees</u> | | | | |
| | | | Face Value | 2146,79.85 | | 1828,73.76 | |
| | | | Market Value | 1886,96.01 | | 1770,78.98 | |
| 74,12.69 | 93,46.35 | 3. | Interest accrued on investments | | 133,73.41 | | 100,79.17 |
| | | 4. | Other Assets | | | | |
| 68.61 | 1.64 | i) | Outstanding premium, Guarantee fee and excess claims paid due from Bank/Credit Institutions | 37.50 | | 5.48 | |
| — | 8.97 | ii) | Outstanding interest on overdue premium and guarantee fee | — | | — | |
| 0.06 | — | iii) | Amount paid towards claims remaining un-disbursed with the liquidator of bank | 0.06 | | — | |
| — | — | iv) | GOI Credit Guarantee Scheme (Old) for Small Scale Industries | — | | — | |
| — | 1913,91.73 | v) | Deposit Insurance Fund (Refer Note 1) | — | | 579,72.68 | |
| 213,40.44 | 179,16.95 | vi) | Adv. Income Tax & tax deducted at source | 261,23.43 | | 205,80.10 | |
| — | — | vii) | Sundry Debtors | — | | 10.00 | |
| 36,50.27 | 55,70.12 | viii) | Income Tax refund receivable | | | | |
| — | 1311,94.61 | ix) | Excess of expenditure over income remained unadjusted | | 261,60.99 | | 785,68.26 |
| 2713,33.86 | 6075,08.76 | | TOTAL | | 3348,48.39 | | 3754,17.55 |

N.P. Sarda
Director

Dr. P.W. Rege
Director

Gangadhar Gadgil
Director

M.G. Srivastava
Chief General Manager

L.N. Ramaswamy
Deputy General Manager

**DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I — DEPOSIT INSURANCE FUND**

| <i>Previous Year</i> | | EXPENDITURE | <i>Deposit Insurance Fund</i> | <i>Credit Guarantee Fund</i> |
|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| <i>Deposit Insurance Fund</i> | <i>Credit Guarantee Fund</i> | | <i>Fund</i> | <i>Fund</i> |
| <i>Rs. in lakhs</i> | <i>Rs. in lakhs</i> | | <i>Rs. in lakhs</i> | <i>Rs. in lakhs</i> |
| | | To Claims — | | |
| 3,91.22 | 364,96.04 | a) Paid during the year (Net of recoveries against excess payment in earlier years) | 2,26.04 | 57,48.16 |
| — | 308,34.56 | b) Admitted but not paid | — | 371,44.12 |
| | | Add : | | |
| 45,27.39 | 2705,28.83 | Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year | 22,24.30 | 1922,30.61 |
| 49,18.61 | 3378,59.43 | | 24,50.34 | 2351,22.89 |
| | | Less : | | |
| 6,67.99 | 1711,78.45 | Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year | 45,27.39 | 2705,28.83 |
| | | Add : | | |
| 5,52.04 | — | Excess provision written back (per contra) | 42,51.42 | 354,05.94 |
| 48,02.66 | 1666,80.98 | Net Claims | 21,74.37 | — |
| | | To Provision for depreciation in the value of investment | — | — |
| — | 13.23 | To Provision and contingencies (Ref.Note I) | — | 1.01 |
| 59.92 | 6.26 | To Provision for taxation | 261,00.00 | 665,50.00 |
| | | To Loss on sale/Red. of investment | 97.23 | — |
| 298,51.00 | 2925,93.00 | To Balance of Fund at the end of the year (as per actuarial valuation) | 248,85.00 | 679,13.00 |
| 372,56.72 | — | To Net surplus carried down | 438,70.74 | 2646,13.66 |
| 719,70.30 | 4592,93.47 | Total | 971,27.34 | 3990,77.67 |
| — | 1686,96.44 | To Balance brought down from last year | — | 1311,94.61 |
| | | To Transfer to DIF (per contra) | — | 1334,19.05 |
| 375,01.83 | — | To Transfer to Credit Guarantee Fund | — | — |
| | | To Balance carried to Balance Sheet | 1772,89.79 | — |
| 375,01.83 | 1686,96.44 | Total | 1772,89.79 | 2646,13.66 |

Note 1 represents provision for doubtful dues.

As per our report of even date.

For M/s Habib & Co.
Chartered Accountants

(A.Y. Kably)
Partner

Mumbai
Dated : 25 June 1998

Jagdish Capoor
Chairman

S.H. Khan
Director

M.G. Srivastava
Chief General Manager

B.S. Sharma
Director

P.N. Joshi
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended 31 March 1998
AND CREDIT GUARANTEE FUND

| <i>Previous Year</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| <i>Deposit Insurance Fund</i> | <i>Credit Guarantee Fund</i> | | INCOME | | <i>Deposit Insurance Fund</i> | <i>Credit Guarantee Fund</i> | | |
| <i>Rs. in lakhs</i> | <i>Rs. in lakhs</i> | | | | <i>Rs. in lakhs</i> | <i>Rs. in lakhs</i> | | |
| 202,73.00 | 1775,43.00 | By | Balance of Fund at the beginning | | 298,51.00 | 2925,93.00 | | |
| 253,67.10 | — | By | Deposit insurance premia (including interest on overdue premia) | | 319,27.39 | — | | |
| — | 572,00.31 | By | Guarantee Fee (including interest on overdue guarantee fee) | | — | 164,91.20 | | |
| 7,53.44 | 259,35.00 | By | Recoveries in respect of deposit insurance claims settled/guarantee claims paid including interest on overdue repayments | | 2,87.12 | 213,94.96 | | [Refer Note 2(a)] |
| 5,52.04 | — | By | Excess provision for Deposit Insurance Claims written back (per contra) | | 42,51.42 | 354,05.94 | | [Refer Note 2(b)] |
| 243,18.22 | 288,40.63 | By | Income from Investments (Gross) | | 308,10.41 | 331,86.74 | | |
| | | | | <i>Deposit Insurance Fund</i> | | <i>Credit Guarantee Fund</i> | | |
| | | | Tax deducted at source for 1997-98 | 11,97.99 | 7,09.14 | | | |
| | | | Previous year | 47,50.87 | 50,79.03 | | | |
| — | — | By | Profit on Sale/Redemption of securities | | — | 5.83 | | |
| 7,06.50 | 10,78.09 | By | Interest on Advance Tax/TDS | | — | — | | |
| — | 1686,96.44 | By | Net deficit carried down | | — | — | | |
| 719,70.30 | 4592,93.47 | | Total | | 971,27.34 | 3990,77.67 | | |
| 2,45.11 | — | By | Balance brought forward from last year | | — | — | | |
| 372,56.72 | — | By | Net surplus brought down | | 438,70.74 | 2646,13.66 | | |
| — | 375,01.83 | By | Transfer from Credit Guarantee Fund (per contra) | | 1334,19.05 | — | | |
| — | 1311,94.61 | By | Balance carried down to Balance Sheet | | — | — | | |
| 375,01.83 | 1686,96.44 | | Total | | 1772,89.79 | 2646,13.66 | | |

Notes: 1. Represents provision for doubtful dues.
2. Includes prior period adjustments 2(a) – Rs. 130.05 lakhs debit and 2(b) – Rs.372.56 lakhs debit.

As per our report of even date.

For **Habib & Co.**
Chartered Accountants

(A.Y. Kably)
Partner

Mumbai
Dated : 25 June 1998

B.B. Vyas
Director

Rashid Jilani
Director

L.N. Ramaswamy
Deputy General Manager

N.P. Sarda
Director

Gangadhar Gadgil
Director

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 –
Balance Sheet as at the close
II — GENERAL

| Previous Year Rs. in lakhs | LIABILITIES | Rs. in lakhs | Rs. in lakhs |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| | 1. CAPITAL | | |
| 50,00.00 | Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 | | 50,00.00 |
| | 2. RESERVE | | |
| | A) General Reserve | | |
| 13,35.90 | Balance at the beginning of the year | 15,32.88 | |
| 7,00.00 | Add: Financial Assistance received from RBI | 7,00.00 | |
| | | 22,32.88 | |
| 5,03.02 | Less: Deficit transferred from Revenue Account | 5,66.09 | |
| 15,32.88 | Balance at the end of the year | | 16,66.79 |
| | B) Investment Reserve | | |
| 16,38.47 | Balance at the beginning of the year | | 16,38.47 |
| | C) Capital Reserve | | |
| 22.51 | Balance at the beginning of the year | | 22.51 |
| | 3. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | | |
| 6,29.25 | Outstanding Expenses | 7,13.34 | |
| 4.66 | Sundry Creditors | 1.99 | |
| 2,23.00 | Provisions for Income Tax | 2,23.00 | 9,38.33 |
| 8,56.91 | | | |
| 90,50.77 | Total | | 92,66.10 |

As per our report of even date.

For M/s Habib & Co.
Chartered Accountants

Jagdish Capoor
Chairman

B.S. Sharma
Director

B.B. Vyas
Director

(A.Y. Kably)
Partner

S.H. Khan
Director

P.N. Joshi
Director

M.G. Srivastava
Chief General Manager

Mumbai
Dated : 25 June 1998

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A'
of business on 31 March 1998
FUND

| <i>Previous Year</i> <i>Rs. in lakhs</i> | ASSETS | <i>Rs. in lakhs</i> | <i>Rs. in lakhs</i> |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | 1. CASH | | |
| 0.14 | i) In hand | 0.17 | |
| 7.79 | ii) With RBI | 10.79 | 10.96 |
| <u>7.93</u> | | | |
| | 2. INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (AT COST) | | — |
| 4,47.36 | Treasury Bills | 1,22.46 | — |
| 71,24.81 | Dated Securities | 78,25.78 | 79,48.24 |
| <u>75,72.17</u> | | | |
| 71,03.80 | Face Value | 77,80.73 | |
| 61,87.44 | Market Value | 77,31.98 | |
| 2,16.77 | 3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT | | 2,08.07 |
| | 4. OTHER ASSETS | | |
| 43.70 | a) Furniture, fixture and equipment (less depreciation) | 33.06 | |
| 5.95 | b) Stock of stationery | 5.67 | |
| 1.34 | c) Pre-paid expenses | 0.94 | |
| 43.03 | d) Advances for expenses, staff allowances receivable from RBI etc. and other deposits | 76.04 | |
| 9,51.17 | e) Income Tax deducted at source | 9,83.12 | |
| 2,08.71 | f) Refund receivable | | 10,98.83 |
| <u>12,53.90</u> | | | |
| <u>90,50.77</u> | Total | | <u>92,66.10</u> |

N.P. Sarda
Director

P.W. Rege
Director

Rashid Jilani
Director

Gangadhar Gadgil
Director

L.N. Ramaswamy
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Form 'B'
Revenue Account for the year ended 31 March 1998
II — GENERAL FUND

| Previous Year (Rs. in lakhs) | EXPENDITURE | Amount (Rs. in lakhs) | Previous Year (Rs. in lakhs) | INCOME | Amount (Rs. in lakhs) |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| 10,33.19 | To Salaries & Allowances and contribution to staff provident fund [refer Note 1(a)] | 10,29.82 | 8,04.64 | By Income from Investment (Gross) (Tax deducted at source) Rs. 38.41 Previous Year Rs.184.12) | 8,83.76 |
| 55.69 | „ Contribution to staff pension and gratuity fund | 98.00 | | | |
| 0.06 | „ Directors' and Committee Members' fees | 0.03 | 15.67 | „ Share of Recoveries in claims paid account in Government of India's Credit Guarantee Schemes for Small Scale Industries (Old) | 26.09 |
| 0.38 | „ Directors' and Committee Members' travelling and other allowances | 0.63 | | | |
| 144.96 | „ Rent, taxes, insurance, lighting etc. [refer Note 1(b)] | 214.37 | 1.62 | „ Miscellaneous Receipts | 1.93 |
| 17.10 | „ Establishment, travelling and halting allowances [refer Note 1(c)] | 26.89 | 40.39 | „ Interest on Advance Tax / Tax deducted at source | 2.39 |
| 0.63 | „ Computer consumables | 3.19 | 503.02 | „ Balance being excess of expenditure over Income for the year carried down | 566.09 |
| 7.43 | „ Printing and stationery | 4.04 | | | |
| 5.34 | „ Postage, telegrams and telephones | 6.16 | | | |
| 0.49 | „ Auditors' fees | 0.49 | | | |
| 3.06 | „ Legal charges | 2.60 | | | |
| 85.77 | „ Miscellaneous expenses [Refer Note 1 (d)] | 72.69 | | | |
| 11.24 | „ Depreciation | 21.18 | | | |
| — | „ Provision for depreciation on investment | — | | | |
| — | „ Loss on redemption of Securities | 0.02 | | | |
| — | „ amount written off | 0.15 | | | |
| <u>13,65.34</u> | TOTAL | <u>14,80.26</u> | <u>13,65.34</u> | TOTAL | <u>14,80.26</u> |
| 5,03.02 | „ Balance being excess of Expenditure over Income brought down | 5,66.09 | 5,03.02 | „ Balance transferred to General Reserve | 5,66.09 |
| <u>5,03.02</u> | TOTAL | <u>5,66.09</u> | <u>5,03.02</u> | TOTAL | <u>5,66.09</u> |

Note Includes prior adjustments 1(a) – Rs.1.88 lakhs credit, 1(b) – Rs.13.86 lakhs debit, 1(c) – Rs.1.00 lakh credit and 1(d) – Rs.0.26 lakh debit.

As per our report of even date.

For Habib & Co.
Chartered Accountants

Jagdish Capoor
Chairman

B.S. Sharma
Director

B.B. Vyas
Director

N.P. Sarda
Director

P.W. Rege
Director

(A.Y. Kably)
Partner

S.H. Khan
Director

P.N. Joshi
Director

Rashid Jilani
Director

Gangadhar Gadgil
Director

Mumbai
Dated : 25 June 1998

M.G. Srivastava
Chief General Manager

L.N. Ramaswamy
Dy. General Manager

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General

The financial statements are prepared by following going concern concept and on the historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the country.

2. Recognition of Income and Expenditure

- i) Items of income and expenditure are generally accounted for an accrual basis unless otherwise stated.
- ii) Receipts towards deposit insurance premia and guarantee fees are generally appropriated as revenue income on receipt of relevant statements of deposits and guaranteed advances and in cases, where such statements are not received till the finalisation of accounts, ad-hoc payments, if any, made by the participating credit institutions are recognised as income, if considered adequate, when compared with the previous years' records. Un-adjusted amounts are carried forward under the head 'Sundry Creditors'.
- iii) Pending the assessment of the guarantee fees due from the banks/credit institutions, which have opted out of the Credit Guarantee Schemes in respect of the claims lodged by them after their opting out is accounted on receipt basis.
- iv) Unrealised amount of deposit insurance premia and guarantee fee is not recognised as income, unless the relevant statements are received from the participating credit institutions.
- v) Penal interest for delay in payment of guarantee fee and insurance premia is accounted as income upto the date of last such payment by the credit institutions and interest on outstanding amount of premia/guarantee fee is not recognised as income.
- vi) The recovery (including penal interest) by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled/guarantee claims paid is accounted in the year in which it is received. Likewise, recoveries in respect of claims settled and subsequently

found not eligible are accounted for when realised/adjusted.

- vii) Interest on investment is accounted on accrual basis.
- viii) Provision for year end liability in respect of claims intimated but not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is made on prudential basis taking into consideration the past trends.
- ix) In conformity with the Accounting Standard AS-4 issued by the Institute of Chartered Accountants of India adequate provision is made towards the liability estimated to devolve under the Deposit Insurance Scheme on the events like liquidation/ amalgamation of weak banks occurring between the date of balance sheet and the date of finalisation of balance sheet.
- x) Adequate provision is made on the basis of actuarial valuation of the liability towards fund balances as at the end of the year in respect of Credit Guarantee Fund and Deposit Insurance Fund.
- xi) The claims for refund of guarantee fees and of repayments against claims settled are accounted for on such refund claims being admitted by the Corporation. The year end liability towards such refund claims (including cases falling under Agricultural Rural Debt Relief Scheme, 1990) and its impact on the actuarial valuation of fund balances as at the close of the year remain undetermined.
- xii) Claims for reimbursement from RBI against certain establishment expenses, such as, salaries and allowances are accounted on realisation basis.

3. Investments

- i) All investments are current investments and held as stock-in-trade. The same are valued scrip-wise at cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation RBI rates/NSE quotations, where available, are taken as market rate and where the recent rates are not available the

securities are valued at indicative market rates on the basis of yield to maturity method, as per the guidelines of RBI as applicable to banks/financial institutions. Since the investments are held as current investments the difference, if any, between the acquisition price and the redemption price is not amortised.

- ii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed proforma of statement of accounts.
- iii) The difference between acquisition cost and redemption value of zero coupon bonds is recognised as income on accrual basis proportionately in each financial year over the term of bonds and the interest so recognised is added to the carrying value of such bonds.
- iv) Inter Fund transfer of securities is made at cost price.

4. Fixed Assets

- i) Fixed assets are stated at cost less depreciation.
- ii) On the suggestion of Reserve Bank of India effective from this year, the rate of depreciation have been changed in the following manner:
 - a) Computer & Computer accessories, electronic communication equipments and electrical office equipments – 32 per cent on Straight Line method.
 - b) Furniture & fixtures and other office equipments – 20 per cent on Straight Line method.
- iii) Depreciation on addition to the assets is provided for the full year and no depreciation is provided on assets sold/ disposed of during the year.
- iv) In the case of assets provided to officers under "Furnishing of Officers' Residence" Scheme, depreciation as per the procedure prescribed by RBI is provided each year in the month of June on the value of the assets acquired under the said scheme till the end of preceding year. Depreciation on

the said assets, however, continues to be provided on written down value at 10 per cent on item of furniture and fixtures and 20 per cent on electronic, electrical equipments/apparatus as hitherto.

NOTES TO ACCOUNTS

1. The subsidiary records of the insured banks particularly those in the Co-operative Sector not having been updated due to the time-lag in the processing of data consequent to the backlog of the work arising due to the failure of the system in the preceding year, the amounts of sundry deposits and claims from the insured banks amounting to Rs 8091.20 lakh (previous year Rs 7327.55 lakh) and Rs 37.49 lakh (previous year Rs 68.60 lakh) respectively as shown in the accounts are subject to reconciliation and necessary adjustment on the subsidiary record being updated.
2. The outstanding liability towards claims intimated and admitted representing claims admitted but not paid amounting to Rs 35932.98 lakh under SLGS, 1971 and Rs 1211.14 lakh under SLGS 1981, the payment thereof is withheld for varied reasons and is subject to such adjustment, as may be necessary on the matter being resolved.
3. Of the advance tax payments and tax deducted at source of Rs 12798.90 lakh relating to Deposit Insurance Fund, Rs 7534.22 lakh relating to Credit Guarantee Fund and Rs 594.26 lakh relating to General Fund have been adjusted by the Income Tax authorities against assessed tax for the assessment years 1990-91 to 1995-96, which are disputed in appeals against such provision of Rs 12081.25 lakh and Rs 223.00 lakh is held in the Deposit Insurance Fund and General Fund respectively.
4. Unless additional provision for shortfall in the value of investments is required, the balances as carried in investment reserve account is not being adjusted each year.
5. Sundry creditors include Rs 0.83 lakh in the case of General Fund and Rs 412.37 lakh in the case of Credit Guarantee Fund which are subject to adjustment on compilation and/or reconciliation of subsidiary records.
6. The liability of Rs 171.52 lakh towards collection and on account of Government of India Credit

Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) and the corresponding balances held in a separate account with Reserve Bank of India as at the end of the year pending remittance is not reflected in the accounts.

7. Consequent to the changes in the method of reckoning depreciation on fixed assets the charge of depreciation for the year is higher by Rs 8.31 lakh.

8. Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old)

As per arrangements arrived at with the Government, from time to time part of recoveries effected towards subrogation rights in respect of claims paid under the Government of India's Credit Guarantee Scheme for SSI (Old) is being accounted for the Revenue Account of General Fund under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, towards cost of establishment expenditure for managing the residual work of the said scheme.

9. Employees' Cost

Employees' cost such as salaries, allowances,

contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, since all the staff of the Corporation is on deputation from the Reserve Bank of India.

10. Financial Assistance from RBI

Financial assistance from the Reserve Bank of India towards staff expenses is accounted on realisation basis and it is credited to the General Reserve Account, as such financial assistance is not in the nature of regular revenue income of the Corporation.

11. Prior Period Income/Expenditure

- i) Income and expenditure over Rs.25,000/- in each case pertaining to prior period items arising in current period on account of errors and omissions are considered as prior period credits/debits.
- ii) Prepaid expenses are not recognised unless the amount involved exceeds Rs.1,000/- in each case.

AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

INTRODUCTION :

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly small depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public, contributes to the growth of banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and consequent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of Credit Guarantee Schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hesitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions the two organisations were merged in July 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

DEPOSIT INSURANCE SCHEME :

Institutional Coverage

2. The Deposit Insurance Scheme was introduced

with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits with all commercial banks (including regional rural banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States/ Union Territories as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 10 co-operative banks in such of the States/Union Territories as have yet to pass the necessary legislation.

Extent of Insurance Cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that bank upto a monetary ceiling of Rs 1,00,000/-.

Insurance Premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium. The premium at the rate of 5 paise per annum per hundred rupees is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost. Penal interest @8% above Bank Rate is charged on overdue premium.

Payment of Insurance Claims

5.1 When a bank goes into liquidation the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs 1,00,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs 1,00,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction/amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of the rights of subrogation, recoveries effected

by him/it from out of assets of the insured bank in liquidation/amalgamation.

CREDIT GUARANTEE SCHEMES

Extension of Guarantee Support

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to certain specified categories of small borrowers and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. and continued by the Corporation, were intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending needbased credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operations since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation. Accordingly, this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising out of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as an agent of the Government. With the integration of credit guarantee functions relating to small scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors.

6.3 Effective from 1 April 1989 and pursuant to the recommendations of the Expert Committee, 1987, the scope of the credit guarantee schemes has been enlarged to cover the entire gamut of priority sector advances as defined by the Reserve Bank of India. However, at the request of some participating credit institutions, the Corporation has allowed exclusion of certain categories of advances guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. from total priority sector advances for the purpose of payment of

guarantee fee and consequently these advances ceased to get Corporation's guarantee cover.

Aims, Description and Coverage

7.1 Corporation's various credit guarantee schemes in operation till end March 1992 were as indicated below :

- (i) Small Loans Guarantee Scheme 1971
- (ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971.
- (iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.
- (iv) Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.
- (v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
- (vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.2 With the termination of the schemes at (ii), (iii) and (v) above with effect from 1 April 1992, the Corporation presently operates the following three schemes:

- (i) The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including regional rural banks to the priority sector (other than small scale industries) as defined by Reserve Bank and this includes farmers and agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans.
- (ii) The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from 1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks including regional rural banks, co-operative banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industries units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.
- (iii) The Small Loans (Co-operative Banks)

Guarantee Scheme, 1984 covers credit facilities granted by eligible primary (urban) co-operative banks to the priority sector as defined by Reserve Bank, including activities allied to agriculture, road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans. All eligible licensed primary (urban) co-operative banks are as defined in clause (gg) of Section 2 of the DICGC Act, 1961 as well as eligible unlicensed primary (urban) co-operative banks recommended by the Reserve Bank of India as eligible, can participate in the Scheme.

The salient features of various schemes in operation are tabulated in the Annexure.

Guarantee Fee

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee at the stipulated rates calculated on the balances outstanding under the priority sector advances (except certain specified categories) and paid yearly in advance by the credit institutions. The fee rate is 2.50 per cent per annum for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 only. The regional rural banks are however, allowed to pay the fee at half the normal rate (i.e. @ 1.25 per cent per annum) for first five years from the date of their joining the Scheme. The guarantee fee rate for two other schemes viz. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 and Small Loans (SSI) Guarantee Scheme 1981, is 1.50 per cent per annum. The fee is required to be paid regularly and in advance on an annual basis in order to keep the guarantee in force. Penal interest @ 8% above Bank Rate is charged on overdue guarantee fee.

GUARANTEE COVER — KEY CHARACTERISTICS

Automatic Bulk Coverage

9.1 The guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporation and paying the fee regularly at the prescribed rates. The schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursement without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for cov-

ering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

Benefit confined to "Priority Sector" borrowers

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers in the priority sector who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the guarantee schemes, such as ceilings on amount of credit as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

Invocation of Guarantee

10. The Corporation has revised the conditions for invocation of guarantee with effect from 1.4.1995. The conditions are as follows:

- (i) The participating credit institutions should lodge the claims only after the outstanding amount in the account is written off in the books of account of the institution under orders of the competent authority.
- (ii) The Corporation's guarantee shall cover only the principal amount sanctioned by the credit institution and in the case of cash credit/overdraft and other revolving credit facilities, amount outstanding upto the regular limit sanctioned under each type of credit facility.
- (iii) No claim shall be admitted from credit institutions in respect of accounts where recovery received from borrowers (excluding adjustment of subsidy) in a particular account is less than 25% of the total debits in the account on the date of write off, except under exceptional circumstances as under:
 - (a) When borrower has expired;
 - (b) When any natural calamity has affected the area;
 - (c) any other ground which may merit exception depending upon the circumstances brought to the notice of the Corporation in general, for a

particular area or category of borrowers;

- (iv) The claims should be lodged with the Corporation within a year from the date of write-off of the amount in the books of credit institution.
- (v) The condition of observance of 3 years lock-in period for lodgement of claims has been deleted in respect of all claims which fell due for lodgement on or after 1st April 1995.

The Corporation pays 50% of the principal amount in default subject to certain absolute limits stipulated in the schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment

of the claims, the claimant institutions are required to continue effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the right of subrogation. Since 22 February 1994, credit institutions have been delegated powers to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action, compromise and scaling down of dues and write-off and they are not required to obtain the Corporation's prior approval. The proposals involving staff accountability, frauds, misappropriation etc., have, however, to be referred to the Corporation for its prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.

ANNEXURE
CREDIT GUARANTEE SCHEMES — SALIENT FEATURES

| CREDIT GUARANTEE SCHEMES | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Schemes | Eligible participants | Category of Borrowers | Guarantee fee | \$Guarantee cover |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A) SMALL BORROWERS | | | | |
| I) Small Loans Guarantee Scheme, 1971 | Commercial Banks (including Regional Rural Banks) | (i) Transport Operators | 2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. In case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme) | 50% of the amount in default or Rs.1,50,000/- whichever is lower. |
| | | (ii) Retail Traders | — do — | 50% of the amount in default or Rs.25,000/- whichever is lower. |
| | | (iii) Professional & Self-employed Persons & Business Enterprises | — do — | 50% of the amount in default or Rs.50,000/- whichever is lower. |
| | | (iv) Farmers & Agriculturists — Direct Finance | | |
| | | 1) For raising crops | — do — | 50% of the amount in default or Rs.10,000/- whichever is lower. |
| | | 2) For developmental activities | — do — | 50% of the amount in default or Rs.20,000/- whichever is lower. |
| | | 3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances | — do — | 50% of the amount in default or Rs.30,000/- (i.e. Rs.10,000 x 3) whichever is lower. |
| | | 4) For allied activities | | |
| | | i) Pisciculture | — do — | 50% of the amount in default or Rs.37,500/- whichever is lower. |
| | | ii) Sericulture | — do — | 50% of the amount in default or Rs.18,750/- whichever is lower. |
| | | iii) Animal Husbandry | — do — | 50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower. |
| | | iv) Poultry Farming | — do — | 50% of the amount in default or Rs.22,500/- whichever is lower. |
| | | v) Dairy Farming | — do — | 50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower. |
| (With overall ceiling of Rs.60,000/- for more than one activity) | | | | |

\$ With effect from 1.4.1995 the Corporation's guarantee shall cover only the principal amount sanctioned by the credit institution and in the case of cash credit/overdraft and other revolving credit facilities, amount outstanding upto the regular limit sanctioned under each type of credit facility.

(Contd.)

ANNEXURE (Contd.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|--|-----|--|
| | <p>(v) Indirect Finance to Agriculture As per RBI definition of priority sector except advances for construction and running of cold storage and to custom service units which will be covered under Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981)</p> | 2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. (In case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme) | | 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/ institution. |
| | <p>(vi) Education Credit facilities to individuals for educational purposes granted by eligible credit institutions under special schemes introduced by them for the purpose.</p> | — do — | | 50% of the amount in default. |
| | <p>(vii) State Sponsored Organisations for SCs/STs Advances sanctioned by State Sponsored Organisations for SC/ST for the specific purpose of purchase and support of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries of these organisations.</p> | — do — | | 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/ institution). |
| | <p>*(viii) Housing-Direct Finance a) Loans upto Rs.2 lakhs for construction of houses granted to all categories of borrowers. b) Loans upto Rs.25,000/- for repairs to damaged houses granted to all categories of borrowers.</p> | — do — — do — | | 50% of the amount in default. — do — |
| | <p>*(ix) Housing Indirect Finance i) Assistance given to any governmental agency for the purpose of constructing house exclusively for the benefit of SC/ST and low-income groups and where loan component does not exceed Rs.2 lakhs per housing unit. ii) Assistance to any government agency for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers where loan component does not exceed Rs.2 lakhs per housing unit.</p> | — do — — do — | | 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/ institution). — do — |

* All Housing Loans have been excluded with effect from 1.4.1995 for the purposes of guarantee cover and computation of guarantee fee payable to the Corporation.

* All Housing Loans have been excluded with effect from 1.4.1995 for the purposes of guarantee cover and computation of guarantee fee payable to the Corporation.

(Contd.)

ANNEXURE (Contd.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|--|--|--|--|
| | | (x) Consumption Pure consumption loans granted consumption loans granted under the Consumption Credit Scheme. | — do — | 50% of the amount in default. |
| II) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 | Primary Urban Co-operative Banks | i) Transport Operators | 1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. | 50% of the amount in default or Rs.1,50,000/- whichever is lower. |
| | | ii) Retail Traders | — do — | 50% of the amount in default or Rs.25,000/- whichever is lower. |
| | | iii) Business Enterprises & Professional & Self-employed Persons | — do — | 50% of the amount in default or Rs.50,000/- whichever is lower. |
| | | iv) Educational Loans | — do — | 50% of the amount in default. |
| | | v) Consumption Loans to Individuals upto Rs.500/- | — do — | — do — |
| | | *vi) Housing Loans not exceeding Rs.25,000/- to | | |
| | | a) Individuals | — do — | 50% of the amount in default. |
| | | b) Government Agency | — do — | 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/ institution. |
| | | vii) Activities allied Agriculture | | |
| | | i) Pisciculture | — do — | 50% of the amount in default or Rs.37,500/- whichever is lower. |
| | | ii) Sericulture | — do — | 50% of the amount in default or Rs.18,750/- whichever is lower. |
| | | iii) Animal Husbandry | — do — | 50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower. |
| | | iv) Poultry Farming | — do — | 50% of the amount in default or Rs.22,500/- whichever is lower. |
| | | v) Dairy Farming | — do — | 50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower. |
| | | vi) Purchase of bullock carts, camel carts, pack animals etc. | — do — | 50% of the amount in default or Rs.10,000 whichever is lower. |
| (With overall ceiling of Rs.60,000/- for more than one activity) | | | | |
| * All Housing Loans have been excluded with effect from 1.4.1995 for the purposes of guarantee cover and computation of guarantee fee payable to the Corporation. | | | | |

(Contd.)

ANNEXURE (Contd.)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|--|--|--|--|
| B) SMALL SCALE INDUSTRIES | | | | |
| Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 | Commercial Banks (including RRBs), Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies | i) Small Scale Industrial Units (including ancillary units) to whom credit facilities not exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate extended. | 1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. | 50% of the amount in default or Rs.20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs.10 lakhs for term loans and Rs.10 lakhs for working capital) whichever is lower. |
| | | ii) Small Scale Industrial units in backward areas with credit facilities without any limit. | — do — | — do — |
| | | iii) Small Scale Industrial units (including ancillary units) in other than backward areas having total credit facilities exceeding Rs.2 lakhs. | — do — | 50% of the amount in default or Rs.20 lakh (apportioned separately and equally viz. Rs.10 lakhs for term loans and Rs.10 lakhs for working capital) whichever is lower. |
| | | Indirect Finance to SSI | | |
| | | i) Agencies involved in assisting the decentralised sector in the supply of inputs and marketing of outputs of artisans, village and cottage industries. | — do — | (a) 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities not exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. (b) 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. |
| | | ii) Government sponsored Corporation/organisations providing funds to the weaker section in the priority sector (provided they are not covered by Government or any other guarantee) | — do — | — do — |
| | | iii) Loans for construction and running of cold storage | — do — | 50% (as stated above) of the amount in default or Rs.20 lakhs (Rs.10 lakhs each for working capital and term loans) whichever is lower. |
| | | iv) Advances to custom service units managed by individuals, institutions or organisation who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well boring equipment, threshers, combines etc. and undertake work from farmers on contract basis. | — do — | — do — |
| | | v) Industrial Estates Loans for setting industrial estate | — do — | — do — |

